ISSN 2278-1633ANTIM JAN

# गांधी दर्शन
# अंतिम जन

वर्ष-7, अंक: 7, संख्या-57 दिसम्बर 2024 मूल्य: ₹20

# गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति संग्रहालय

समिति के दो परिसर हैं- गांधी स्मृति और गांधी दर्शन।

गांधी स्मृति, 5, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित है। इस भवन में उनके जीवन के अंतिम 144 दिनों से जुड़े दुर्लभ चित्र, जानकारियाँ और मल्टीमीडिया संग्रहालय (Museum) है। जिसमें प्रवेश निःशुल्क है।

दूसरा परिसर गांधी दर्शन राजघाट पर स्थित है। यहाँ 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश' प्रदर्शनी, डोम थियेटर और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र संग्रहालय (Museum) है।

दोनों परिसर के संग्रहालय प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 6:30 तक खुलते हैं।
(सोमवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़ कर)

ISSN 2278A-1633ANTIM JAN


गांधी दर्शन

# अंतिम जन

वर्ष-7, अंक: 7, संख्या-57

दिसम्बर 2024



***संरक्षक***

विजय गोयल

उपाध्यक्ष, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति

***प्रधान सम्पादक***

डॉ. ज्वाला प्रसाद

***सम्पादक***

प्रवीण दत्त शर्मा

पंकज चौबे

***परामर्श***

वेदाभ्यास कुंडू

संजीत कुमार

***प्रबन्ध सहयोग***

शुभांगी गिरधर



मूल्य : ₹ 20

वार्षिक सदस्यता : ₹ 200

दो साल : ₹ 400

तीन साल : ₹ 500

**गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति**

गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110002

फोन : 011-23392796

ई-मेल : antimjangsds@gmail.com

2010gsds@gmail.com

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट, नई दिल्ली-110002, की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित।


लेखकों द्वारा उनकी रचनाओं में प्रस्तुत विचार एवं दृष्टिकोण उनके अपने हैं, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट, नई दिल्ली के नहीं। समस्त मामले दिल्ली न्यायालय में ही विचाराधीन।


मुद्रक

पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092

## इस अंक में


**धरोहर**

‘हिन्दुस्तान को स्वाभिमान से सिर ऊँचा रखना है’ *-मोहनदास करमचंद गांधी* 5

**भाषण**

सामान्य मानवी की सूझबूझ से आगे बढ़ता भारत *-श्री नरेंद्र मोदी* 9

**संस्मरण**

‘विशाल हृदय और उसमें वात्सल्यता की आभा’ *-पंडित भवानी दयाल जी संन्यासी* 14

**व्याख्यान**

आजादी के आंदोलन से उपजे हैं हमारे संवैधानिक मूल्य *- लक्ष्मीकांत गौड़* 20

**चिंतन**

इमरजेंसी लाइट की तरह रोशनी दिखाता संविधान *-उमेंश चतुर्वेदी* 23

भारत का संविधान *-मनीष जैन* 26

गांधीजी के न्याय की अवधारणा एवं वैकल्पिक विवाद समाधान *-संजीत कुमार* 32

**विशेष**

महात्मा गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने की शताब्दी *-रौशन कुमार शर्मा* 36

**विमर्श**

सत्याग्रह और गांधी *-आरती स्मित* 40

लोक जीवन में गांधी *-डॉ उषा श्रीवास्तव* 46

प्रकृति से प्रेरणा पाते थे गांधी *-संजय कुमार मिश्र* 49

**कविताएं**

प्रज्ञा मिश्रा की कविताएं 53

**फोटो में गांधी** 55

**गांधी क्विज-8** 56

**बचपन**

श्रीप्रसाद की कविताएं 57

**गतिविधियाँ** 60

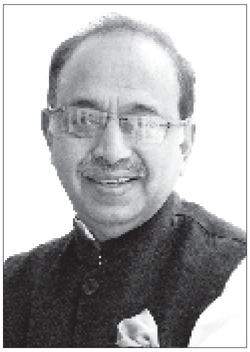

# प्रदूषण और गांधी विचार

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या हमें सचेत करती है कि अब हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा बनाने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। प्रदूषण एक राजनीतिक नहीं जन जन का विषय होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ रहा है।

बढ़ते प्रदूषण से आज भारत ही नहीं समूचा विश्व परेशान है। पिछले दिनों पाकिस्तान के लाहौर में तो एक्यूआई 1537 तक पँहुच गया था। विश्व में पर्यावरण संरक्षण अब बहस का मुद्दा बन गया है। पर्यावरण की चिंताजनक स्थिति को लेकर दुनिया के कई भागों में बुद्धिजीवियों और पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और वातावरण के प्रदूषण पर विराम लगाने की बातें उन्होंने की हैं।

मुझे लगता है कि आज हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बातों को समझकर उन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता है। यद्यपि बापू के जीवनकाल में पर्यावरण शब्द चलन में नहीं था, लेकिन युगद्रष्टा गांधी की सोच इतनी दूरदर्शी थी कि उन्होंने उस समय में आज की स्थिति पर चिंता और चिंतन आरंभ कर दिया था। गांधीजी का मानना था कि "प्रकृति के पास सबकी जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ न कुछ है पर किसी के लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है।" बापू ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के विभिन्न कारकों और उसे संरक्षित रखने के विभिन्न उपायों पर अपने विचार रखे हैं। अपने लेख 'आरोग्य की कुंजी' में उन्होंने स्वच्छ वायु पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि तीन प्रकार के प्राकृतिक पोषण की आवश्यकता होती है-हवा, पानी और भोजन, लेकिन स्वच्छ वायु सबसे आवश्यक है।

पर्यावरण के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण व्यापक था। यदि हम उनके बताए रास्तों पर चले तो प्रदूषण की समस्या को कुछ हद तक संभाला जा सकता है।

'अंतिम जन' का दिसंबर अंक आपके सामने प्रस्तुत है। इस अंक में सभी स्थायी स्तंभों के साथ गांधी और समकालीन विषयों पर आधारित सामग्री संकलित की गई है, जो आपका ज्ञानवर्धन करेगी, ऐसी आशा है।

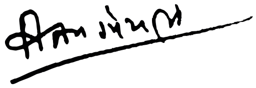

**विजय गोयल**

# हमारा संविधानः हमारा सम्मान

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भाषण में डॉ. अंबेडकर ने कहा था, "राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि इसकी नींव में...सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी जीवनशैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है।"

वास्तव में कोई राष्ट्र तभी आदर्श राष्ट्र कहलाता है, जब उसमें समानता और भाईचारे की प्रवृत्ति बलवती हो। हमारा सौभाग्य है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। विश्व के सबसे विविधतापूर्ण एवं जीवंत लोकतंत्र में हमारे संविधान ने हर परीक्षा उत्तीर्ण की है। 75 वर्षों की यह संवैधानिक यात्रा कई उतार-चढ़ावों से गुजरी है, लेकिन इसी राह पर चलते हुए देश ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह सब हमारे संविधान की शक्ति को बताता है।

हमें गर्व होना चाहिए कि भारतीय संविधान सबसे टिकाऊ, लचीला और जनसाधारण के अनुकूल है। यह अन्य संविधानों की तरह जड़ता से ग्रस्त नहीं। संविधान में व्यापक संशोधनों की भी व्यवस्था है, ताकि यह समय के साथ कदमताल मिलाकर चल सके।

भारत के संविधान और उनके निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति ने नवंबर में संविधान दिवस मनाया। समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल के नेतृत्व में जहां चाँदनी चौक क्षेत्र में संविधान सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों ने संविधान की प्रति का फूलों से सम्मान किया, वहीं गांधी दर्शन परिसर में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख संविधान विशेषज्ञों ने संविधान के निर्माण और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आम जनमानस को हमारे संविधान के सभी पहलुओं के बारे में अवगत करवाना था।

'अंतिम जन' पत्रिका के इस अंक में हमने संविधान को लेकर भी विशेष सामग्री रखी है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायधीश लक्ष्मीकांत गौड़ का भाषण, मनीष जैन का संविधान की संरचना विषयक ज्ञानपरक आलेख विशेष पठनीय है। आपको यह अंक कैसा लगा, अपने विचारों से हमें जरूर अवगत करवाएं।

**डॉ ज्वाला प्रसाद**

# आपके ख़त

## नागरिक जीवन का अंग बने स्वच्छता

अक्टूबर 2024 का अंतिम जन का यह अंक बेहद उपादेयी और संग्रहणीय लगा। सचमुच राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी महज एक शख्सियत नहीं अपितु एक ऐसी विचारधारा थे, जिनकी वैश्विक जरूरत और पहचान आज भी यथावत है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के पहरूए गांधी ने समरसतामूलक समाज की जो अवधारणा दी थी, वैश्विक समाज को आज भी उसकी जरूरत है। गांधी के लिए धर्म भी उनका दैनिककर्म था। गांधीजी इस विचार के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे कि स्वच्छता और सफाई मूलभूत मानवीय गुण हैं। हर किसी को अपना सफाईकर्मी स्वयं होना चाहिए। उनके 18 सूत्री कार्यक्रम में वर्णित है कि शौचालय को ड्राईंग रूम जितना साफ होना चाहिए।

गौरतलब है कि कई महत्वपूर्ण अवसरों एवं सम्मेलनों पर भी गांधीजी ने स्वयं गंदगी साफ कर एक मिसाल कायम की। गांधी के साथ काम करने वाले विन्सेन्ट लारेंस लिखते हैं... अद्वितीय...अद्‌भुत। स्वच्छता के प्रति आग्रही गांधी अपनी अर्द्धांगिनी कस्तूरबा से भी साफ- सफाई के मुद्दे पर कई अवसरों पर सख्ती से पेश आते हैं। महज 12 वर्ष की उम्र में गांधी ने समाज में छुआछूत, पवित्रता और असमानता को लेकर अपनी माँ पुतली बाई से बहस की और माँ के नस्लीय पूर्वाग्रह को चुनौती दी।

गांधीजी की तरह अगर साफ-सफाई हमारे नागरिक जीवन का अंग बन जाए, स्कूल और कॉलेजों के रहे पाठ्यक्रम में इसे अनिवार्य बना दिया जाए तो हमारी सरकारों को स्वच्छता अभियान पर लाखों-करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा न करना पड़े और उस पैसे से अन्य कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने में भी मदद मिलेगी।

मेरी राय में वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल और हिंसा-प्रतिहिंसा में उलझे समाज के पुनर्निर्माण हेतु आज वैश्विक स्तर पर गांधी के 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम को लागू करने की जरूरत है। यह वर्तमान समय का तकाजा भी है।

**डॉ. हर्षवर्द्धन कुमार**
पटना, बिहार

## अहमियत

इतनी खुशी,
लेकर आती है,
सुबह की,
पहली किरण,
यह पहली किरण ही
नहीं,
एक खूबसूरत भरोसा है,
अंधकार के कपोल पर,
रोशनी का चुंबन है।
एक नयी आशा,
नवीन भाषा,
इसलिए,
इसको,
पलक-पांवडे,
बिछाकर,
आंगन बुहारकर,
मटकी में जल भरकर,
सूरज को अर्ध्य देते हुए,
इसका स्वागत,

**संदीप पांडे**, अजमेर

आप भी पत्र लिखें। सर्वश्रेष्ठ पत्र को पुरस्कृत कर, उपहार दिया जाएगा।

# 'हिन्दुस्तान को स्वाभिमान से सिर ऊँचा रखना है'

**मोहनदास करमचंद गांधी**

बिहार, निस्सन्देह, बिहारियों के लिए है, लेकिन वह हिन्दुस्तान के लिए भी है। जो बात बिहार के बारे में सच है, वही भारतीय संघ के दूसरे सब प्रान्तों के बारे में भी सच है। किसी भी हिन्दुस्तानी के साथ बिहार में विदेशी के जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, जैसाकि शायद उस के साथ आज के पाकिस्तान में या किसी पाकिस्तानी के साथ हिन्दुस्तान में किया जा सकता है। अगर हम मुसीबतों और द्वेष से बचना चाहते हैं तो हमें इस फर्क का ध्यान रखना चाहिए।

इसलिए, हालाँकि भारतीय संघ के हर हिन्दुस्तानी को बिहार में बसने का अधिकार है, फिर भी उसे बिहारियों को उखाड़ने या उनके हक छीनने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए।

अगर इस प्रतिबन्ध पर अच्छी तरह अमल नहीं किया गया तो सम्भव है कि बिहार में गैर–बिहारी हिन्दुस्तानियों की ऐसी बाढ़ आ जाये कि बिहारियों को बड़ी संख्या में अपने प्रान्त से बाहर निकलना पड़े। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि जो गैर–बिहारी हिन्दुस्तानी बिहार में जाकर बसता है उसे बिहार की सेवा के लिए ही वहाँ बसना चाहिए, न कि हमारे पुराने मालिकों की तरह उसका शोषण करने के लिए।

इस विषय पर इस तरह विचार करने से हमारे सामने जमींदार और रैयत का सवाल खड़ा होता है। जब कोई गैर–बिहारी पैसा बनाने के लिए बिहार में जाकर बसता है तो बहुत सम्भव है कि वह जमींदार से मिलकर रैयत को चूसने के लिए ऐसा करे। लेकिन अगर जमींदार सचमुच रैयत के लिए अपनी जमींदारी के न्यासी बन जायें तो ऐसी अपवित्र साँठ–गाँठ कभी हो ही नहीं सकती। बिहार में जमींदारी का कठिन सवाल अभी हल किया जाना है। हम तो यह पसन्द करेंगे कि बिहार के छोटे और बड़े जमींदारों, उनकी रैयत और सरकार के बीच कोई ऐसा उचित, निष्पक्ष और संतोषप्रद समझौता हो जिससे कानून बन जाने पर ऐसा मौका न आये कि कोई उस पर अमल न करे, या जमींदारों या रैयत के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत पड़े। काश, सारे हिन्दुस्तान में बिना खून बहाये और बिना जबरदस्ती किये ये सारे परिवर्तन––जिनमें से कुछ अवश्य ही क्रान्तिकारी होंगे हो जायें। यह तो

जब कोई गैर–बिहारी पैसा बनाने के लिए बिहार में जाकर बसता है तो बहुत सम्भव है कि वह जमींदार से मिलकर रैयत को चूसने के लिए ऐसा करे। लेकिन अगर जमींदार सचमुच रैयत के लिए अपनी जमींदारी के न्यासी बन जायें तो ऐसी अपवित्र साँठ–गाँठ कभी हो ही नहीं सकती। बिहार में जमींदारी का कठिन सवाल अभी हल किया जाना है।

हुआ हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों से आकर बिहार में बसनेवालों के लिए। वहाँ की नौकरियों का क्या हो? ऐसा लगता है कि अगर भारतीय संघ के सारे प्रान्तों को हर दिशा में एक-सी तरक्की करनी हो तो हर प्रान्त की नौकरियाँ, पूरे हिन्दुस्तान की तरक्की के विचार से, ज्यादातर वहाँ के रहनेवालों को ही दी जानी चाहिए। अगर हिन्दुस्तान को दुनिया के सामने स्वाभिमान से सिर ऊँचा रखना है, तो किसी प्रान्त और किसी भी कबीले या समूह को पिछड़ा हुआ नहीं रखा जा सकता। लेकिन अपने हथियारों के बलपर हिन्दुस्तान ऐसा नहीं करेगा; दुनिया हथियारों से ऊब चुकी है। उसे अपने हर नागरिक के जीवन में और हाल में ही मेरे द्वारा 'हरिजन' में बताये गये समाजवाद में प्रकट होने वाली अपनी स्वाभाविक संस्कृति के द्वारा ही प्रसिद्धि पाना होगा। इसका यह अर्थ है कि अपनी योजनाओं या सिद्धान्तों को जन-प्रिय बनाने के लिए किसी भी तरह की ताकत या दबाव को काम में न लिया जाये। जो चीज सचमुच जनप्रिय है उसे सबसे मनवाने के लिए जनता की राय के सिवा दूसरी किसी ताकत की शायद ही जरूरत हो। इसलिए बिहार, उड़ीसा और अमस में कुछ लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा के जो बुरे दृश्य देखे गये, वे कभी नहीं दिखाई देने चाहिए थे। अगर कोई आदमी नियम के खिलाफ काम करता है या दूसरे प्रान्तों के लोग किसी प्रान्त में आकर वहाँ के लोगों के अधिकार छीनते हैं, तो उसका समाधान करने के लिए लोकप्रिय सरकारें प्रान्तों में काम कर रही हैं। प्रान्तों की सरकारों का यह कर्त्तव्य है कि वे दूसरे प्रान्तों से अपने यहाँ आने वाले सब लोगों की पूरी-पूरी रक्षा करें। 'जिस चीज को तुम अपनी समझते हो, उसका ऐसा इस्तेमाल करो कि दूसरे को नुकसान न पहुँचे,' यह समता-न्याय का जाना-पहचाना सिद्धान्त है। यह नैतिक आचरण का भी सुन्दर नियम है। आज की स्थिति में यह कितना उचित मालूम होता है।

***अगर हिन्दुस्तान को दुनिया के सामने स्वाभिमान से सिर ऊँचा रखना है, तो किसी प्रान्त और किसी भी कबीले या समूह को पिछड़ा हुआ नहीं रखा जा सकता। लेकिन अपने हथियारों के बलपर हिन्दुस्तान ऐसा नहीं करेगा; दुनिया हथियारों से ऊब चुकी है। उसे अपने हर नागरिक के जीवन में और हाल में ही मेरे द्वारा 'हरिजन' में बताये गये समाजवाद में प्रकट होने वाली अपनी स्वाभाविक संस्कृति के द्वारा ही प्रसिद्धि पाना होगा। इसका यह अर्थ है कि अपनी योजनाओं या सिद्धान्तों को जन-प्रिय बनाने के लिए किसी भी तरह की ताकत या दबाव को काम ...।***

यहाँ तक मैंने प्रान्तों में आने वाले नये लोगों के बारे में कहा। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनमें से कुछ बिहार में 15 अगस्त को सरकारी नौकरियों में और अन्य धन्धों में लगे थे? जहाँ तक मेरा विचार है, ऐसे लोग जब तक अन्यथा नहीं चाहते, तबतक उन के साथ बिहारियों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। स्वाभाविक है कि उन्हें विदेशियों की तरह अलग बस्ती नहीं बनानी चाहिए। 'रोम में रोमनों की तरह रहो,' यह कहावत जहाँ तक रोमन बुराइयों से अछूती रही है वहाँ तक समझदारी से भरी और लाभ पहुँचाने वाली कहावत है। एक दूसरे के साथ घुल-मिलकर तरक्की करने के काम में यह ध्यान रखना जरूरी है कि बुराइयों को छोड़ दिया जाये और अच्छाइयों को पचा लिया जाये। बंगाल में एक गुजराती के नाते मुझे बंगाल की सारी अच्छाइयों को तुरन्त पचा लेना चाहिए और उसकी बुराई को कभी छूना भी नहीं चाहिए। मुझे हमेशा बंगाल की सेवा करनी चाहिए और अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए उसका शोषण नहीं करना चाहिए। हमारी वर्जनशील प्रान्तीयता की भावना हमारी जिन्दगी के लिए अभिशाप है। मेरी कल्पना के प्रान्त की सीमा सारे हिन्दुस्तान की सीमा तक फैली हुई होगी, ताकि अन्त में उसकी सीमा सारे विश्व की सीमा तक फैल जाये। अन्यथा वह नष्ट हो जायेगा।

**शाहदरा पहुँचे गांधी**

भाइयों और बहनों,

जब मैं शाहदरा पहुँचा, तो मैंने अपने स्वागत के लिए आये हुए सरदार पटेल, राजकुमारी और दूसरे लोगों को देखा। लेकिन मुझे सरदार के ओठों पर हमेशा की मुस्कराहट नहीं दिखाई दी। उनका मसखरापन भी गायब था। रेल से उतरकर मैं जिन पुलिस वालों और जनता से मिला, उनके चेहरों पर भी सरदार पटेल की उदासी दिखाई दे रही थी। क्या हमेशा खुश दिखाई देने वाली दिल्ली आज एकदम मुर्दों का शहर बन गई है? दूसरा अचरज भी मुझे

देखना बदा था। जिस भंगी बस्ती में ठहरने में मुझे आनन्द होता था, वहाँ न ले जाकर मुझे बिड़ला के आलीशान महल में ले जाया गया। इसका कारण जानकर मुझे दुःख हुआ। फिर भी उस घर में पहुँचकर मुझे खुशी हुई जहाँ मैं पहले अक्सर ठहरा करता था। मैं भंगी बस्ती में वाल्मीकि भाइयों के बीच ठहरूँ या बिड़ला भवन में ठहरूँ, दोनों जगह मैं बिड़ला भाइयों का ही मेहमान बनता हूँ। उनके आदमी भंगी बस्ती में भी पूरी लगन के साथ मेरी देखभाल करते हैं। इस फेर बदल के कारण सरदार नहीं हैं। वह बाल्मीकि बस्ती में मेरी हिफाजत के बारे में किसी तरह डरने की कमजोरी कभी नहीं दिखा सकते। भंगियों के बीच रहकर मुझे बड़ी खुशी होती है, हालाँकि नई दिल्ली की कमेटी के कसूर से मैं बिलकुल उन घरों में तो नहीं रह सकता जिनमें भंगी लोग मछलियों की तरह एक साथ ठूँस दिये जाते हैं।

मुझे बिड़ला भवन में ठहराने का कारण यह है कि भंगी बस्ती में जहाँ में ठहरा करता था, वहाँ इस समय निराश्रित लोग ठहराये गये हैं। उनकी जरूरत मुझसे कई गुना बड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ निराश्रितों का कोई भी सवाल खड़ा हो, यह क्या एक राष्ट्रके नाते हमारे लिए शरम की बात नहीं है? पण्डित नेहरू और सरदार पटेल के साथ कायदे आजम जिन्ना, लियाकत अली साहब और दूसरे पाकिस्तानी नेताओं ने यह ऐलान किया था कि हिन्दुस्तानी संघ और पाकिस्तान में अल्पमत वालों के साथ वैसा ही बरताव किया जायेगा, जैसा कि बहुमत वालों के साथ। क्या हर डोमीनियन के हाकिमों ने यह मीठी बात दुनिया को खुश करने के लिए ही कही थी, या इसका मतलब दुनिया को यह दिखाना था कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और हम अपना वचन पूरा करने के लिए जान भी दे देंगे? अगर ऐसा ही है, तो मैं पूछता हूँ कि हिन्दुओं, सिखों, गौरव भरे आमिलों और उनके भाई-बन्दों को अपना घर पाकिस्तान छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया गया? क्वेटा, नवाबशाह और कराची में क्या हुआ है? पश्चिमी पंजाब की दर्द भरी कहानियाँ सुनने और पढ़ने वालों के दिलों को तोड़ देती हैं। पाकिस्तान या हिन्दुस्तानी संघ के हाकिमों की लाचारी दिखाकर, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह सब गुण्डों का काम है। अपने यहाँ रहने वाले लोगों के कामों की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेना हर डोमीनियन का फर्ज है। उनका काम 'क्या और क्यों' करने का नहीं, बल्कि करने और मरने का है। अब वे साम्राज्यवाद के कुचल डालने वाले बोझ के नीचे चाहे या अनचाहे कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं किये जाते। आज वे आजादी से जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ईमानदारी से दुनिया के सामने अपना मुँह दिखाना है तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि अब दोनों डोमीनियनों में कोई कानून-कायदा रहेगा ही नहीं। क्या यूनियन के मन्त्री अपना दिवालियापन जाहिर करके दुनिया के सामने बेशर्मी से यह मंजूर कर लेंगे कि दिल्ली के लोग या निराश्रित खुशी से कानून को नहीं पालना चाहते? मैं तो मंत्रियों से यह आशा करूँगा कि वे लोगों के पागलपन के सामने झुकने की बजाय उनके पागलपन को दूर करने की कोशिश में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे।

***मुझे बिड़ला भवन में ठहराने का कारण यह है कि भंगी बस्ती में जहाँ में ठहरा करता था, वहाँ इस समय निराश्रित लोग ठहराये गये हैं। उनकी जरूरत मुझसे कई गुना बड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ निराश्रितों का कोई भी सवाल खड़ा हो, यह क्या एक राष्ट्रके नाते हमारे लिए शरम की बात नहीं है? पण्डित नेहरू और सरदार पटेल के साथ कायदे आजम जिन्ना, लियाकत अली साहब और दूसरे पाकिस्तानी नेताओं ने यह ऐलान किया था कि हिन्दुस्तानी संघ और पाकिस्तान में अल्पमत वालों के साथ वैसा ही बरताव किया जायेगा, जैसा कि बहुमत वालों के साथ।***

जिस मकान में मैं रहता हूँ, उसमें भी फल या शाक-भाजी नहीं मिलती। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि कुछ मुसलमानों के मशीन गन या बंदूक वगैरा से गोलाबारी करने के कारण सब्जी मंडी में शाक-भाजी का मिलना बंद हो गया? शहर के अपने दौरे में मैंने यह शिकायत सुनी कि निराश्रितों को राशन नहीं मिलता। जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक नहीं होता। इसमें अगर दोष सरकार का है तो इतना ही दोष निराश्रितों का भी है, जिन्होंने जरूरी कामकाज को भी रोक दिया है। उन्होंने यह क्यों नहीं समझा कि ऐसा

करके वे अपने-आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं? अगर उन्होंने अपनी तमाम सच्ची शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार पर भरोसा किया होता और कायदा पालने वाले नागरिकों की तरह बरताव किया होता, तो मैं जानता हूँ और उन्हें भी जानना चाहिए कि उनकी ज्यादातर मुसीबतें दूर हो जातीं।

मैं हुमायूँ के मकबरे के पास मेवों की छावनी में गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें अलवर और भरतपुर रियासतों से निकाल दिया गया है। मुसलमान दोस्तों ने जो कुछ भेजा है उनके सिवा हमारे पास खाने की कोई चीज नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेव लोग बड़ी जल्दी उभाड़े जा सकते हैं और गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। लेकिन उसका यह इलाज नहीं है कि उन्हें न चाहने पर भी यहाँ से निकालकर पाकिस्तान भेज दिया जाये। उसका सच्चा इलाज तो यह है कि उनके साथ इन्सानों का-सा बरताव किया जाये और उनकी कमजोरियों का किसी दूसरी बीमारी की तरह इलाज किया जाये।

इसके बाद मैं जामिया मिलिया गया, जिसके बनाने में मेरा बड़ा हाथ रहा है। डॉ० जाकिर हुसैन मेरे प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने सचमुच दुःख के साथ मुझे अपने अनुभव सुनाये, लेकिन उनके मन में किसी तरह की कड़वाहट नहीं थी। कुछ समय पहले उन्हें जालंधर जाना पड़ा था। अगर एक सिख कैप्टन और रेलवे के एक हिन्दू कर्मचारी ने समय पर वहाँ उनकी मदद न की होती, तो मुसलमान होने के कसूर में गुस्से से पागल बने सिखों ने उन्हें जान से मार दिया होता। डॉ० जाकिर हुसैन ने इन दोनों का अहसान मानते हुए अपना यह अनुभव मुझे सुनाया। जरा ख्याल तो कीजिए कि इस राष्ट्रीय संस्था को, जहाँ कई हिन्दुओं ने शिक्षा पाई है, यह डर है कि कहीं गुस्से से भरे निराश्रित और उन्हें उकसाने वाले लोग उस पर हमला न कर दें। मैं जामिया मिलिया के अहाते में किसी तरह ठहराये गये 100 से ज्यादा निराश्रितों से मिला। जब मैंने उनकी मुसीबतों की दर्दभरी कहानी सुनी तो मेरा सिर शर्म से नीचा हो गया। इसके बाद मैं दीवानहाल, वेवल कैंटीन और किंग्सवे की निराश्रितों की छावनियों में गया। वहाँ मैं सिख और हिन्दू निराश्रितों से मिला। वे पंजाब की मेरी पिछली सेवाओं को अब तक भूले नहीं थे। लेकिन इन सारी छावनियों में कुछ गुस्से भरे चेहरे भी दिखाई दिये, जिन्हें माफ किया जा सकता है। उन्होंने मुझे हिन्दुओं की तरफ कठोरता दिखाने के लिए कोसते हुए कहा, 'हम लोगों की तरह आपने मुसीबतें नहीं सही हैं। हमारी तरह आपके भाई-बेटे और सगे सम्बन्धी नहीं मारे गये हैं। हमारे जैसे आप दर-दर के भिखारी नहीं बनाये गये हैं। आप यह कहकर हमें कैसे धीरज बंधा सकते हैं कि आप दिल्ली में इसीलिए ठहरे हैं कि हिन्दुस्तान की राजधानी में शान्ति और अमन कायम करने में भरसक मदद कर सकें?' यह सच है कि मैं मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकता। लेकिन मौत सारे प्राणियों को -- इन्सान, जानवरों वगैरा को भगवान की दी हुई देन है। फर्क सिर्फ समय और तरीके का है। इसलिए सही बरताव ही जीवन का सही रास्ता है, जो उसे जीने लायक और सुन्दर बनाता है।

आज दिन में एक सिख दोस्त मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि वे जन्म से तो सिख हैं। लेकिन ग्रंथ साहब की दृष्टि से वे सच्चे सिख होने का दावा नहीं कर सकते। मैंने उन भाई से पूछा कि आपकी नजर में कोई ऐसा सिख है। वे एक भी ऐसा सिख नहीं बता सके। तब मैंने नरमी से कहा कि मैं ऐसा सिख होने का दावा करता हूँ। मैं ग्रंथ साहब के मानों में सच्चे सिख का जीवन बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समय था, जब ननकाना साहब में मुझे सिखों का सच्चा दोस्त करार दिया गया था। गुरु नानक मुसलमान और हिन्दू में कोई भेद नहीं मानते थे। उनके लिए सारी दुनिया एक थी। मेरा सनातन हिन्दू धर्म ऐसा ही है। सच्चा हिन्दू होने के नाते मैं सच्चा मुसलमान होने का भी दावा करता हूँ। मैं हमेशा मुसलमानों की महान प्रार्थना गाता हूँ, जिसमें कहा गया है कि खुदा एक है और वह दिन-रात सारी दुनिया की हिफाजत करता है।

निराश्रितों से मेरा कहना है कि वे सच्चाई और निडरता से रहें और साथ ही किसी से बैर या नफरत न करें। गुस्से में बिना सोचे-समझे नादानी भरे काम करके महँगे दामों मिली आजादी के सुनहले सेब को फेंक न दें।

**( प्रर्थना-प्रवचन-1, पृ.-294-98 )**

# सामान्य मानवी की सूझबूझ से आगे बढ़ता भारत

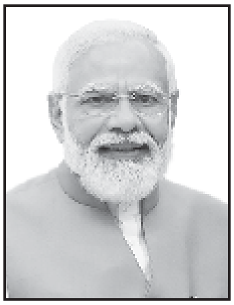

श्री नरेंद्र मोदी

सौ साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स का उद्घाटन पूज्य बापू (महात्मा गांधी) ने किया था... वे गुजराती भाषी थे, और सौ साल के बाद एक दूसरे गुजराती को आपने बुला लिया। इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स को और सौ साल की यात्रा में जो-जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, जिन-जिन लोगों ने खाद-पानी का काम किया है, संघर्ष किया है, संकट झेले हैं, लेकिन टिके रहे हैं...वे सब आज बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। सौ साल की यात्रा बहुत बड़ी होती है। आप सब इस अभिनंदन के हकदार हैं, और मेरी तरफ से भविष्य के लिए भी आपको अनेक-अनेक शुभकामनाएं हैं। अभी जब मैं आया तो फैमिली के लोगों से मिलना तो हुआ ही हुआ, लेकिन मुझे सौ साल की यात्रा एक शानदार एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला। मैं भी आप सबको कहूँगा कि अगर समय है तो कुछ समय वहां बिताकर ही जाना। यह सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, मैं कहता हूँ ये एक एक्सपीरियंस है। ऐसा लगा जैसे सौ साल का इतिहास आँखों के सामने से गुजर गया। मैंने उस दिन के अखबार देखें जो देश की स्वतंत्रता और संविधान लागू होने के दिन छपे थे। एक से बढ़कर एक दिग्गज, महानुभाव हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा करते थे। मार्टिन लूथर किंग, नेताजी सुभाष बाबू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन। इनके लेखों ने आपके अखबार को चार चांद लगा दिए। वाकई हम बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने से लेकर आजादी के बाद आशाओं के अथाह समंदर की लहरों पर सवार होकर हम आगे बढ़े हैं। ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है, अद्भुत है। मैंने आपके अखबार की खबर में उस उत्साह को महसूस किया जो अक्टूबर 1947 में कश्मीर के विलय के बाद हर देशवासी में था। हालांकि उस पल मुझे इसका भी एहसास हुआ कि कैसे अनिर्णय की स्थितियों ने 7 दशक तक कश्मीर को हिंसा में घेर कर रखा। आज आपके अखबार में जम्मू-कश्मीर में हुई रिकॉर्ड वोटिंग जैसी खबरें छपती हैं, ये कंट्रास्ट है। एक और न्यूज पेपर प्रिंट एक प्रकार से नजर हर एक की जाएगी वहां, आपकी नजर टिकेगी। उसमें एक तरफ असम को अशांत क्षेत्र घोषित करने की खबर थी, तो दूसरी ओर अटल जी द्वारा बीजेपी की नींव रखे जाने का समाचार था। और ये कितना सुखद संयोग है कि बीजेपी आज असम में स्थाई शांति लाने में बड़ी भूमिका निभा रही है।

ऐसा लगा जैसे सौ साल का इतिहास आँखों के सामने से गुजर गया। मैंने उस दिन के अखबार देखें जो देश की स्वतंत्रता और संविधान लागू होने के दिन छपे थे। एक से बढ़कर एक दिग्गज, महानुभाव हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा करते थे। मार्टिन लूथर किंग, नेताजी सुभाष बाबू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन।

अभी कल ही, मैं बोडो क्षेत्र के लोगों के साथ एक शाम शानदार कार्यक्रम में मौजूद था, और मैं हैरान हूं कि दिल्ली की मीडिया ने इस बड़ी घटना को मिस किया है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि पाँच दशक के बाद बम, बंदूक और पिस्तौल छोड़कर के, हिंसा का रास्ता छोड़कर के दिल्ली की छाती पर बोडो के नौजवान बोडो कल्चरल फेस्टिवल बना रहे हैं। इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं कल वहां था, मैं हृदय से फील कर रहा था। बोडो शांति समझौते के कारण इन लोगों का जीवन बदल गया है। एग्जीबिशन के दौरान 26/11 के मुंबई हमले की रिपोर्ट्स पर भी मेरी नजर गई। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है।

साथियों, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने सौ साल में 25 साल गुलामी के देखे हैं, और 75 साल आजादी के देखें हैं। इन सौ वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है– भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े–बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई हैं। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो यह कहा गया कि यह देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा...इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी। लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ, और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। आप याद कीजिए जब कोरोना का मुश्किल समय आया तो दुनिया को लगता था कि भारत पूरे विश्व समुदाय के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। लेकिन भारत के नागरिकों ने कोरोना के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ करके दिखाई।

साथियों, आपको 90 के दशक का वो दौर भी याद होगा जब भारत में 10 साल में 5 चुनाव हुए थे। इतने बड़े देश में 10 साल में 5 चुनाव, देश में कितनी अस्थिरता थी। जानकारों ने, अखबारों में लिखने वालों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब भारत को ऐसे ही गुजारा करना है, हिंदुस्तान में सब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन भारत के नागरिकों ने फिर से ऐसे जानकारों को गलत सिद्ध किया। आज दुनिया में चारों तरफ अनसर्टेंटी की, इंस्टेबिलिटी की चर्चा भी है और दिखता भी है। दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां पर हर चुनाव में सरकारें बदल रही है, वहीं भारत में लोगों ने तीसरी बार हमारी सरकार को चुना है।

साथियों, आप में से अनेक साथियों ने लंबे समय तक भारत की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को ट्रैक किया है। पहले हम एक फ्रेज अक्सर सुना करते थे– गुड इक्नॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। एक्सपर्ट कहे जाने वाले लोग इसे खूब बढ़ावा देते थे। लेकिन इससे पहले की सरकारों को हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने का बहाना मिल जाता था। यह एक तरह से bad governance को, inefficiency को कवर करने का माध्यम बन गया था। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की पॉलिटिक्स ने सबसे बड़ा नुकसान यह किया कि देश में असंतुलित असमानता इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। कहने को विकास बोर्ड लग जाता था दिखता नहीं था। असंतुलित अवस्था ने, इस मॉडल ने जनता का सरकारों के प्रति विश्वास तोड़ दिया। हम आज इस विश्वास को वापस लाए हैं। हमने सरकार का एक purpose तय किया है। ये purpose वोटबैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का purpose, उसका उद्देश्य एक बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम, Progress of the people---Progress by the People---Progress for the People के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। आप कल्पना कर सकते हैं सोशल मीडिया के इस जमाने में misinformation, disinformation सब कुछ चारों तरफ अपने पैर जमा करके बैठा है। इतने सारे अखबार हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, उस दौर में भारत के नागरिक का विश्वास हम पर है, हमारी सरकार पर है।

साथियों, जब जनता का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है तो देश के विकास पर एक अलग ही प्रभाव दिखता है। आप जानते हैं पुरानी विकसित सभ्यताओं से लेकर आज के विकसित देशों तक एक चीज हमेशा से कॉमन रही है, ये कॉमन चीज है Risk taking का कल्चर। एक समय था जब हमारा देश पूरे विश्व के कॉमर्स

और कल्चर का हॉटस्पॉट था। हमारे मर्चेंट्स और सेलर्स एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया के साथ काम कर रहे थे, तो दूसरी ओर अरब, अफ्रीका और Roman Empire से भी उनका गहरा नाता जुड़ता था। उस समय के लोगों ने रिस्क लिया और इसलिए भारत के products और services सागर के दूसरे छोर तक पहुंच पाए। आजादी के बाद हमें रिस्क टेकिंग के इस कल्चर को और आगे बढ़ाना था। लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने तब के नागरिकों को वो हौसला ही नहीं दिया, इसका परिणाम ये हुआ कि कई पीढ़ियां एक कदम आगे बढ़ाने और दो कदम पीछे खींचने में ही गुजर गई। अब बीते दस सालों में देश में जो परिवर्तन आए हैं उन्होंने भारत के नागरिकों में रिस्क टेकिंग कल्चर को फिर से नई ऊर्जा दी है। आज हमारा युवा हर क्षेत्र में रिस्क टेकर बनकर उभर रहा है। कभी एक कंपनी शुरू करना रिस्क माना जाता था, दस साल पहले तक मुश्किल से किसी स्टार्टअप का नाम सुनते थे...आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या सवा लाख से ज्यादा हो गई है। एक जमाना था कि खेलों में और खेलों को प्रोफेशन के रूप में अपनाने में भी रिस्क था, लेकिन आज हमारे छोटे शहरों के नौजवान भी ये रिस्क उठाकर दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं का भी उदाहरण लीजिए, आज देश में करीब एक करोड़ लखपति दीदी बनी हैं। ये गांव-गांव में उद्यमी बनकर अपना कुछ बिजनेस चला रही हैं। मुझे कुछ समय पहले एक ग्रामीण महिला से संवाद करने का अवसर आया, उस महिला ने मुझे बताया था कि कैसे उसने एक ट्रैक्टर खरीदा और अपनी कमाई से पूरे परिवार की आय बढ़ा दी। एक महिला ने एक रिस्क लिया और अपने पूरे परिवार का जीवन बदल डाला। जब देश के गरीब और मिडिल क्लास के लोग रिस्क लेना शुरू कर दें तब बदलाव सही मायने में दिखने लगता है। यही हम भारत में आज होते देख रहे हैं।

साथियों, आज भारत का समाज अभूतपूर्व aspirations से भरा हुआ है। इन aspirations को हमने अपनी पॉलिसीज का बड़ा आधार बनाया है। हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत unique combination दिया है...ये combo, investment से employment, development से dignity का है। हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एंप्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की dignity बढ़ाएं, dignity सुनिश्चित करें। अब जैसे देश में टॉयलेट्स बनाने का एक example है। मैं छोटी चीजें इसलिए हाथ पकड़ा रहा हूं कि कभी-कभी हमें लगता है इसका कोई मूल्य ही नहीं है... लेकिन इसकी कितनी बड़ी ताकत होती है मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं। हमारे देश में हमने एक मिशन लिया टॉयलेट बनाने का, देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए ये सुविधा के साथ-साथ सिक्योरिटी और डिग्निटी का भी माध्यम है। इस योजना की जब बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि इतने करोड़ शौचालय बने हैं. .. ठीक है बन गए होंगे। लेकिन ये जो शौचालय बने हैं ना उनको बनाने में ईंटें लगी हैं, लोहा लगा है, सीमेंट लगा है, काम करने वाले लोग हैं। और ये सारा सामान किसी दुकान से गया है, किसी इंडस्ट्री से बना है। किसी न किसी ट्रांसपोर्टर्स ने किसी के घर तक पहुंचाया है। यानि इससे इकॉनॉमी को भी गति मिली है, बड़ी संख्या में jobs create हुई हैं। जब टॉयलेट बना तो लोगों का जीवन आसान हुआ। लोगों में सम्मान और स्वाभिमान का एक भाव पैदा हुआ। और साथ ही इसने डेवलपमेंट को भी गति दी। यानि Investment से Employment, Development से Dignity इस मंत्र की सफलता जमीन पर दिख रही है।

***अब बीते दस सालों में देश में जो परिवर्तन आए हैं उन्होंने भारत के नागरिकों में रिस्क टेकिंग कल्चर को फिर से नई ऊर्जा दी है। आज हमारा युवा हर क्षेत्र में रिस्क टेकर बनकर उभर रहा है। कभी एक कंपनी शुरू करना रिस्क माना जाता था, दस साल पहले तक मुश्किल से किसी स्टार्टअप का नाम सुनते थे...आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या सवा लाख से ज्यादा हो गई है। एक जमाना था कि खेलों में और खेलों को प्रोफेशन के रूप में अपनाने में भी रिस्क था, लेकिन आज हमारे छोटे शहरों के नौजवान भी ये रिस्क उठाकर दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं।***

साथियों, एक और उदाहरण, एलपीजी गैस सिलेंडर का है। पहले जब किसी के घर में गैस होती थी तो अड़ोस-पड़ोस के लोग ये सोचते थे कि कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका बड़ा रुतबा माना जाता, उनके पास गैस का

चूल्हा है। जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं होता था, वो सोचता था कि काश उसका खाना भी गैस के चूल्हे पर बनता। हालत ये थी कि गैस कनेक्शन के लिए सांसदों से, पार्लियामेंट मेंबर्ससे चिट्ठियां लिखवानी पड़ती थीं, और मैं 21वीं सदी की शुरू की बात कर रहा हूँ, ये कोई 18वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं। 2014 से पहले सरकार डिबेट करती थी और डिबेट क्या करती थी? डिबेट ये होती थी कि साल में 6 सिलेंडर देने हैं या फिर 9 सिलेंडर देने हैं. ..इस पर डिबेट होती थी। हमने सिलेंडर कितने देने हैं, इस डिबेट के बजाय हर घर गैस के चूल्हे का कनेक्शन पहुंचाने को प्राथमिकता बनाया। जितने गैस कनेक्शन आजादी के बाद के 70 साल में दिए गए, उससे ज्यादा हमने पिछले 10 साल में दिए हैं। 2014 में देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा हैं। 10 साल में इतने कंज्यूमर बढ़ गए, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गैस की किल्लत है? नहीं सुना है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कभी.. .नहीं छपा है...हुआ ही नहीं तो छपेगा कैसे। ये इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि हमने एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस पर Invest किया। हमने जगह-जगह बॉटलिंग प्लांट लगाए, डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर बनाए। बॉटलिंग से लेकर सिलेंडर की डिलीवरी तक इससे हर जगह रोजगार का निर्माण हुआ।

***उसे समझने के लिए हमारी सरकार की एक और अप्रोच पर गौर करना जरूरी है। ये अप्रोच है- Spending Big For The People लेकिन साथ-साथ दूसरा भी एक अप्रोच है- Save Big For The People- हम ये कैसे कर रहे हैं, ये जानना शायद आपके लिए दिलचस्प होगा। 2014 में हमारा यूनियन बजट 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आज ये बजट 48 लाख करोड़ रुपए का है। 2013-14 में हम Capital Expenditure में करीब सवा दो लाख करोड़ रुपये खर्च करते थे। लेकिन आज का Capital Expenditure 11 लाख करोड़ से ज्यादा है।***

साथियों, मैं आपको ऐसे कितने ही उदाहरण दे सकता हूं। मोबाइल फोन का उदाहरण है...रूपे कार्ड का उदाहरण है...पहले डेबिट-क्रेडिट कार्ड रखना, कुछ लोगों को एक अलग गर्व महसूस करवाता था, जेब में से ऐसे निकालता था और लोग देखते थे। और गरीब उसी कार्ड को देखकर सोचता था...काश कभी मेरी जेब में भी। लेकिन रूपे कार्ड आया और आज मेरे देश के गरीब की जेब में भी क्रेडिट-डेबिट कार्ड मौजूद है दोस्तों। अब उसी पल वो उसको बराबरी महसूस करता है, उसका self respect बढ़ जाता है। आज गरीब से गरीब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है। बड़े शॉपिंग मॉल में कोई महंगी कार से उतरकर भी वही UPI इस्तेमाल करता है, जो मेरे देश का रेहड़ी-पटरी पर बैठा हुआ एक सामान्य इंसान भी उसी UPI का उपयोग करता है। ये भी Investment से Employment, Development से Dignity का बेहतरीन उदाहरण है।

साथियों, भारत आज जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है...उसे समझने के लिए हमारी सरकार की एक और अप्रोच पर गौर करना जरूरी है। ये अप्रोच है- Spending Big For The People लेकिन साथ-साथ दूसरा भी एक अप्रोच है- Save Big For The People- हम ये कैसे कर रहे हैं, ये जानना शायद आपके लिए दिलचस्प होगा। 2014 में हमारा यूनियन बजट 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आज ये बजट 48 लाख करोड़ रुपए का है। 2013-14 में हम Capital Expenditure में करीब सवा दो लाख करोड़ रुपये खर्च करते थे। लेकिन आज का Capital Expenditure 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये 11 लाख करोड़ रुपये आज नए अस्पताल, नए स्कूल, सड़क, रेल, रिसर्च फैसिलिटी, ऐसे अनेक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। पब्लिक पर खर्च बढ़ाने के साथ ही हम पब्लिक का पैसा भी बचा रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं और मैं पक्का मानता हूं कि ये आंकड़े सुनकर के आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है।

अब जैसे Direct Benefit Transfer, DBT--- DBT से जो लीकेज रूकी है, उससे देश के साढ़े ३ लाख करोड़ रुपये बचे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज से गरीबों के एक लाख 10 हजार करोड़ रुपए बचे हैं। जनऔषधि केंद्रों में 80 परसेंट डिस्काउंट पर मिल रही दवाइयों से नागरिकों के 30 हजार करोड़ रुपये बचे हैं। स्टेंट और Knee इंप्लांट की कीमतों को नियंत्रित करने से लोगों के हजारों करोड़ रुपए बचे हैं। उजाला स्कीम से लोगों को एल.ई.डी. बल्ब से बिजली बिल में 20 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के कारण बीमारियां कम हुई हैं और इससे गांवों में हर परिवार के करीब 50 हजार रुपये बचे हैं।

यूनिसेफ का कहना है कि जिस परिवार के पास अपना टॉयलेट है, उसके भी करीब 70 हजार रुपए बच रहे हैं।

साथियों, जिन 12 करोड़ लोगों के घर पहली बार नल से जल आया है, डब्ल्यू.एच.ओ. ने उन पर भी एक स्टडी कराई है। अब साफ पानी मिलने से ऐसे परिवारों को हर साल 80 हजार रुपये से ज्यादा की बचत हुई है।

साथियों, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव होगा। भारत की सफलता ने हमें और बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा दी है। आज एक उम्मीद है, एक सोच है कि ये Century, India की Century होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए हमें कई सारे प्रयास भी करने होंगे। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। हमें हर सेक्टर में इमेज करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरे समाज की ये सोच बनानी होगी कि हमें इमेज से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। हमें अपने प्रोसेस को ऐसा बनाना होगा, कि भारत का स्टैंडर्ड World Class कहा जाए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, कि भारत की चीजें दुनिया में World Class कही जाएं। हमारे constructions पर ऐसे काम हो कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम ऐसा हो कि भारत की Education को वर्ल्ड क्लास स्वीकृति मिले। Entertainment के क्षेत्र में ऐसे काम हो कि हमारी फिल्मों और थिएटरों को दुनिया में वर्ल्ड क्लास कहा जाए। और इस बात को, इस अप्रोच को लगातार जनमानस में बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आपका सौ साल का अनुभव, विकसित भारत की यात्रा में बहुत काम आएगा।

साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हम Development की इस Pace को बरकरार रखेंगे। बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। और भारत जब शताब्दी मनाएगा आजादी की, भारत की आजादी के सौ साल होंगे तब आप भी करीब-करीब सवा सौ साल के हो जाएंगे, और तब हिंदुस्तान टाइम्स लिखता होगा कि विकसित भारत का ये शानदार अखबार है। इस यात्रा के आप भी साक्षी बनेंगे। लेकिन जब मैं आपके बीच आया हूं तो कुछ काम भी आपको बताना चाहता हूं, और ये भरतीया जी आपकी जिम्मेवारी रहेगी।

देखिए हमारे यहां बड़े-बड़े साहित्यकारों के रचनाओं पर पीएचडी होती है। अलग-अलग शोध पर पीएचडी होती है। शशि जी क्या कोई हिंदुस्तान टाइम्स के सौ साल उस पर ही पीएचडी करें। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। उससे रिसर्च होगा यानी एक ऐसी चीज निकल करके आएगी जो हमारे देश की पत्रकारिता की जो जर्नी है, और उसने दोनों कालखंड देखे हैं, गुलामी का कालखंड भी देखा है, आजादी का भी देखा है। उसने अभाव के दिन भी देखें हैं और प्रभाव के दिन भी देखें है। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। और बिरला परिवार तो पहले से चैरिटी में विश्वास करने वाला परिवार रहा है। क्यों ना किसी यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान टाइम्स की चेयर हो, और जो भारत को वैश्विक संदर्भ में उसकी सही पहचान के लिए रिसर्च के काम करवाती हो। एक अखबार अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो आपने किया है। लेकिन आपके पास इतनी बड़ी पूंजी है सौ साल में आपने जो इज्जत कमाई है, जो विश्वास कमाया है, वो शायद आने वाले पीढ़ियों के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के दायरे से बाहर निकाल करके भी उपयोगी हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सौ वर्ष के सेमिनार तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा मैंने जो एग्जीबिशन देखा, वाकई वो प्रभावित करने वाला है। क्या आप इसका एक डिजिटल वर्जन और बहुत अच्छी commentary के साथ, और उसको हमारे देश के सभी स्कूल के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इससे पता चलेगा कि भारत में यह क्षेत्र कैसा है, कैसे-कैसे भारत की विकास यात्रा में उतार-चढ़ाव आए हैं, किन-किन परिस्थितियों से भारत गुजरा है, यह बहुत जरूरी होता है। और मैं मानता हूं कि आपने इतनी मेहनत तो की है इसका एक डिजिटल वर्जन बनाकर के आप देश के हर स्कूल में पहुंचा सकते हैं, जो बच्चों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा।

साथियों, सौ साल बहुत बड़ी बात होती है। मैं इन दिनों थोड़े अलग कामों में जरा ज्यादा व्यस्त हूं। लेकिन ये एक ऐसा अवसर था कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था आपको, मैं खुद आना चाहता था। क्योंकि सौ साल की यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसलिए मैं आपको, आपके पूरे साथियों को सबको हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद!

(हिन्दुस्तान टाइम्स के सौ वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के व्याख्यान का अंश)

संस्मरण

# ‘विशाल हृदय और उसमें वात्सल्यता की आभा’

**पंडित भवानी दयाल जी संन्यासी**

कारामुक्त होने के पश्चात् प्रिटोरिया से मुझे महात्मा जी का एक पत्र मिला, जिसमें यह आदेश था– तुम फिनिक्स में जाकर रहो और ‘इण्डियन ओपिनियन’ के हिन्दी–अंश का सम्पादन करो। मैं चाहता भी यही था, यद्यपि मुझमें कुछ भी योग्यता न थी, तो भी इस कला में रुचि अवश्य थी। मैं वहीं से पटना के ‘आर्यवर्त्त’ मासिक पत्र को लिख भेजा करता था और पत्र के आवरण पृष्ठ पर सहकारी–सम्पादक की जगह अपना नाम छपा हुआ देखकर गौरव का अनुभव करता था। मैं थोड़ा–बहुत लिख–पढ़ लेने की योग्यता को ही सम्पादक बनने के लिए पर्याप्त समझता था। उस समय मुझे यह नहीं मालूम था कि सम्पादक कहलाने मात्र से कोई स्वर्ग की सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाता, बल्कि इस पद की प्रतिष्ठा और सार्थकता भी होती है, जब उसके लेख सर्व–साधारण के लिए विचार की वस्तु बन जायें। अस्तु, मैं सम्पादक बनकर इस आशा और विश्वास से फिनिक्स पहुँचा कि अब जनता को अपने हिन्दी–लेखों की छटा दिखाकर चकित कर दूँगा, लेकिन वहाँ जाने पर मेरी इस उल्टी मति की गति बदल गई। चला तो था जनता को शिक्षा देने, किन्तु वहाँ के अनुभवों ने बतलाया कि मैं अभी शिक्षार्थी होने योग्य भी नहीं हूँ इस पत्र के सम्पादन और प्रकाशन–विभाग में कैसे–कैसे दिग्गज दिमाग काम करते थे, उनका संक्षिप्त वर्णन किए बिना पाठक हमारे कथन की सच्चाई का ठीक अनुभव न कर सकेंगे।

‘इण्डियन ओपिनियन’ के सम्पादकों और प्रकाशकों के गुरु थे महात्मा गांधी। महात्मा जी पत्र में स्वयं बहुत कुछ लिखा करते थे। इस बार तो जेल से छूटकर आने पर उनके रहन–सहन में अमूल्य परिवर्तन हो गया था। जब अपने निर्दोष बन्धुओं के मारे जाने का समाचार इन महापुरुष को मिला, तो इनका साधु–हृदय क्या करुणा और शोक से भर आया। अब तक दिन में जो दो बार फलाहार करते थे, सो अब शरीर–रक्षा के अभिप्राय से केवल एक बार अल्पाहार करने का

मैं थोड़ा–बहुत लिख–पढ़ लेने की योग्यता को ही सम्पादक बनने के लिए पर्याप्त समझता था। उस समय मुझे यह नहीं मालूम था कि सम्पादक कहलाने मात्र से कोई स्वर्ग की सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाता, बल्कि इस पद की प्रतिष्ठा और सार्थकता भी होती है, जब उसके लेख सर्व–साधारण के लिए विचार की वस्तु बन जायें। अस्तु, मैं सम्पादक बनकर इस आशा और विश्वास से...।

निश्चय कर लिया। कुश-काँटे से बचाने के लिए पैर में सिर्फ चप्पल पहना करते थे, उसे भी त्यागकर महात्मा जी ने नंगे पैरों चलने का व्रत अंगीकार किया। शरीर पर केवल एक धोती और एक मिर्जई उन्होंने धारण की और हाथ में एक लम्बी लाठी। उनका यह दिव्य-रूप और साधु-वृत्ति को देखकर मेरे मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा, और हृदय के एक-एक तार श्रद्धा और भक्ति के स्पर्श से बज उठे। ऐसे महापुरुष की संरक्षकता और निरीक्षणता में काम करना कितने सौभाग्य की बात है, उसे लिखकर बतलाने की आवश्यकता ही नहीं।

'इण्डियन ओपिनियन' के प्रधान सम्पादक थे श्री हेनरी सोलमन लियन पोलक। इस पुस्तक में पोलक साहब का अनेक बार जिक्र आया है। पोलक साहब का जन्म डोभर में हुआ था। इनके पिता इंग्लैंड में एक सम्मानित और प्रतिष्ठित यहूदी थे। विलायत में शिक्षा प्राप्त करके पोलक साहब दक्षिण अफ्रीका आए। आपका स्वास्थ्य बिगड़ चला था, अतएव जोहान्सबर्ग के जलवायु का बखान सुनकर ही यहाँ आपका आगमन हुआ। आप 'ट्रान्सवाल क्रिटिक' के उप-सम्पादक नियुक्त हुए और इस पत्र का बड़ी योग्यता से सम्पादन करने लगे। आपके हृदय में धर्म के लिए एक खास जगह थी, अतएव आपने टॉलस्टाय और रस्किन की अनेक कृतियाँ देखीं। इससे आपकी प्रवृत्ति सत्य की ओर झुकी और सेवा-धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास जम गया। दैवयोग से महात्मा जी से साक्षात् हो गया। बस, आप 'क्रिटिक' को छोड़कर 'इण्डियन ओपिनियन' के सम्पादक बन गए। इसके बाद आपने कानूनी ज्ञान प्राप्त करके ट्रान्सवाल में वकालत पास की और विवाह भी कर लिया। आपको पत्नी मिली अपने अनुरूप ही। उनका दिल भी काले-गोरे के भेद-भाव से भी बिल्कुल साफ था। आप ट्रान्सवाल के भारतीयों की दु:खद कही सुनाने के लिए भारत और इंग्लैंड भी गए। आपने 'दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानी- साम्राज्य के अन्दर गुलाम और उनके साथ होने वाले बर्ताव' नाम की एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिससे सत्याग्रह को बड़ी सहायता मिली। केवल भाषण और लेखन से ही नहीं, किन्तु इस बार जेल जाकर आपने यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्य के लिए आप सब कुछ सह सकते हैं। आप अंग्रेजी के गम्भीर, विचारशील, धुरन्धर और सिद्धहस्त लेखक हैं। यद्यपि आप फिनिक्स में रहते नहीं थे, तो भी पत्र-सम्पादन और नीति-नियन्त्रण का भार आप ही के ऊपर था।

मैनेजर मि. ए. एच. वेस्ट साहब थे। आप आश्रम में बाल बच्चे सहित रहते भी थे। पहले आप जोहन्सबर्ग के एक छापेखाना में हिस्सेदार थे, किन्तु महात्मा जी से परिचय होने पर सन् 1904 ई. में आपने 'इण्डियन ओपिनियन' की सेवा स्वीकार की। वहीं से आप विलायत जाकर अपना विवाह भी कर लाए थे। श्रीमती वेस्ट भी बड़ी सुशीला और मृदु-भाषिणी महिला थीं। वेस्ट साहब की बहन कुमारी एडा वेस्ट (देवी बहन) की कीर्ति-कथा क्या कहें? बच्चों को खिलाना, उनको पढ़ाना, प्रेस में टाइप बैठाना, घरों में झाड़ू देना, पुस्तकों की व्यवस्था करना और जो कुछ काम आ पड़े, उसे प्रसन्नतापूर्वक करने को प्रस्तुत रहना आप ही के योग्य था। कुमारी वेस्ट ब्रह्मचारिणी थीं, किन्तु मातृत्व के सम्पूर्ण सद्‌गुण उनमें शोभा पा रहे थे। वेस्ट की बुढ़िया सास भी मिलनसार थीं। उनका नाम ही 'ग्रैनी' (दादी) पड़ गया था। इस वृद्धावस्था में भी वे सीने पिरोने के काम में लगी रहती थी। वेस्ट साहब दस पाउण्ड मासिक वेतन पर 'इण्डियन-ओपिनियन' में आए थे, किन्तु फिनिक्स के प्रवासी बन जाने पर केवल तीन पाउण्ड में निर्वाह कर रहे थे।

महात्मा जी के चचेरे भाई श्री छगनलाल गांधी और श्री मगनलाल गांधी सपरिवार आश्रम के अद्य-प्रवासी थे। एक गुजराती अंश के सम्पादक थे और दूसरे थे 'इण्डियन ओपिनियन' के संयुक्त प्रकाशक। पहले ये दोनों भाई नेटाल में व्यापार करते थे, किन्तु जब महात्मा जी ने फिनिक्स-आश्रम की बुनियाद डाली, तभी से यहाँ आकर रहने लगे। छगनलाल जी हाल में कारावास भी भोग आए थे, किन्तु मगनलाल जी को 'इण्डियन ओपिनियन' के कार्य-भार के कारण जेल जाने का अवसर न मिला। तो भी आपने उसे संकट की घड़ी में पत्र-द्वारा जनता की जो सेवा की, उसकी जितनी सराहना की जाय, थोड़ी है। इन दोनों

भाइयों की वीर स्त्रियाँ भी माता कस्तूरबाई के साथ जेल काट आई थीं, और ये दोनों देवियाँ गम्भीर और मितभाषी थीं। बड़े भाई की देश-भक्ति तथा साहित्य-प्रेम और छोटे भाई की कार्य-दक्षता तथा उत्साह प्रशंसनीय था।

इमाम अब्दुलकादिर बाबाजीर ट्रान्सवाल से यहीं आ बसे थे। आप ट्रान्सवाल अहमदिया इस्लामिक सोसायटी के सभापति थे और वहाँ आपकी अच्छी इज्जत थी, लेकिन दुनियावी कोलाहलों से ऊबकर शान्तिमय जीवन व्यतीत करने के लिए आप आश्रम में आ गए थे। इनके परिवार में केवल दो प्राणी थे, एक तो इनकी वृद्धा पत्नी और दूसरी इनकी युवती पुत्री। आप सदा प्रसन्न रहते और सबसे प्रेमपूर्वक मिलते थे। आप भी 'इण्डियन ओपिनियन' के मुद्रण में योग देते थे।

उस समय भाई प्रागजी देसाई भी आश्रम में थे। आप में कष्ट सहने का विलक्षण साहस था और आपने जेल में जो वीरोचित साहस दिखाया, उसका दिग्दर्शन किसी पिछले अध्याय में हो चुका है। गुर्जर-साहित्य में आपकी अभिरुचि थी और सत्याग्रह पर आपने कई महत्त्वपूर्ण गल्प लिखे थे। अंग्रेजी भी आप अच्छी जानते थे। आप गुजराती-अंश के सम्पादन में सहायता देते थे।

डॉक्टर मणिलाल बार-एट-लॉ को आज भारतवर्ष में कौन नहीं जानता। वे मोरिशस और फीजी की घटनाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयकुँवारीदेवी उस समय आश्रम में ही थीं। आप रंगून के प्रख्यात डॉक्टर जगजीवन प्राणजीवन मेहता की पुत्री हैं और आपको अंग्रेजी तथा गुजराती की अच्छी शिक्षा मिली है। आप अध्यापन के अतिरिक्त 'इण्डियन ओपिनियन' के मुद्रण में भी मदद दिया करती थीं।

अन्त में, किन्तु सबसे अधिक, श्रद्धा के साथ जिनका नाम लेना है, वे थीं श्रीमाता कस्तूरीबाई। आपकी वात्सल्यता के प्रभाव में आश्रम स्वर्गीय विभूतियों का केन्द्र बना हुआ था। यद्यपि आपके तीन पुत्र- मणिलाल, रामदास और देवदास साथ ही थे, किन्तु अन्य बालकों पर आपका उनसे रत्तीभर भी कम स्नेह न था। सबसे मीठी बोली बोलना, दूसरे के दुख से दुखित होना और आश्रम-वासियों पर प्रेम-वारि बरसाते रहना आपका सहज स्वभाव था। आपके मुख पर सरलता की जो शान्त व्याप रही थी, नयनों से करुण की जो रस-धारा बह रही थी और हृदय से दया के जो भाव उपस्थित हो रहे थे, उससे यही प्रतीत होता कि शान्ति, करुणा, दया की मानो आप सजीव प्रतिमा हैं।

उन नवयुवकों का अलग-अलग परिचय देने की आवश्यकता नहीं, जो आश्रम के विद्यार्थी थे और जो देश, जाति और धर्म के लिए कारा-कष्ट तक भोग आए थे। उनकी यौवन-सुलभ-चंचलता ने वहाँ के जीवन को और भी मधुर बना दिया था। वातावरण इतना विशुद्ध था कि हृदय में कुविचारों का अंकुर भी नहीं उगने पाता था। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, माता कस्तूरीबाई जैसी महान् देवी, पोलक जैसे विचारशील विद्वान, वेस्ट-परिवार जैसे सर्वस्व त्यागी, छगनलाल और मगनलाल जैसे अनुभवी कार्यदक्ष, प्रागजी जैसे साहसी देशभक्त, इमाम साहब जैसे मिलनसार, जयकुँवारी देवी जैसी विदुषी जिस आश्रम में बसते हों, उसे देखकर एक बार इतिहास-कथित तपोवन का स्मरण हो आना क्या स्वाभाविक नहीं है?

जिस 'इण्डियन ओपिनियन' के सम्पादकीय विभाग में काम करने के वास्ते मैं गया था, उसका यहां थोड़ा सा पूर्व वृत्तान्त बता देना अप्रासंगिक न होगा। सन् 1903 ई. में श्री वी. मदनजीत ने इस पत्र की नींव डाली थी, किन्तु वे कुशल पत्रकार नहीं थे, इसलिए साल ही भर में ऐसी घटना घटी कि पत्र बन्द हो जाने की नौबत आ गई। अतएव महात्मा जी ने अपनी जेब से दो सहस्त्र मोहर (पाउण्ड) लगाकर पत्र को सँभाल लिया, क्योंकि पत्र के बिना मोह-निद्रा में पड़े हुए भारतीयों को जगाना असम्भव था। पहले यह पत्र डरबन से प्रकाशित होता था; किन्तु जब फिनिक्स में महात्मा जी का आश्रम बन गया, तब पत्र का मुद्राण और प्रकाशन भी यहीं से प्रारम्भ हुआ। श्री मनसुखलाल नाजर इसके अवैतनिक सम्पादक बने। आप बड़े उत्साही और योग्य विद्वान् थे। नाजर महाशय को मैं बचपन से पहचानता था और वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। खेद की बात है कि नाजर साहब की अकाल मृत्यु हो गई। उनके बाद मि. हर्वर्ट किचन सम्पादक हुए। कुछ दिनों

तक पादरी जोजफ डोक ने भी सम्पादन किया, और अब वर्षों से पोलक साहब इसके सम्पादक थे। 'इण्डियन ओपिनियन' दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का एक आकर्षक अध्याय है और दक्षिण अफ्रीका का सर्वांग पूर्ण इतिहास 'इण्डियन-ओपिनियन' की फाइलों में सुरक्षित है।

अच्छा अब मेरी रामकहानी सुनिए। मैं फिनिक्स आकर सम्पादकीय सिंहासन पर आसीन हुआ। कुछ लड़के मुझे 'एडीटर साहब' कहा करते, लेकिन न मालूम वे आदर के लिए ऐसा कहते अथवा व्यंग्य करने की उमंग में। पर मैं तो फूले नहीं समाता था, क्योंकि एक इतिहास-प्रसिद्ध पत्र का सम्पादक बन बैठा था। सब लोग टाइप बैठाया करते, लेकिन मैं अपनी सम्पादकीय कुर्सी से हिलना-डुलना पसन्द न करता। मैं भला टाइप में हाथ क्यों लगाऊँ, क्योंकि मैं तो सम्पादक ठहरा। सब लोग प्रातः चार बजे उठ जाया करते, किन्तु मैं सोकर उठता ठीक छह बजे; क्योंकि सम्पादन के लिए दिमाग को पूरा विश्राम देना बहुत जरूरी था। जब पत्र-मुद्रण का दिन आता, तब सब लोग पारापारी 'सिलेण्डर मशीन' पर अपनी ताकत अजमाया करते, उस समय चाहे शर्म से कहो या संकोच से, मैं भी पत्र भाँजने (Folding) में लग जाता। एकाध सप्ताह तो मेरी सम्पादकी खूब रौनक पर रही, लेकिन दैवयोग से एक दिन महात्मा जी मेरी मेज के पास आ पहुँचे और केवल इतना ही कहकर चले गए-तुमको थोड़ा-थोड़ा टाइप बैठाने का काम भी सीखना चाहिए। बस, उसी दिन से मेरी आधी सम्पादकी गायब हो गई। सुबह से दोपहर तक एडीटर रहता और उसके बाद कम्पोजीटर बनना पड़ता। एक दिन 'सिलेण्डर मशीन' के चक्कर में भी आ फँसा। मशीन बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि कई पृष्ठ एक साथ ही दोनों ओर छप जाते। उसको घुमाने के लिए एक और यन्त्र था, जो तेल की ताकत से चलता था, किन्तु महात्मा जी ने उस यन्त्र को पेन्शन दे दी थी। उसकी आवश्यकता भी क्या थी, जबकि महात्मा जी स्वयं घड़ी सामने रखकर मशीन को घड़ीभर घुमाने का व्रत ले चुके थे। अस्तु, मुद्रण के दिन मैं नियमानुसार पत्र भाँजने में जुट गया। महात्मा जी एक युवक के साथ मशीन घुमा रहे थे। जब युवक का समय हो गया, तब महात्मा जी ने पुकारा - भवानीदयाल। मैं अपना नाम सुनकर भी मानो न सुना और अपनी धुन में मस्त रहा। अन्य युवक मेरा आंदर करते ही थे, अतएव उनमें से एक दौड़ गया, किन्तु महात्मा जी मुझे कहाँ छोड़ने वाले थे? उन्होंने युवक को फौरन से पेश्तर वापिस किया और दुबारा मुझे पुकारा। मैं समझ गया कि अब पिण्ड नहीं छूट सकता। इसलिए अपना सनातन धन्धा छोड़कर महात्मा जी के साथ मशीन घुमाने लगा। मेरी साँसों ने पाँच मिनट में ही टका सा जवाब दे दिया। महात्मा जी से मेरी अवस्था छिपी नहीं रही और उन्होंने पूछा- थक गए न?

'नहीं, अभी तो नहीं थका हूँ' कहकर मैं अपनी वीरता का बखान तो कर गया, किन्तु हृदय की जानता था कि उसकी क्या गति हो रही थी। मेरी वीरता का अनुचित उद्‌गार सुनकर भी महात्मा जी को दया आ ही गई और उन्होंने मेरी रिहाई कर दी। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में मैंने एडीटर, कम्पोजीटर और लेबरर की त्रिवेणी में स्नान कर अपने मिथ्याभिमान को धो बहाया।

***अच्छा अब मेरी रामकहानी सुनिए। मैं फिनिक्स आकर सम्पादकीय सिंहासन पर आसीन हुआ। कुछ लड़के मुझे 'एडीटर साहब' कहा करते, लेकिन न मालूम वे आदर के लिए ऐसा कहते अथवा व्यंग्य करने की उमंग में। पर मैं तो फूले नहीं समाता था, क्योंकि एक इतिहास-प्रसिद्ध पत्र का सम्पादक बन बैठा था। सब लोग टाइप बैठाया करते, लेकिन मैं अपनी सम्पादकीय कुर्सी से हिलना-डुलना पसन्द न करता। मैं भला टाइप में हाथ क्यों लगाऊँ, क्योंकि मैं तो सम्पादक ठहरा। सब लोग प्रातः चार बजे उठ जाया करते, किन्तु मैं सोकर उठता ठीक छह बजे; क्योंकि सम्पादन के लिए दिमाग...***

उधर रोग के आक्रमण से जगरानी का शरीर दिनोंदिन क्षीण ही होता गया। महात्मा जी उन्हें डरबन से उठा लाए। उठा इसलिए लाए कि उसमें चलने-फिरने की शक्ति नहीं थी। फिनिक्स तक तो वे रेलगाड़ी पर आई और स्टेशन से उन्हें एक छोटी सी हाथ-गाड़ी पर बैठाया गया। उस समय मेरी हैरानी की हद

नहीं रही, जब मैंने महात्मा जी को खुद गाड़ी खींचते हुए देखा। मैं लपककर उनके पास पहुँचा और बड़ी नम्रता से बोला– आप यह कर क्या रहे हैं, जबकि हम सब यहाँ मौजूद हैं?

साधु–हृदय से उत्तर निकला–कर रहा हूँ अपना कर्त्तव्य ! जब मैं थक जाऊँ तब तुम लोग आ जाना।

महात्मा जी से अब क्या कहता? जगरानी से धृष्टतापूर्वक बोला– क्यों जी, क्या तुम तीन मील भी पैदल नहीं चल सकती हो? महात्मा जी से गाड़ी खिंचवाना मानो पाप की गठरी बाँधना है। उनकी आँखों से टपाटप आँसू टपकने लगे और वे अधीर होकर बोलीं–मुझमें तो उठने–बैठने की भी शक्ति नहीं रह गई है। यदि मैं दिनभर में भी आश्रम पहुँच सकती, तो क्या मैं एक क्षण भी इस अवस्था को सहन कर सकती थी? मैं खुद लज्जा से गड़ी जा रही हूँ किन्तु क्या करूँ, बड़ी विवशता है। आश्रम पहुँचने पर महात्मा जी ने अपना वही रामबाण मिट्टी का पट्टा बाँधना शुरू किया और फल यह हुआ कि सात आठ दिन में जगरानी चलने–फिरने योग्य हो गई। उनकी बीमारी के वक्त बच्चे को माता कस्तूरीबाई सँभाल रही थीं। बच्चा भी उनसे खूब ही हिला–मिला हुआ था और परिचय भी कुछ पुराना था। मेरीत्सबर्ग की जेल में ही बच्चे को माता कस्तूरीबाई की गोद में खेलने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका था, अतएव अपनी माता की रुग्णावस्था में उससे भी अधिक स्नेहपूर्ण आश्रय पाकर वह तनिक भी कष्ट का अनुभव न कर सका ।

जिन लोगों ने महात्मा जी के स्वभाव का अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि शिशुओं पर महात्मा जी का कितना स्नेह–अनुराग है। इसलिए मेरे बच्चे–रामदत्त को भी महात्मा जी से प्रीति पैदा करने में देर न लगी। एक दिन की बात सुनिए– अनेक प्रतिष्ठित और राजनीतिज्ञ यूरोपियन आए हुए थे और महात्मा जी से वर्तमान समस्या पर गम्भीर, वार्तालाप हो रहा था। ठीक उसी समय रामदत्त कहाँ ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसे चोट आ गई। फिर तो रामदत्त ने न आव देखा ने ताव; न पिता के पास आया, न माता के पास गया– सीधे महात्मा जी के कमरे में पहुँचा और उनसे लिपटकर रोने लगा। विचार–सभा बाल–रुदन से गूंज उठी। महात्मा जी ने झट बच्चे को गोद में उठा लिया और कमरे में टहलना शुरू किया। बच्चा चुप हो गया और महात्मा जी उसी प्रकार टहलते हुए विचार–सभा में योग देने लगे। अहा! कितना विशाल हृदय और उसमें वात्सल्यता की कैसी अलौकिक आभा? यदि मैं होता तो महत्त्व के ऐसे वार्तालाप के समय बच्चे का कान पकड़कर जरूर बाहर निकाल देता और ऊपर से उसके संरक्षकों को भी दो–चार खरी–खोटी सुनाता, किन्तु महापुरुषों की छोटी–छोटी बातों में भी महानता का आभास पाया जाता है। गंगा और गड़ही में जो अन्तर है, क्या वहीं विशाल और क्षुद्र हृदय के मध्य में नहीं है?

तारीख 5 फरवरी को भारत सरकार के प्रतिनिधि सर बेंजमन रॉबर्टसन और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी मि. स्लेटर आश्रम में पधारने वाले थे। यह साहब मध्यप्रदेश के चीफ कमिश्नर थे और कमीशन के सामने साक्षी देने के लिए भारत सरकार की ओर से भेजे गए थे। उनके साथ एक बंगाली सलाहकार भी थे, जिनका नाम रायसाहब सरकार था। सरकार महोदय से तो मैं कई बार मिल चुका था, किन्तु आज खुद सर साहब से मिलने का अवसर था।

आश्रम के समस्त प्रवासी बेंजमन साहब के आगत–स्वागत के लिए स्टेशन पर गए, किन्तु मैं जान–बूझकर नहीं गया। जब महात्मा जी ने मुझे देखा तो पूछा– तुम स्टेशन क्यों नहीं गए?

मैं बोला–इसलिए कि आप नहीं गए।

'मैं नहीं जा सका तो नहीं सही, लेकिन तुमको तो जाना ही चाहिए था' यह आदेश मिला।

'अच्छा जाता हूँ' कहकर मैं स्टेशन की ओर रवाना हुआ। बीच रास्ते में सर और सेक्रेटरी को आते देखा। न मोटर थी न टमटम, सर साहब ऊँची–नीची ऊबड़–खाबड़ सड़क पर पैदल ही चले आ रहे थे।

पोलक साहब उनके साथ थे, और सब लोग उनके पीछे थे। पोलक साहब ने सर साहब को मेरा परिचय दिया, जिसका तात्कालिक फल हस्त मिलाप के रूप में प्रकट हुआ। मार्ग में पोलक साहब ने मुझ पर बीती हुई कानूनी–विपत्ति की सारी कहानी कह सुनाई। सर साहब

जब आश्रम में पहुँचे, तो महात्मा जी को फुर्सत नहीं थी–वे नन्हें–नन्हें बच्चों को जेवना जिमा रहे थे। इसलिए आपने सर साहब के आदर–सत्कार का भार पोलक साहब को दे दिया। आश्रम का दरस–परस करके जब सर साहब बिदा होने लगे, तब बड़ी कठिनाई से महात्मा जी उनसे मिलने का समय निकाल सके। इसका मुख्य कारण यह था कि महात्मा जी किसी के लिए भी अपने दैनिक कार्य–क्रम में कोई अन्तर आने देना उचित नहीं समझते थे।

आश्रम में खाने को वही सब वस्तुएं मिलती थीं, जिनका जिक्र एक बार हो चुका है। कोई सलोना अन्न खाता और कोई अलोना। मैं तो सलोने का ही सेवक था। महात्मा जी के छोटे पुत्र देवदास ने एक बार प्रण किया कि मैं सात दिन नमक नहीं खाऊँगा। इस व्रत के चौथे दिन पाकशाला में षट्रस भोजन देखकर उसका चित्त डिग गया और वह व्रत–भंग करने पर उद्यत हो गया, किन्तु देवदास की प्रार्थना महात्मा जी के सम्मुख स्वाभाविक रूप से अस्वीकृत हुई। बालक ने खाना छोड़कर रोना शुरू किया और भोजन की मेज से उठ गया। इधर महात्मा जी ने प्रतिज्ञा की–जब तक देवदास अपने व्रत पर अटल रहने का प्रण न करेगा और खुद आकर मुझसे यह नहीं कहेगा कि बापू जी तुम खाओ। और मैं भी अलोना भोजन करता हूँ, तब तक मैं अनशन–व्रत करूँगा। एक ओर बाल–हठ और दूसरी ओर पिता की प्रतिज्ञा। बालक ने हठ पकड़कर दोपहर को नहीं खाया और न पिता से खाने का अनुरोध किया–दोनों भूखे रहे। देवदास को बहुत समझाया गया, पर वह बाल–हठ से नहीं हटा। शाम को सत्याग्रह की जय हुई। बालक बहुत नत होकर पिता के पास पहुँचा और बोला–बापू जी ! मैं अलोना खाऊँगा। अब आप भी खाइए! तब पिता–पुत्र ने एक साथ बैठकर भोजन किया। किसी को शारीरिक यन्त्रणा देना महात्मा जी के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

एक दिन कुछ लड़कों ने डरबन से नमकीन भुजिया और मिठाई मँगवाई और आपस में बाँटकर खा गए। सबको यह ताक़ीद कर दी गई कि महात्मा जी के कानों तक यह बात न पहुँचने पाए। कहते लज्जा आती है कि इस षड्यन्त्र का नेता एक ऐसा व्यक्ति था, जो बालकों को शिक्षा देने के कार्य पर नियुक्त था । अन्त में भण्डा फूटा और भण्डा फोड़ने वाला देवदास के सिवाय दूसरा कोई नहीं था। वह खुद भी इस गुप्त–भोज में शामिल था, पर सत्य को छिपाए रखना उसके लिए कठिन हो गया। उसने महात्मा जी से सब बातें कह दी। शाम को सभा जुटी। सब लोग यथास्थान आ बैठे। महात्मा जी ने बारी–बारी सब से पूछना शुरू किया, लेकिन सबके सब नकार गए और ख़बर देने वाले को झूठा साबित करने लगे। उस समय महात्मा जी का मुख प्रदीप्त हो उठा और लोचन–युगल से सत्य की लपटें निकलने लगीं। उन्होंने कहा–ख़बर देने वाला तो झूठा नहीं है, किन्तु मुझ में ही सच्चाई की कमी है। यदि ऐसा न होता, तो मेरे सामने सत्य कहने में तुम्हें यह संकोच ही क्यों होता? इतना कहकर महात्मा जी अपने गालों पर दनादन तमाचे लगाने लगे। आह ! उस समय ऐसा मालूम हुआ कि मानो पृथ्वी फटना ही चाहती है और सब के सब रसातल पहुँचने ही वाले हैं। सत्य का स्वरूप प्रकट हो गया। बालकों ने अपराध स्वीकार किया और प्रायश्चित्त के लिए व्यवस्था माँगी।

जेल में तो मैं नग्न–स्नान करता ही था, किन्तु आश्रम में भी उसी नियम का पालन करना पड़ा। प्रेस के पास ही एक कुँआ था, वहीं पर स्नान के लिए युवकों का जमाव हुआ करता। सबके सब वस्त्र उतारकर नग्न हो जाते और क्रमागत स्नान करते। मेरे संकोच का बाँध तो जेल में ही टूट गया था, अतएव यहाँ युवकों से जल भरवाकर मैं खूब ही नहाता। तब से मुझे नग्न–स्नान की ऐसी आदत पड़ गई कि आज तक नहीं छूटी। केवल इतना अन्तर पड़ा है कि अब मैं आम तौर से नहीं, प्रत्युत घर बन्द करके एकान्त में नहा लिया करता हूँ। सुनते हैं कि हिन्दू–शास्त्रों में नग्न–स्नान का निषेध है। चाहे जो कुछ हो, किन्तु मुझे तो नग्न–स्नान से यह लाभ अवश्य है कि शरीर के समस्त अंगों को धोने का सुभीता मिल जाता है।

(दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव पुस्तक से साभार)

# आजादी के आंदोलन से उपजे हैं हमारे संवैधानिक मूल्य

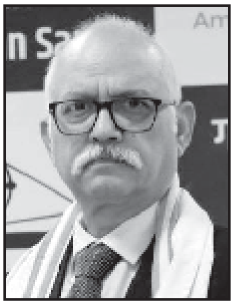

लक्ष्मीकांत गौड़

यद्यपि संविधान को 26 नवंबर, 1949 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की सक्षम अध्यक्षता में तैयार किया गया था, जिसे कई परामर्श प्रक्रियाओं, शोध और दुनिया के विभिन्न संविधानों के अध्ययन के बाद अनेक सत्रों और दिनों में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जाँच के बाद अपनाया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि इस संविधान में निहित संवैधानिक मूल्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उपज हैं। वे मूल्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साधन थे, ये वही मूल्य थे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमें परिभाषित करते हैं। मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि ये मूल्य हमारी अपनी संस्कृति और परंपराओं में निहित हैं।

**महात्मा गांधी और संवैधानिक मूल्य**

मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम कितनी बार उन मूल्यों पर वास्तव में विचार करते हैं जो हमारे लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व-ये केवल प्रस्तावना में लिखे शब्द नहीं हैं। यह वे आदर्श हैं जो हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रखते हैं और महात्मा गांधी से ज्यादा किसी ने इन मूल्यों को अपनाया या जिया नहीं। गांधी जी शाब्दिक अर्थों में संविधान निर्माता नहीं थे; वे संविधान सभा में खंड और अनुच्छेदों का मसौदा तैयार करने वाले नहीं थे। लेकिन उनके दर्शन और उनके कार्यों ने हमारे संविधान पर एक अमिट छाप छोड़ी।

सबसे पहले हम न्याय की बात करते हैं। गांधी जी के लिए, न्याय केवल अदालतों या कानूनों तक सीमित नहीं था। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत था - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उनका मानना था कि न्याय तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम उत्पीड़न को खत्म कर दें, चाहे वह ब्रिटिश शासन हो या हमारे अपने समाज में गहरी असमानताएँ। जातिगत भेदभाव को ही लें। गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ एक अथक अभियान चलाया, इसे 'हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा दाग' कहा। उनके असमानता विरोधी प्रयास हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में परिलक्षित होते हैं, जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है। इसी तरह, अनुच्छेद 14 और 15, जो समानता की गारंटी देते हैं और भेदभाव को रोकते हैं, गांधी के उस भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जहाँ हर व्यक्ति के साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाता है। अब, स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। गांधी जी

गांधी जी के लिए, न्याय केवल अदालतों या कानूनों तक सीमित नहीं था। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत था - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उनका मानना था कि न्याय तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम उत्पीड़न को खत्म कर दें, चाहे वह ब्रिटिश शासन हो या हमारे अपने समाज में गहरी असमानताएँ। जातिगत भेदभाव को ही लें। गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ...।

के लिए, स्वतंत्रता का मतलब केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं था।

यह स्वराज के बारे में था। स्वराज यानि एक गहरा स्व-शासन जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म-अनुशासन शामिल थे। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता दूसरों के प्रति और समाज के प्रति जिम्मेदारी से मिलती है। अनुच्छेद 19, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, और 51A, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच इस महीन संतुलन को दर्शाता है, जिसका गांधी ने समर्थन किया।

**बंधुत्व: एकता की भावना**

और फिर बंधुत्व है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका हम दैनिक बातचीत में अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसका सार गांधी के दर्शन में गहराई से निहित है। उनके लिए बंधुत्व का मतलब था एक दूसरे को एक बड़े परिवार के रूप में देखना। जो भाई-बहन की तरह परस्पर सम्मान और प्रेम से बंधे हों। गांधी ने जीवन भर बंधुत्व का पालन किया। जरा खिलाफत आंदोलन के दौरान उनके नेतृत्व पर विचार करें, जहां उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साझा उद्देश्य के लिए एक मंच पर एकत्र किया। यह केवल राजनीतिक गतिविधि नहीं थी, अपितु इसके माध्यम से गांधी जी ने यह दिखाया कि विविधता में एकता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है।

अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई बंधुत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। उन्होंने दलितों, जिन्हें वे हरिजन कहते थे, को मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करने के लिए अथक प्रयास किया। उनका मानना था कि अगर कोई राष्ट्र अपने लोगों के किसी भी वर्ग को हीन समझता है तो वह खुद को सभ्य नहीं कह सकता। संविधान ने बंधुत्व की इस भावना को खूबसूरती से व्यक्त किया है। संविधान की प्रस्तावना हमें "व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता" सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध करती है।

51A(e) जैसे अनुच्छेद, जो नागरिकों से सद्भाव को बढ़ावा देने का आग्रह करते हैं, गांधी के आदर्शों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं। लेकिन गांधी ने हमें याद दिलाया कि

बंधुत्व केवल कानूनों या नीतियों के बारे में नहीं है। इसे जीना होगा। उन्होंने एक बार कहा था, "दुनिया के साथ दोस्ती करना और पूरे मानव परिवार को एक मानना, जीवन का सुनहरा अध्याय है।" इसे आप वसुधैव कुटुम्बकम कह सकते हैं [अहम निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्] 'एक रिश्तेदार है, दूसरा अजनबी, ऐसा छोटी सोच वाले कहते हैं' 'पूरी दुनिया एक परिवार है, उदारता से जिएँ' यह एक ऐसा सबक है जिसकी आज इस नफरत और अविश्वास से भारी दुनिया में हमें सख्त जरूरत है,। इसी तरह हम दुनिया तक पहुँच रहे हैं। हाल के वर्षों में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' हमारी विदेश नीति की आधारशिला बन गई है।

**लोकतांत्रिक मूल्य और अहिंसा**

आखिरकार, गांधीजी की लोकतंत्र में अटूट आस्था ने आज हमारे व्यवहार को आकार दिया है। उनके नेतृत्व की विशेषता थी कि वे सब लोगों को साथ लेकर चलते थे -उन्होंने अलग-अलग लोगों को सुना, उनसे जुड़े और उनका सम्मान किया। सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध का उनका साधन सिर्फ विरोध का एक तरीका नहीं था। यह हर किसी को आवाज देने का एक तरीका था, खासकर हाशिए पर पड़े लोगों को।

हमारा संविधान सार्वभौमिक मताधिकार की गारंटी देता है। यह जाति, लिंग या धन की परवाह किए बिना हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। हमारा संविधान समानता और समावेश में गांधीजी के विश्वास को श्रद्धांजलि स्वरूप है।

**निरंतर विकास**

गांधी जी के आदर्श, संविधान के अपनाए जाने के बाद भी हमें प्रेरित करते रहे हैं। उदाहरण के लिए 73वें संशोधन को लें, जिसने पहले के अध्याय के भाग IX को बदलकर नए भाग IX को शामिल करके पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इससे ग्राम स्वराज- 'ग्राम स्वशासन' के विचार को अभिव्यक्ति मिली, जिसकी गांधीजी हमेशा बात करते थे।

**आज के दौर में प्रासंगिकता**

अब, आज यह सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि गांधी जी ने जिन मूल्यों को जिया और संविधान ने जिन मूल्यों को स्थापित किया, उनका हर दिन परीक्षण किया जा रहा है। हम बढ़ती असमानता, सांप्रदायिक तनाव या लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण के रूप में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए हमें गांधी के सिद्धांतों पर आज फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

बंधुत्व को ही लें। गांधी का मानना था कि भारत की शक्ति इसकी विविधता में निहित है। लेकिन आज, हम ध्रुवीकरण देखते हैं-चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक - जो हमें अलग करने की धमकी देता है। एकता, करुणा और संवाद का गांधी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1947 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान था, जब वे दंगा प्रभावित इलाकों में केवल प्रेम और समझ के साथ गए थे। या हम स्वतंत्रता के बारे में सोचें। ऐसे समय में जब आवाजों को अक्सर दबा दिया जाता है, गांधी का सोचने, बोलने और जिम्मेदारी से काम करने की आजादी पर जोर हम सभी के लिए आगे बढ़कर कार्य करने का आह्वान है। और न्याय? गांधी का एक ऐसे भारत का सपना जहाँ गरीबी और भेदभाव को मिटाया जाए, अभी भी अधूरा है। उनके शब्द 'प्रकृति के पास सबकी जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ न कुछ है पर किसी के लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है।' - हमें याद दिलाते हैं कि आर्थिक और सामाजिक न्याय हमारी नीतियों के केंद्र में होना चाहिए।

**निष्कर्ष**

अंत में मैं आपको कहना चाहता हूँ: गांधी के मूल्य केवल दूर से प्रशंसा करने के लिए आदर्श नहीं हैं। वे एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व-वे केवल संवैधानिक सिद्धांत नहीं हैं। वे जीवन जीने का एक तरीका हैं।

गांधी ने एक बार कहा था, 'आप कभी नहीं जान सकते कि आपके कार्यों का क्या परिणाम होगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई परिणाम नहीं होगा।' इसलिए, आइए हम अपने जीवन में इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले बड़े या छोटे कार्यों के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। आइए गांधी का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से करें।

(लेखक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं)

**हिन्दी अनुवाद - प्रवीण दत्त शर्मा**

# इमरजेंसी लाइट की तरह रोशनी दिखाता संविधान

उमेश चतुर्वेदी

भारतीय संविधान इमरजेंसी लाइट की तरह है। जब कभी हालात का घना अंधेरा देश के सामने उलझन जैसी स्थिति पैदा करते हैं, संविधान खुद-ब-खुद उजाला बन सामने हाजिर हो जाता है। संविधान के अंजोर में देश को सही राह दिख जाती है। आपातकाल जैसे एक-आध अपवादों को छोड़ दें तो पचहत्तर साल से यह संविधान हमारे लिए रोशनी की लकीर बना हुआ है। देश के सामने जब भी भटकाव जैसे हालात होते हैं, संविधान से ही आगे बढ़ने की राह निकल आती है।

भारत को स्वाधीनता देने वाले लॉर्ड एटली सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आजाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वह दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ चला जाएगा। लेकिन चर्चिल की इस चाहत को स्वाधीन भारत की मनीषा ओर लोकतंत्र ने ध्वस्त कर दिया। दुनिया के विकसित और बड़े माने जाने वाले लोकतंत्रों में भी संवैधानिक व्यवस्था लागू होने या स्वाधीनता के तुरंत बाद समानता के आधार पर वयस्क मतदान का अधिकार नहीं मिला। लेकिन महज 18.33 प्रतिशत साक्षरता वाला देश लोकतंत्र की मजबूत राह पर चल पड़ा। ये सब उपलब्धियां अगर भारतीय लोकतंत्र को हासिल हुई हैं, तो इसकी मजबूत बुनियाद भारतीय संविधान ने रखी। लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद पर भारत राष्ट्र की जो मजबूत इमारत खड़ी हुई है, वह मजबूत संवैधानिक बुनियाद के बिना संभव नहीं हो सकता था।

भारत को स्वाधीनता देने वाले लॉर्ड एटली सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आजाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वह दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ चला जाएगा। लेकिन चर्चिल की इस चाहत को स्वाधीन भारत की मनीषा ओर लोकतंत्र ने ध्वस्त कर दिया। दुनिया के विकसित और बड़े माने जाने वाले लोकतंत्रों में भी संवैधानिक...।

इसी भारतीय संविधान ने 26 नवंबर के दिन 75 साल की यात्रा पूरी कर ली है। 64 लाख रूपए के कुल खर्च और दो साल 11 महीने 18 दिन तक चली बहसों के बाद इसी दिन 1949 में देश ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। इसके ठीक दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को देश ने इसे लागू किया और तब से यह हमारी लोकतांत्रिक राष्ट्र यात्रा की आत्मा, धड़कन, रक्त बना हुआ है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को हमने संविधान के निर्माता के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन संविधान के निर्माण में 389 सदस्यों के साथ ही बीएन राव जैसे व्यक्तियों का योगदान कम नहीं रहा। भारत को आजादी देना जब तय

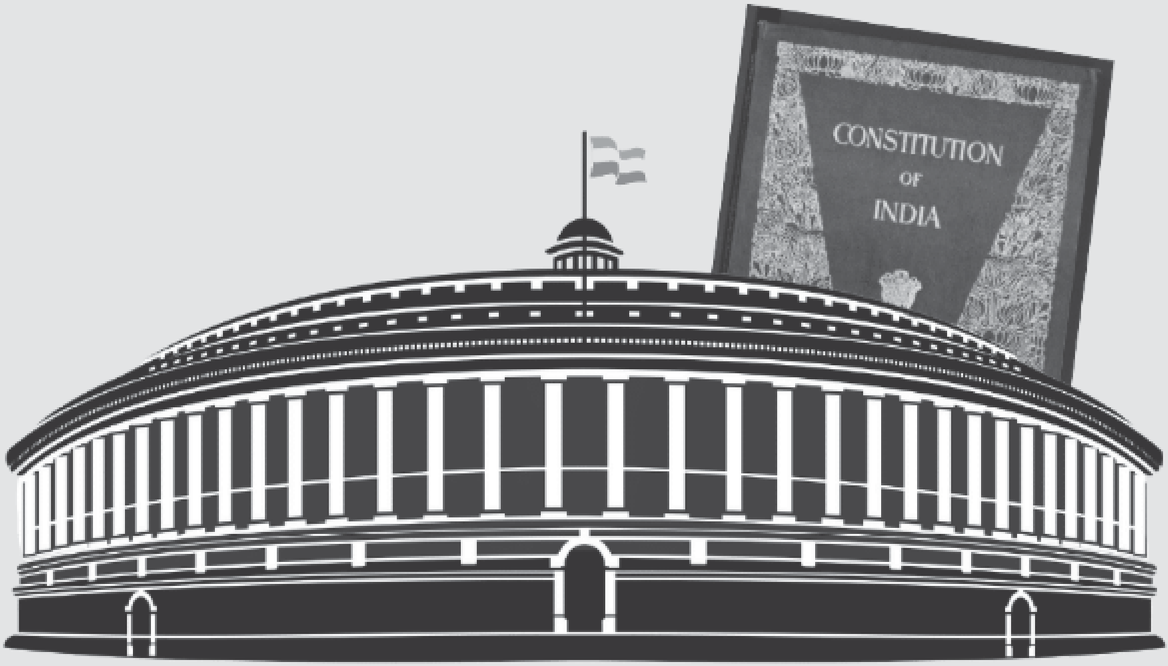


हुआ, उसके पहले पंडित नेहरू की अगुआई में एक अंतरिम सरकार बनी। उसी अंतरिम सरकार के मुखिया के नाते जवाहरलाल नेहरू और उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने कर्नाटक के जाने माने विधिवेत्ता बेनेगल नरसिम्ह राव यानी बीएन राव को विधि सलाहकार के पद पर नियुक्त करके संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी थी। मद्रास और कैंब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े राव 1910 में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए। साल 1939 में राव को कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 1944 में उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। भारत सरकार के संविधान सलाहकार के नाते उन्होंने वर्ष 1945 से 1946 तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि की यात्रा की और तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने 195 अनुच्छेद वाले संविधान का पहला प्रारूप तैयार करके संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. आंबेडकर को सौंप दिया।

29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की बैठक में कहा गया कि संविधान सलाहकार बीएन राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार कर उसे संविधान सभा में पारित करने हेतु प्रेषित किया जाए। संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते हुए 26 नवंबर 1949 को भीमराव आंबेडकर ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने संविधान निर्माण का श्रेय बीएन राव को भी दिया है।

भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ ही राज्यों और संघ के बीच शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत और नीति निर्देशक तत्व इन विशेषताओं में प्रमुख माने जाते हैं। मूल अधिकारों की व्यवस्था के साथ ही कानून के सामने सभी नागरिकों के बराबर होने की बात भारतीय संविधान की ताकत है। भारतीय संविधान कठोर भी है तो लचीला भी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं। कुछ जानकार इसे संविधान की कमजोरी बताते हैं तो कई के अनुसार यह संविधान की ताकत है। इन संशोधनों के बहाने तर्क दिया जाता है कि अपना संविधान जड़ नहीं है।

चाहे अच्छाई का संदर्भ हो या कमजोरी का, पूरी तरह अच्छा या बुरा होने का विचार हकीकत नहीं हो सकता। तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अध्यात्म, तीनों की मान्यता है कि पूर्णता का प्रतीक सिर्फ ईश्वर होता है, विचार या व्यक्ति नहीं। कुछ इसी अंदाज में भारतीय संविधान भी कुछ भारतीय विषयों को सही तरीके से चूक गया है। संविधान सभा की आखिरी बैठक के दिन संविधानसभा के सदस्य महावीर त्यागी ने सवाल पूछा था, 'अपने संविधान में कहां हैं गांधी जी, कहां है गांधी के विचार।' बेशक तब तक गांधी की हत्या हो चुकी थी,

लेकिन गांधी के विचारों की तासीर तब तक आज की तुलना में कहीं ज्यादा महसूस की जा रही थी। भारतीय आजादी हर भारतीय के संघर्ष का नतीजा है, लेकिन गांधी की अगुआई, उनकी वैचारिक रोशनी और रचनात्मक कार्यों के बिना आजादी की कल्पना भी बेमानी है। दिलचस्प यह है कि संविधान में महावीर त्यागी को गांधी के इन रूपों के दर्शन नहीं हो पाए। दरअसल गांधी भारतीय संविधान में देश की मूल इकाई गांव को बनाना चाहते थे, व्यक्ति को नहीं। भारतीय परंपरा में व्यक्ति की महत्ता तो है, लेकिन वह सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति की सामाजिकता का बेहतर रूप ग्रामीण समाज है। लेकिन गांधी के इस विचार को नेहरू ने ही नहीं, अंबेडकर ने भी नकार दिया। नकारने को लेकर दोनों के शब्द बेशक अलग थे, लेकिन उनका बोध एक ही था। दोनों का मानना था कि सदियों से बजबजा रहे गांव भारतीय लोकतंत्र को राह नहीं दिखा सकते।

संविधान सभा में कई मुद्दों पर सदस्यों के बीच तीखी बहसें हुईं। आज जिसे हम लोकशाही या नौकरशाही कहते हैं, उसके अधिकारों को लेकर भी तीखी बहस हुई। दिलचस्प यह है कि संविधान सभा के कई सदस्यों को ब्यूरोक्रेसी को संवैधानिक अधिकार संपन्न बनाने पर एतराज था। उनका मानना था कि वे वैसा ही काम करेगी, जैसा अंग्रेजी सरकार के दौरान करती थी। एम ए अयंगार जैसे वरिष्ठ और माननीय सदस्य ने नौकरशाही को वेतन और अधिकार की गारंटी देने पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जब आम आदमी को रोटी और कपड़ा की गारंटी नहीं है, तो उन अधिकारियों को गारंटी क्यों दी जाए, जो विदेशी सत्ता की कठपुतली थी। तब पटेल ने अधिकारियों को ताकत देने का बचाव करते हुए तर्क दिया था कि एक बार अफसरशाही स्थापित हो जाएगी तो अधिकारी बदलाव के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अधिकारी बदलाव को राजी हुए, क्या वे लोकोन्मुख हुए, क्या उनका व्यवहार पुराने जमींदारों, रजवाड़ों या अंग्रेजों जैसा नहीं है? अपवादों को छोड़ दें तो कितने अधिकारी ऐसे हैं, जो खुद को आम लोगों जैसा मानते हैं और विशेषाधिकार नहीं चाहते ?

भारत की भाषा समस्या का समुचित समाधान संविधान में नहीं दिखता। देसी होकर भी हिंदी अब भी दक्षिण और पूर्व के कुछ राज्यों के लिए स्वीकार्य नहीं बन पाई है और विदेशी अंग्रेजी इस देश की असल ताकतवर और राजभाषा बनी हुई है। हिंदी की जगह भारतीय भाषाओं की बात करने से हिंदी विरोध की आंच धीमी तो हो जाती है, लेकिन अंग्रेजी की ताकत नहीं घटती। अंबेडकर चाहते थे कि संस्कृत राजभाषा हो, लेकिन नेहरू के दबदबे के चलते अपनी राय को मजबूती से रख नहीं पाए।

सोचिए, अगर भारत में व्यक्ति की जगह गांवों को राज्य की इकाई माना गया होता तो क्या होता? संवैधानिक उपबंधों के चलते गांव हमारे विकास प्रक्रिया और शासन की इकाई होते। तब आज का भारतीय परिदृश्य बदला हुआ होता। भारतीयता की सोंधी गमक के साथ अंदरूनी पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं काबू में रहतीं। अधिसंख्य जनसंख्या गांवों में ही रहती। शहरीकरण तेज नहीं होता और जनसांख्यिकी दबाव से शहरी ढांचा चरमरा नहीं रहा होता। इसी तरह अगर अफसरशाही को संवैधानिक गारंटी नहीं मिली होती तो बराबरी का भाव कहीं ज्यादा होता, तब अफसरशाही माने भ्रष्टाचार नहीं होता, तब हर रोग की जड़ी और इलाज अफसरशाही को ही नहीं माना जाता। समाज और व्यवस्था की सबसे बड़ी योग्यता अफसरशाही नहीं होती, तब सामाजिक परिदृश्य बदला होता। इसी तरह भाषाओं को लेकर आए दिन होने वाली लड़ाइयों की गुंजाइश नहीं होती।

***दिलचस्प यह है कि संविधान सभा के कई सदस्यों को ब्यूरोक्रेसी को संवैधानिक अधिकार संपन्न बनाने पर एतराज था। उनका मानना था कि वे वैसा ही काम करेगी, जैसा अंग्रेजी सरकार के दौरान करती थी। एम ए अयंगार जैसे वरिष्ठ और माननीय सदस्य ने नौकरशाही को वेतन और अधिकार की गारंटी देने पर सवाल उठाते हुए पूछा था था कि जब आम आदमी को रोटी और कपड़ा की गारंटी नहीं है, तो उन अधिकारियों को गारंटी क्यों दी जाए, जो विदेशी सत्ता की कठपुतली थी।***

(लेखक प्रसार भारती से जुड़े हैं)

चिंतन

# भारत का संविधान

**मनीष जैन**

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करके दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला रखी गयी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संविधान सभा के सभी 284 सदस्यों (जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं) ने 24 जनवरी, 1950 को अंग्रेजी और हिंदी दोनों मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए। इनमें से कुल 46 सदस्यों ने हिंदी में हस्ताक्षर किए, जिनमें राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे।

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रेम बिहारी (इनका जन्म दिल्ली में 17 दिसंबर 1901 को एक कायस्थ सक्सेना पारंपरिक सुलेखक परिवार में हुआ था।) से फ्लोटिंग इटैलिक स्टाइल में (प्रवाहयुक्त तिरछी शैली) में संविधान लिखने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया। बस यही कहा– 'एक पैसा भी नहीं। मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखूंगा।' अंग्रेजी और हिंदी में हमारे संविधान की मूल पांडुलिपियाँ हाथ से बनाई गई थीं। अंग्रेजी संस्करण को ***प्रेम बिहारी नारायण रायजादा*** और हिंदी संस्करण को ***वसंत कृष्ण वैद्य*** ने अपनी उत्कृष्ट सुलेखन से लिपिबद्ध किया। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था और इसकी रचना में कुल 1,17,369 शब्दों का निवेश हुआ। आम भारतीय इसे पढ़ सके इसके लिए संविधान के हिंदी में अनुवाद की जिम्मेदारी डॉ. घनश्याम गुप्ता को दी।

अनुवाद के इस विशाल कार्य को संभालने के लिए कई भाषाविदों और कानून विशेषज्ञों वाली 41 सदस्यों की एक समिति चुनी गई।

***डॉ. घनश्याम गुप्ता*** का जन्म 18 दिसंबर 1885 को दुर्ग में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पूरी की।

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रेम बिहारी (इनका जन्म दिल्ली में 17 दिसंबर 1901 को एक कायस्थ सक्सेना पारंपरिक सुलेखक परिवार में हुआ था।) से फ्लोटिंग इटैलिक स्टाइल में (प्रवाहयुक्त तिरछी शैली) में संविधान लिखने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया। बस यही कहा– 'एक पैसा भी नहीं। मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि...।

डॉ. गुप्ता ने 24 जनवरी 1950 को संविधान का हिंदी संस्करण राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपा।

251 पन्नों के संविधान को हाथ से लिखने के बावजूद एक भी गलती या असंगति नहीं मिलना ये अपने आप में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की उत्कृष्ट लेखनी का सर्वोत्तम प्रमाण है।

***नंदलाल बोस*** का जन्म 3 दिसम्बर 1882 को बिहार राज्य के मुंगेर में हुआ था। आपकी राष्ट्रवादी दृष्टि, अद्वितीय कला कौशल और जबरदस्त लोकप्रियता निस्संदेह वे मुख्य कारण थे जिनके कारण संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के पृष्ठों को चित्रित करने के लिए उनसे संपर्क किया। और यह चित्र नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों द्वारा बनाए गए। इनमें 6 महिलाओं, जो उस समय शांतिनिकेतन में पढ़ रही थीं, ने सुंदर कलाकृतियों को डिजाइन करने में भी भाग लिया। वे हैं गौरी भांजा, जमुना सेन, निवेदिता बोस, अमला सरकार, बानी पटेल और सुमित्रा नारायण। संविधान में इनके हस्ताक्षर होने के बावजूद, इन महिला कलाकारों के बारे में बहुत कम जानकारी है। 22 बेहतरीन चित्रों से सजी जटिल और आश्चर्यजनक प्रबुद्ध

कलाकृतियाँ और बॉर्डर ने न केवल इस पथप्रदर्शक दस्तावेज को पीढ़ियों के लिए एक दृश्य आनंद बना दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि संविधान भारत की समृद्ध संस्कृति, विविध विरासत और शानदार अतीत की एक झलक के साथ इसके भविष्य की आकांक्षाओं को दर्शाये।

***ब्योहर राममनोहर सिन्हा*** शांति निकेतन के सबसे कुशल कलाकारों में से एक थे। उन्होंने "प्रस्तावना" पृष्ठ का चित्रांकन किया था। वे इतने विनम्र थे कि वे अपने काम पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे। हालाँकि, श्री नंदलाल बोस, जो इस परियोजना के प्रभारी थे, ने उनसे अनुरोध किया कि वे कम से कम उनके नाम पर हस्ताक्षर करें ताकि इतिहास इस महान कलाकार को याद रखे। उन्होंने देवनागरी लिपि में राम के नाम से हस्ताक्षर किए।

***कृपाल सिंह शेखावत*** ने संविधान की कला में भी योगदान दिया। उन्हें संविधान में प्रस्तावना के पाठ के चारों ओर खिली हुई डोरियों को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है।

संविधान की मूल पांडुलिपि (अंग्रेजी) 16X22 इंच के चर्मपत्र पर लिखी गई थी, जिसका जीवनकाल एक हजार साल है। तैयार पांडुलिपि में 251 पृष्ठ थे और इसका वजन 3.75 किलोग्राम था। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 पेन होल्डर निब्स (इन्हें इंग्लैंड और

चेकोस्लोवाकिया से मंगवाया गया था) घिस गई।

संविधान की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और नारे – 'सत्यमेव जयते' या सत्य की ही जीत होती है – के चित्रण से होती है। राष्ट्रीय प्रतीक मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित प्रसिद्ध सिंह स्तंभ से लिया गया है और यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक है।

भारत के संविधान के 22 भागों में से प्रत्येक को चित्रित किया गया है और इन 22 उत्कृष्ट चित्रों में समय की एक अकल्पनीय अवधि, विषय और कलात्मक शैलियों को दर्शाया गया है।

**भाग I: सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर**

एक प्रभावशाली जेबू बैल वाली मुहर और अग्रणी हड़प्पा या सिंधु-सरस्वती सभ्यता के हमारे शुरुआती पूर्वजों की अपठित लिपि में एक छोटा शिलालेख है।

भाग I – संघ और उसके क्षेत्र के शुरुआती पृष्ठ को सुशोभित करता है।

**भाग II: वैदिक आश्रम (गुरुकुल)-भारतीय शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग**

नागरिकता से संबंधित संविधान का यह भाग एक ऋषि के आश्रम में गुरुकुल के एक भावपूर्ण चित्रण से सुसज्जित है – शिक्षा का वह पवित्र द्वार जिसकी उत्पत्ति वेदों में पाई जाती है।

**भाग III: रामायण या रामकथा-भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य**

श्री राम, देवी सीता और श्री लक्ष्मण-भारत के शाश्वत नायक जो अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक हैं, रामायण के एक दृश्य को मौलिक अधिकारों में दर्शाया गया है।

**भाग IV: भगवद गीता-भारत का सबसे प्रसिद्ध गीत**

कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले श्री कृष्ण द्वारा किंकर्तव्यविमूढ़ अर्जुन को ज्ञान के अनंत सागर – भगवद गीता का उपदेश – राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कलाकृति का विषय है।

**भाग V: गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र चलाया - उनका पहला उपदेश**

प्रबुद्ध गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण-धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संघ को समर्पित भाग पंचम को सुशोभित करता है।

**भाग VI: महावीर स्वामी – अहिंसा के दूत**

संविधान का महत्वपूर्ण भाग जो राज्यों के साथ-साथ उनकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है, ध्यानमग्न वर्धमान महावीर की एक समृद्ध रंगीन कलाकृति से शुरू होता है – जो अहिंसा के प्रतीक और हमारे समय के अंतिम तीर्थंकर हैं।

**भाग VII: सम्राट अशोक द्वारा भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार**

अशोक का मिशन और यह सुनिश्चित करने के उनके प्रयास कि बुद्ध के शब्द और संदेश दूर-दूर तक पहुंचे, को संविधान के इस भाग में एक जटिल कृति में दर्शाया गया है।

**भाग VIII: विभिन्न चरणों में गुप्त कला विकास**

इस भाग में एक प्रारंभिक मंदिर जैसी संरचना, एक सुंदर और सुशोभित उड़ता हुआ यक्ष और समृद्ध रूप से चित्रित वनस्पतियों सहित विविध वस्तुएं एक साथ

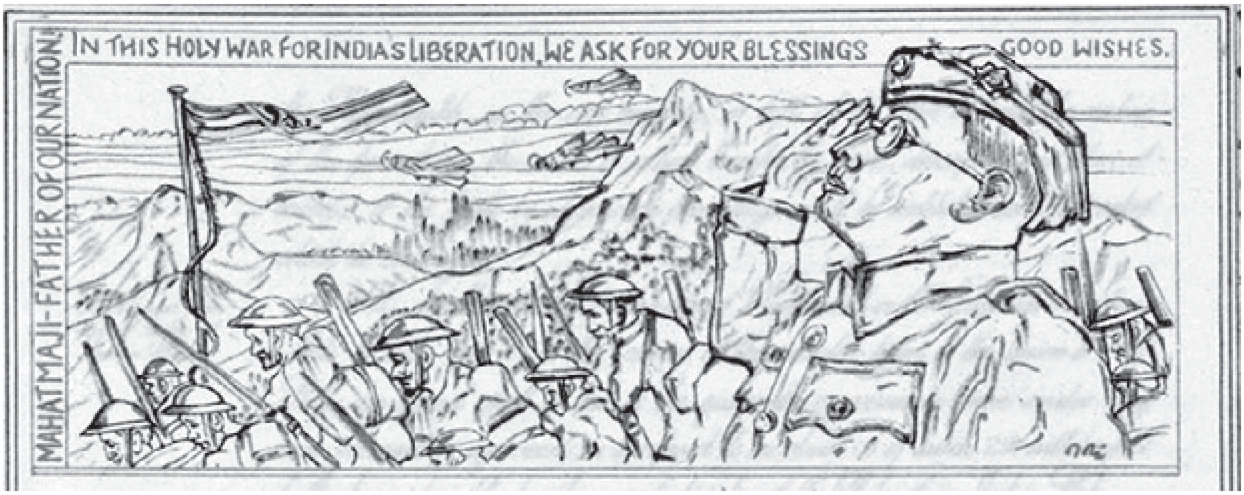


मिलकर स्वर्णिम गुप्त काल की शैली की विशेषता हैं।

**भाग IX: विक्रमादित्य का दरबार**

**भाग X: नालंदा महाविहार**

प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक – नालंदा महाविहार, जो 800 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा और सीखने का वैश्विक केंद्र था और अब यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, को इस भाग में दर्शाया गया है।

**भाग XI: उड़ीसा की मूर्तियां**

संविधान के इस भाग में एक उत्कृष्ट रचना, जिसमें एक सुंदर घोड़ा और अन्य आकृतियाँ शामिल हैं, ओडिशा के महान कलाकारों की प्रतिभा को श्रद्धांजलि है।

**भाग XII: नटराज और स्वस्तिक**

यह भाग वित्त, संपत्ति, वाणिज्य और मुकदमे से संबंधित है– यह हमें महान चोलों की कांस्य मूर्तियों के साथ उनके असाधारण वाणिज्य और व्यापार की याद दिलाता है। इसमें एक उल्टा स्वस्तिक भी है, जो शायद यह संकेत देता है कि वाणिज्य को चोल वाणिज्य की तरह सभी दिशाओं तक पहुंचना चाहिए।

**भाग XIII: महाबलीपुरम की मूर्तियां**

मामल्लापुरम में रहस्यमय, विशाल पल्लव नक्काशी (कम उभरा) कार्य जो गंगा के अवतरण या भगीरथ की तपस्या को दर्शाती है, इस भाग में चित्रित की गई है। यह नक्काशी (कम उभरा) कार्य महाबलीपुरम या मामल्लापुरम में स्मारकों के समूह का एक हिस्सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

**भाग XIV: मुगल शासक अकबर का दरबार**

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ सम्राट अकबर के दरबार के एक दृश्य से शुरू होती है जिसमें मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियाँ पृष्ठभूमि के रूप में काम करती हैं।

**भाग XIV: महान व्यक्तित्व**

वीर और महान मराठा राजा – छत्रपति शिवाजी महाराज और सिख परंपरा के निडर, अंतिम गुरु – गुरु गोबिंद सिंहजी, जिन्होंने खालसा की स्थापना की, को इस भाग में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो चुनावों से संबंधित है।

**भाग XVI: वीरता की मिसाल (ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह)**

खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अदम्य वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान, दो नेतृत्वकर्ता जिन्होंने भारत के शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस भाग में शामिल हैं।

**भाग XVIII: महात्मा गांधी का दांडी मार्च**

हमारे संविधान के भाग XVII और भाग XVIII में महात्मा गांधी के दो प्रतिष्ठित चित्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि हैं।

**भाग XVIII: शांतिदूत बापूजी – नोआखाली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में उनका दौरा।**

**भाग XIX: नेताजी सुभाष चंद्र बोस**

संविधान के इस भाग में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी देशभक्तों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में सुशोभित किया है।

**भाग XX व XXI: हिमालय एवं रेगिस्तान की**

**अद्वितीय प्राकृतिक विरासत**

भारत जो हमेशा अद्वितीय प्राकृतिक विरासत से भरपूर है। संविधान के भाग XX और XXI में क्रमशः गर्वित और राजसी हिमालय और शांत और विशाल रेगिस्तान की रेत को दर्शाने वाली आश्चर्यजनक और विचारोत्तेजक कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं।

**भाग XXII: सागर**

हमारे संविधान के इस भाग में दर्शाई गई नावें न केवल हमें उन अंतहीन महासागरों की याद दिलाती हैं जो हिंदुस्तान को सारे जहाँ से अच्छा बनाते हैं, बल्कि हम लोगों की अपनी सामान्य क्षमताओं की सीमाओं से परे जाने की शाश्वत खोज का भी प्रतीक हैं।

हमारे संविधान को सुशोभित करने वाली 22 कलाकृतियाँ वास्तव में संपूर्ण प्रकृति की नहीं हैं, लेकिन जब उन्हें अद्वितीय महत्व के इस दस्तावेज में एक साथ जोड़ा जाता है, तो वे भारत की विविध संस्कृति और कालातीत सभ्यता का एक आकर्षक चित्र प्रस्तुत करती हैं।

**भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं:**

**1. दक्षिणानी वेलायुद्ध**

04 जुलाई 1912 को कोच्चि में जन्मीं संविधान सभा की इस सदस्य का जिक्र बहुत आवश्यक है क्योंकि वे सभा की एकमात्र दलित महिला थीं। ये पुलया समुदाय से थी और शिक्षित होने वाले लोगों की पहली पीढ़ी में से थी। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह अपने समुदाय की पहली ऐसी महिला थीं जिन्होंने पूरे कपड़े पहने। वे भारत की पहली अनुसूचित जाति की महिला थीं जिन्होंने स्नातक किया था।

**2. सरोजिनी नायडू**

सरोजिनी का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। एकमात्र महिला, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है।

**3. राजकुमारी अमृत कौर**

उत्तर प्रदेश से राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा की सदस्य थीं। उनका संबंध कपूरथला के राजघराने से था।

अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1887 को बादशाह बाग, लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (तब उत्तर–पश्चिमी प्रांत), भारत में हुआ था। कौर का जन्म राजा सर हरनाम सिंह अहलूवालिया के घर हुआ था जो कपूरथला के राजा रणधीर सिंह के छोटे बेटे थे। हरनाम सिंह ने सिंहासन के उत्तराधिकार पर संघर्ष के बाद कपूरथला छोड़ दिया, वे अवध की पूर्व रियासत में सम्पदा का प्रबंधक बन गए, और बंगाल के एक मिशनरी गोलखनाथ चटर्जी के आग्रह पर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, सिंह ने बाद में चटर्जी की बेटी प्रिसिला से शादी की,

और उनके दस बच्चे हुए, जिनमें अमृत कौर सबसे छोटी और उनकी एकमात्र बेटी थी। कौर ने कभी शादी नहीं की थी।

### 4. लीला रॉय

आपका जन्म बंगाल प्रांत के ग्वालपाड़ा जिले में एक उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। लीला ने कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। आपके पिता गिरीश चंद्र नाग डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। संविधान सभा में असम का प्रतिनिधित्व करती थीं।

### 5. दुर्गाबाई देशमुख

दुर्गाबाई देशमुख बचपन से ही आंदोलनों में सक्रिय हो गयी थीं। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने गैर सहभागिता आंदोलन में भाग लिया था । उनका जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्रप्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था ।

### 6. विजया लक्ष्मी पंडित

18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में जन्मीं विजयलक्ष्मी पंडित देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। जिन्हें भारत में कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ।

### 7. मालती चौधरी

बंगाल की सशक्त महिलाओं में मालती चौधरी भी एक थीं। उनका जन्म साल 1904 में पूर्वी बंगाल( अब बांग्लादेश) के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने शांति-निकेतन से शिक्षा प्राप्त की थी।

### 8. रेनुका रे

4 जनवरी 1904 को जन्मी रेणुका के पिता संतोष चंद्र मुखर्जी आईसीएस अधिकारी और माता सामाजिक कार्यकर्ता चारुलता थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए किया था।

### 9. एनी मास्कारेन

एनी मास्कारेन संविधान सभा में केरल का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। वे एक कैथोलिक परिवार से थीं। त्रावणकोर राज्य में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता से हिस्सा लिया।

### 10. सुचेता कृपलानी

1908 में अंबाला में जन्मीं सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थीं।

### 11. पूर्णिमा बनर्जी

1911 में कालका, पंजाब में जन्मी पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की रहने वाली थीं। वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षिका और कार्यकर्ता अरुणा आसफ अली की छोटी बहन थीं। उनके पिता उपेंद्रनाथ गांगुली एक रेस्तरां के मालिक थे, जो पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) के बारीसाल जिले से थे, लेकिन संयुक्त प्रांत में बस गए। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित पूर्णिमा बनर्जी किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए जानी जाती थीं।

### 12. कमला चौधरी

कमला चौधरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं उनका जन्म 22 फरवरी 1908 को लखनऊ के एक समृद्ध परिवार में हुआ लेकिन पढ़ाई जारी रखने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आपने साहित्य की दुनिया में भी नाम कमाया, आधुनिक भारत के उद्भव के अलावा महिलाओं के अंतर्मन पर लिखने के लिए जानी जाती थीं।

### 13. हंसा जिवराज मेहता

हंसा संविधान सभा में पश्चिमी राज्य गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहीं थीं। हंसा का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा में हुआ था। हंसा ने इंग्लैंड से पत्रकारिता और समाजशास्त्र की पढ़ाई की थी।

### 14. बेगम एजाज रसूल

बेगम एजाज रसूल मुस्लिम समाज की एकमात्र महिला थीं, जो संविधान सभा का हिस्सा थीं। एजाज का जन्म 02 अप्रैल 1909 को रसूल मलेरकोटला (संगरूर, पंजाब) के राज परिवार में हुआ था।

### 15. अम्मू स्वामीनाथन

22 अप्रैल 1894 को केरल के पालघाट में जन्मीं अम्मू स्वामीनाथन एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं जो 1946 में संविधान सभा की सदस्य बनीं।

**संपर्क:**

मो. 9911092646

ई-मेल: manish.bk09@gmail.com

चिंतन

# गांधीजी के न्याय की अवधारणा एवं वैकल्पिक विवाद समाधान

संजीत कुमार

हम सभी महात्मा गांधीजी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका एवं उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता को पढ़ते एवं महसूस करते आए हैं परंतु उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे पहलू हैं जिसकी चर्चा कम की जाती है और उसमें से एक है बैरिस्टर के रूप में उनका जीवन और भारत में न्याय प्रणाली पर उसका प्रभाव। एक राजनीतिक व्यक्तित्व एवं दुनिया भर में मानव अधिकारों के रक्षा के प्रति अहिंसात्मक माध्यम से समाधान में उनकी भूमिका को सभी जानते हैं परंतु कानून के क्षेत्र में भी उनका योगदान अप्रतिम है एवं कई कानून की व्याख्या का आधार गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।

**कानून का अध्ययन:** गांधीजी 1887 ई० में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर 1888 ई० में कानून की पढ़ाई करने एवं बैरिस्टर बनने के मकसद से इंग्लैंड गए। वहाँ गांधीजी को इनर टेंपल में छात्र के रूप में भर्ती कराया गया। उन्होंने भारतीय कानून और न्यायशास्त्र के पाठ्यक्रमों के लिए यूनिवर्सिटी कालेज लंदन में भी दाखिला लिया। गांधीजी का वकील बनने का सपना चुनौतियों से भरा था क्योंकि शुरूआत में वह अपने सीमित अंग्रेजी के ज्ञान और लैटिन सीखने की आशंकाओं से झिझक रहे थे जो कि कानून की शब्दावली को समझने के लिए आवश्यक था पर उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया और 10 जून 1891 को कानून की परीक्षा पास की। परीक्षा पास करने के बाद भी उनके मन में कई चिंताएँ थी कि कानून तो पढ़ लिया पता नहीं वकालत कर भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि वे संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे और साथ में परिवार के उम्मीदों का बोझ भी उन पर था।

**गांधीजी का पहला मुकदमा:** भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने बंबई में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। यहाँ पर उन्होंने ममीबाई मुवक्किल का अपने जीवन का पहला मुकदमा लड़ा और उन्हें केवल तीस रूपये की फीस मिली। गांधीजी जब प्रतिवादी ममीबाई की ओर से पेश हो रहे थे तब काफी घबराए हुए थे और पूछने के लिए कोई सवाल नहीं सोच पा रहे थे और आखिरकार उन्होंने अदालत और मुवक्किल से माफी माँगी और कहा कि वह केस नहीं लड़ सकते और उन्हें दूसरे वकील रखने को कहा और फीस वापस कर दी। गांधीजी जल्दी अदालत से बाहर निकल

गांधीजी 1887 ई० में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर 1888 ई० में कानून की पढ़ाई करने एवं बैरिस्टर बनने के मकसद से इंग्लैड गए। वहाँ गांधीजी को इनर टेंपल में छात्र के रूप में भर्ती कराया गया। उन्होंने भारतीय कानून और न्यायशास्त्र के पाठ्यक्रमों के लिए यूनिवर्सिटी कालेज लंदन में भी दाखिला लिया। गांधीजी का वकील बनने का सपना चुनौतियों से भरा था क्योंकि शुरूआत में वह अपने सीमित अंग्रेजी के ज्ञान और लैटिन सीखने की आशंकाओं से झिझक...।

आए यह नहीं जानते हुए कि उनके मुवक्किल ने केस जीता या हारा है। बंबई में 6 महीने के निराशाजनक प्रवास के बाद गांधीजी ने अपनी वकालत राजकोट में स्थानांतरित कर दी। उन्होंने कहा था मैंने कानून तो पढ़ा था, लेकिन कानून का अभ्यास करना नहीं सीखा था यह वर्तमान परिवेश में भी दिखाई देता है जहाँ कानूनी शिक्षा के बाद भी अक्सर कानून के कई छात्र कानून की व्यावहारिक चुनौतियों के लिए ठीक से तैयार नहीं हो पाते।

1893 ई० में गांधीजी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से नौकरी की पेशकश स्वीकार करने के बाद दक्षिण अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी डरबन की एक फर्म थी जो उनकी कानूनी सेवाएँ चाहती थी। गांधीजी ने दादा अब्दुल्ला मामले में मुकदमेबाजी जारी रखने के बजाय मुकदमा मध्यस्थ के माध्यम से हल करने को दूसरे पक्ष को राजी किया और मध्यस्थ से अंततः दादा अब्दुल्ला के पक्ष में फैसला आया। गांधीजी अपनी सफलता से बेहद खुश थे और उन्हें भरोसा हो गया कि वे एक वकील के रूप में असफल नहीं होंगे।

**गांधीजी की न्याय की अवधारणाः** गांधीजी का मानना था कि किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। न्याय तक पहुँचने के लिए न्यायेतर तंत्र का सहारा लेने की बात पर विशेष जोर दिया। गांधीजी ने जमीनी स्तर पर न्याय प्रशासन के लिए पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया। उन्होंने न्याय प्रशासन में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया जिससे कि न्याय की समझ देश के विभिन्न भाषायी क्षेत्रों एवं लोगों तक आसानी से पहुँच सके और उनकी यह अवधारणा इस सिद्धांत पर भी बल देती है कि "न्याय किया नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए।"

देश में लोक अदालत की अवधारणा गांधी के सिद्धांतों को प्रतिपादित करती है जिससे दीवानी मुकदमों का तेजी से निस्तारण हो रहा है।

उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु शिक्षा की महत्ता पर विशेष बल दिया। गांधीजी ने शासन व्यवस्था में शक्ति के वर्गीकरण का समर्थन किया जो आज भारतीय शासन व्यवस्था की रीढ़ है।

उन्होंने लोगों को अपने कर्तव्यों के पालन पर ज्यादा जोर देने को कहा परंतु आज व्यक्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाकर लागू कर दिया गया है परंतु मौलिक कर्तव्यों को लागू करने योग्य नहीं बनाया है।

महात्मा गांधी का मानना था कि सभी लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए परंतु कानून उचित निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए।

गांधीजी ने न्याय में भारतीयकरण पर जोर दिया एवं सच्चाई से समझौता किए बिना अपनी वकालत की। उन्होंने अपने मुवक्किलों या गवाहों को भी झूठ न बोलने को प्रोत्साहित किया भले ही केस हार क्यूँ न जाए। इससे उनकी यह प्रतिबद्धता जाहिर होती है कि कानून और सत्य दोनों एक साथ चल सकते हैं। गांधीजी का यह प्रयास न्याय व्यवस्था में शुचिता स्थापित करने का एक सर्वोत्तम मानदंड माना जा सकता है जिससे आज सबको सीख लेनी चाहिए।

***1893 ई० में गांधीजी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से नौकरी की पेशकश स्वीकार करने के बाद दक्षिण अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी डरबन की एक फर्म थी जो उनकी कानूनी सेवाएँ चाहती थी। गांधीजी ने दादा अब्दुल्ला मामले में मुकदमेबाजी जारी रखने के बजाय मुकदमा मध्यस्थ के माध्यम से हल करने को दूसरे पक्ष को राजी किया और मध्यस्थ से अंततः दादा अब्दुल्ला के पक्ष में फैसला आया। गांधीजी अपनी सफलता से बेहद खुश थे और उन्हें भरोसा हो गया कि वे एक वकील के रूप में असफल नहीं होंगे।***

वकीलों को भी उनका संदेश था कि–"पेशेवर सुविधाओं की तुलना में सत्य और सेवा को प्राथमिकता दें तथा सरल भाषा में याचिका का मसौदा तैयार करें।"

न्याय के प्रति उनकी गहरी समझ एवं स्वतंत्रता के माध्यम के रूप में कानून की शक्ति में उनका विश्वास निम्न कुछ उद्धरणों से समझा जा सकता है:–

1. मैं कानून से प्रेम करना चाहता हूँ क्योंकि यह स्वतंत्रता का साधन है।

2. न्यायालय से भी उच्चतर एक न्यायालय है और वह है अंतरात्मा का न्यायालय यह अन्य सभी न्यायालयों से ऊपर है।

3. प्रेम जो न्याय देता है वह समर्पण है, कानून जो न्याय देता है वह दंड है।

4. न्याय का सच्चा प्रशासन अच्छी सरकार का सबसे मजबूत स्तंभ है।

5. एक अन्यायपूर्ण कानून अपने आप में हिंसा का एक प्रकार है इसके उल्लंघन के लिए गिरफ्तारी और भी ज्यादा हिंसा है।

**गांधीजी का वैकल्पिक विवाद समाधानः** अपने पेशेवर और सामाजिक जीवन दोनों में गांधीजी ने विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके की अवधारणा पर जोर दिया और उसका समर्थन किया। वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पारंपरिक मुकदमेबाजी का सहारा लिए बिना विवादों को हल करने का एक कानूनी तरीका है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में लोगों के सहयोग और सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ विवादों को कम करने में मदद करती है। यह एक गैर प्रतिकूल संघर्ष समाधान प्रक्रिया है जिसमें सभी पक्ष आपस में मिलकर एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के लिए काम करते हैं जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद होता है। यह पारंपरिक अदालतों के कार्यभार को कम करने में मदद कर सकता है और विवाद में सद्भावपूर्ण तरीके से समाधान के साथ लाभकारी परिणाम प्रदान कर सकता है।

गांधीजी का मानना था कि अदालती प्रक्रिया से बचा जा सकता है और कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष की हार से संतुष्ट नहीं हो सकता। वे विकेंद्रीकृत संघर्ष समाधान के समर्थक थे। भारत में लोक अदालत, औद्योगिक विवादों के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका, पंचायत प्रणाली, गांधीजी के सिद्धांतों पर ही आधारित है। मध्यस्थता करना, सुलह, बातचीत, लोक अदालत आदि वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके हैं। भारत में इसके लिए कानून मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, मध्यस्थता अधिनियम 2023, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है जिसमें मामले को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का नियम-कानून निहित है।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना कहते हैं कि हमें अपने अहंकार, भावनाओं, अधीरता को त्याग कर

व्यावहारिकता को अपनाना चाहिए। एक बार जब विवाद न्यायालय में पहुँच जाता है तो अभ्यास और प्रक्रिया में बहुत कुछ खो जाता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 40 वर्षों से अधिक समय तक कानूनी पेशे में रहने के बाद मेरी सलाह है कि आपको न्यायालय जाने के विकल्प को अंतिम उपाय के रूप में देखना चाहिए। इस तरह हम देख सकते हैं कि आज विवादों के निपटान हेतु गांधीजी के विचारों से उत्पन्न एवं देश में बने मध्यस्थता कानून के माध्यम से कई विवादों को भाईचारे के साथ मिल बैठकर सुलझाया जा सकता है।

**गांधीजी के न्याय की अवधारणा की वर्तमान समय में प्रासंगिकताः** गांधीजी ने न्याय के लिए क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया ताकि देश में विविधतापूर्ण भाषायी संरचना में सभी लोगों तक कानून की पहुँच हो सके। हालाँकि देश के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अभी भी अंग्रेजी है जिसके कारण कोर्ट में वादी को अपने मामले में ही लिए फैसलों को समझने में मुश्किलें आती है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सभी उच्च न्यायालय अपने-अपने प्रदेश की स्थानीय भाषा में जनहित के फैसलों का प्रामाणिक अनुवाद प्रकाशित कराएँ। आम जनों में कानून के प्रति सम्मान का भाव तभी बढ़ेगा और न्यायालय में जनता का विश्वास प्रगाढ़ होगा। हाल ही में औपनिवेशिक काल के कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलकर 01 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू कर दिया गया है जिससे कानून में भारतीयता के गांधीजी के सिद्धांतों की झलक मिलती है।

आज अदालतों में भी मुकदमों का अंबार है। गांधीजी के वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके मध्यस्थता, सुलह, बातचीत आदि से आपसी विवादों को न्यायालय के बाहर तेजी से सुलझाया जा सकता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी कर्मचारियों और मालिकों के बीच के विवादों को वहाँ क्रियाशील कार्य समिति, संयुक्त परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के साथ बैठकर शांतिपूर्ण समाधान खोजा जा सकता है जिससे औद्योगिक संबंध मजबूत होंगे और उत्पादकता बढ़ेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आनेवाले पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण विवाद, वैवाहिक विवाद, करार या समझौते से संबंधित छोटे-मोटे विवाद आदि का निदान बातचीत के माध्यम से हो सकता है।

लोक अदालत के द्वारा भी मामले को निपटाकर न्यायालय से मुकदमों का बोझ कम किया जा सकता है। वादी-प्रतिवादी दोनों पक्षों के वकील भी विवादों के समाधान में न्यायालय से इतर सुलह या बातचीत के माध्यम से हल निकाल सकते हैं।

वर्तमान समय में देश मे शुरू हुई न्यायालयों में भी विडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई ने सुदूर क्षेत्र में बैठे लोगों तक न्यायिक प्रक्रिया की पहुँच को आसान बनाया है। इंटरनेट के माध्यम से लोग मुकदमों की स्थिति, न्यायालय का आदेश, अगली तारीख आदि पता कर लेते हैं जिनसे उनकी कुछ परेशानियाँ जरूर कम हुई है परंतु न्यायिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता (AI) का भी इस्तेमाल कर व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है परंतु आज भी बहुत कुछ करने की जरूरत है जिससे न्याय की किरण समाज के अंतिम जन तक पहुँच सके और पैसे के बल पर अपराधी कानून के गिरफ्त से बच न सकें यही हिंदुस्तान के आम जनों की कानून के शासन से अपेक्षा है।

***आज अदालतों में भी मुकदमों का अंबार है। गांधीजी के वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके मध्यस्थता, सुलह, बातचीत आदि से आपसी विवादों को न्यायालय के बाहर तेजी से सुलझाया जा सकता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी कर्मचारियों और मालिकों के बीच के विवादों को वहाँ क्रियाशील कार्य समिति, संयुक्त परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के साथ बैठकर शांतिपूर्ण समाधान खोजा जा सकता है जिससे औद्योगिक संबंध मजबूत होंगे और उत्पादकता बढ़ेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आनेवाली ...।***

(लेखक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के प्रशासनिक अधिकारी हैं)

## विशेष

# महात्मा गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने की शताब्दी

रौशन कुमार शर्मा

भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक-दूसरे के समकालिक एवं पर्यायवाची रहे हैं। गांधी के जन्म के 16 वर्ष बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तत्कालीन समय में दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त विभेदकारी रंगभेद (अपरथायड) नीति के विरुद्ध अघोषित रूप से अपने पहले सत्याग्रह की आशातीत सफलता के उपरांत गांधी 45 वर्ष की अवस्था में अंतिम रूप से '9 जनवरी 1915' को भारत लौट आए थे। इसी कारण वर्तमान में यह दिवस 'प्रवासी भारतीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। विदित हो कि इसी दक्षिण अफ्रीका के पिटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर 7 जून 1893 को प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद गांधी को प्रिटोरिया (श्वाने) की यात्रा के दौरान ट्रेन से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था। भारत लौटने पर गांधी अपने राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर पूरे एक वर्ष तक भारतवर्ष की यात्रा करते हुए कोई सार्वजनिक बयान नहीं देते हैं। इस दौरान वे भारत एवं यहां की समस्याओं से जमीनी स्तर पर रूबरू होते हैं अपितु आत्मसाक्षात्कार करते हैं। इसप्रकार, भारतवर्ष की धरती पर गांधी का पहला सार्वजनिक संबोधन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के अवसर पर 4 फरवरी 1916 को वाराणसी में हुआ था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक 'सेफ्टी वाल्व' के रूप में अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ए. ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारतवर्ष के लोगों एवं औपनिवेशिक सत्ता के मध्य एक सेतु का निर्माण जिससे कि संवाद-सूत्र स्थापित किया जा सके। इसप्रकार, प्रत्येक वर्ष अपनी स्थापना दिवस 28 दिसंबर की तारीख के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किसी एक सुनिश्चित स्थान पर आयोजित किए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस अधिवेशन में देशभर के स्वतंत्रता सेनानियों का समागम होता था। अधिवेशन में देश में व्याप्त समस्त मुद्दों मसलन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यहां तक कि

गांधी के जन्म के 16 वर्ष बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तत्कालीन समय में दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त विभेदकारी रंगभेद (अपरथायड) नीति के विरुद्ध अघोषित रूप से अपने पहले सत्याग्रह की आशातीत सफलता के उपरांत गांधी 45 वर्ष की अवस्था में अंतिम रूप से '9 जनवरी 1915' को भारत लौट आए थे। इसी कारण वर्तमान में यह दिवस 'प्रवासी भारतीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया जाता था। साथ ही उनसे जुड़े प्रस्ताव एवं संकल्प पारित किए जाते थे। कुछ ही वर्षों में भारतवर्ष की आजादी की सूत्रधार कांग्रेस हो गई।

आजादी का सपना लिए महात्मा गांधी स्वदेश वापसी पर कांग्रेस एवं इसके रचनात्मक कार्यक्रमों से जुड़े। कुछ ही वर्षों में गांधी की रफ्तार कांग्रेस से भी तेज हो गई। महात्मा गांधी अब जनसमुदाय में गांधी महात्मा बन चुके थे। अपने 'मन-वचन-एकरूपता' सिद्धान्त की बुनियाद पर देशवासियों के मसीहा एवं अंतिम जन के आशा की केंद्रबिंदु बन चुके थे गांधी। दूसरे शब्दों में, वर्ष 1920 के बाद कांग्रेस समवेत स्वर में पूर्णरूपेण गांधी को अपना नेतृत्वकर्ता मान चुकी थी। ऐसे अनुकूल एवं उद्दात माहौल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाँव (बेलगावी) में 26-28 दिसंबर, 1924 को आहूत हुआ। जैसा कि कांग्रेस अधिवेशन की परंपरा थी, प्रत्येक अधिवेशन में एक अध्यक्ष का निर्वाचन होता था। इसी आलोक में मोहनदास करमचंद गांधी को बेलगाँव अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अधिवेशन का आयोजन बेलगांव के तिलकबाड़ी नामक स्थान, जो कि गोवा रोड (वर्तमान में कांग्रेस रोड) पर स्थित है, पर किया गया था। वर्तमान में इस स्थल को 'वीर सौधा' नाम से जाना जाता है। कर्नाटक सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थल को राजकीय स्मारक का दर्जा दे रखा है। अत्यंत शक्तिशाली हम्पी साम्राज्य के नाम पर अधिवेशन स्थल को 'विजय नगर' नामकरण से विभूषित किया गया था। 70 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार 'गोपुरम' बनाया गया था। इस अधिवेशन में देशभर से 17000 डेलीगेट आए हुए थे। पूरब में बर्मा (म्यांमार), पश्चिम में क्वेटा, उत्तर में कश्मीर एवं दक्षिण में केरल से लोग इस ऐतिहासिक अधिवेशन में शिरकत करने गए हुए थे। प्रख्यात खादी योद्धा कर्नाटक केसरी गंगाधर राव देशपाण्डे बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अधिवेशन का आमंत्रण उन्होंने ही गांधी को प्रेषित किया था। गांधी अधिवेशन से 6 दिन पहले बेलगांव पहुँच गए थे। वहां वे कुल 9 दिन रुके। उनके ठहरने के लिए खेमजीराव गोड्से द्वारा 350 रुपये की लागत से बांस एवं घास की झोपड़ी बनाई गई थी। यद्यपि अपने जैसे व्यक्ति के ठहरने पर इतना धनराशि खर्च किए जाने पर गांधी ने आपत्ति व्यक्त की थी। गांधी ने अपना काफी समय वहां कांग्रेस के दो समूह 'स्वराजियों' एवं 'यथास्थितिवादियों' के मध्य समन्वय स्थापित कराने में लगाया। साथ ही उन्होंने 'हूडाली' एवं 'होसुर' नामक खादी ग्रामों का भी दौरा किया था। काकीनाडा देशपाण्डे, सैफुद्दीन किचलू एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू बेलगांव अधिवेशन में सचिव नियुक्त किए गए थे।

देशभर से अधिवेशन में आए हुए डेलीगेट्स के पीने के पानी हेतु एक विहंगम 'पम्पा सरोवर' की खुदाई की गई थी। यह सरोवर स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित किया गया था। हास्यास्पद बात तो यह हुई कि इस सरोवर की खुदाई का विरोध रॉयल इंडियन आर्मी ने इस आधार पर किया था कि उनके स्विमिंग पूल का पानी कम हो जाएगा। अब तक अंग्रेजों को अच्छे तरीके से ज्ञात हो चुका था कि कांग्रेस अब वट वृक्ष का स्वरूप ले चुकी है। उनका 'सेफ्टी वॉल्व' का मंसूबा ढह चुका था। विदित हो कि आज भी बेलगांव के लोग ऐतिहासिक 'पम्पा सरोवर' का पानी पीने हेतु प्रयोग करते हैं। अधिवेशन में शामिल ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक साथ मुस्कुराते हुए कुशलतापूर्वक सफाई कार्य को अंजाम दिया था। विदित हो कि गांधी प्रायः कहा करते थे कि पखाने की सफाई सबसे बड़ी सेवा है। अधिवेशन में शामिल होने आए हुए लोगों के लिए गांधी के आग्रह पर प्रति डेलीगेट शुल्क राशि 10 रुपये से कम करके 1 रुपया कर दिया गया था। बावजूद इसके अधिवेशन 773 रुपये सरप्लस में रहा था। उपरोक्त बची हुई राशि में से 745 रुपये पी.यू.सी.सी. नामक बैंक में जमा कर दिया गया था। आकस्मिक निधि में 25 रुपये सचिव के पास रहने दिया गया एवं शेष बची हुई लघु राशि छोटे खर्च हेतु अधिवेशन के कोषाध्यक्ष एन. वी. हेरेकर के पास रहने दिया गया था। गांधी के पूर्ववर्ती कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। विदित हो कि कांग्रेस के 38वें अधिवेशन, जो कि काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) में आयोजित हुआ था, के समय गांधी पुणे के यरवदा जेल में कैद थे। बेलगांव अधिवेशन में

शामिल होने के लिए गांधी सीधे यरवदा जेल से यहां पहुंचे थे।

बेलगांव अधिवेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें 'कलकत्ता अग्रीमेंट' को पारित करने सम्बन्धी संकल्प पारित किया गया। इसमें कांग्रेस के 'स्वराजी' एवं 'यथास्थितिवादी' पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया था। अधिवेशन के अंतिम दिन गांधी ने अध्यक्षीय भाषण दिया था। यह भाषण पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। अपने कालजयी सम्बोधन में गांधी ने विभिन्न धार्मिक एवं भाषायी समूहों के मध्य सामंजस्य एवं सद्भाव की अपील की थी। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया था कि भारतवर्ष को शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त होगी। साथ ही देश में रह रहे वंचित समुदाय के लोगों विशेषतः अस्पृश्य लोगों को मुख्यधारा में लाए जाने एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का आह्वान किया था। इसके अलावा उत्कृष्ट सामाजिक सेवा एवं निःस्वार्थ भाव अर्जित करने की अपेक्षा की बात कही गई थी। गांधी ने अपने सम्बोधन में देशवासियों का शंखनाद किया था कि अपनी दिनचर्या में खादी वस्त्र अंगीकार करें। खादी एवं ग्रामोद्योग में इतनी ज्यादा संभावना है कि इससे भारतवर्ष आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें एक ऐसे समरस, समदर्शी, सम्पन्न समाज का निर्माण करना है जो जाति, वर्ग, लिंग, असमानता एवं कदाचार से मुक्त हो। उन्होंने सर्वांगीण विकास के मार्ग पर चलने के स्वप्न को साकार करने पर बल दिया था।

*यह भाषण पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। अपने कालजयी सम्बोधन में गांधी ने विभिन्न धार्मिक एवं भाषायी समूहों के मध्य सामंजस्य एवं सद्भाव की अपील की थी। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया था कि भारतवर्ष को शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त होगी। साथ ही देश में रह रहे वंचित समुदाय के लोगों विशेषतः अस्पृश्य लोगों को मुख्यधारा में लाए जाने एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का आहवान किया था। इसके अलावा उत्कृष्ट सामाजिक सेवा एवं निःस्वार्थ भाव अर्जित करने की अपेक्षा की बात कही गई थी।*

बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए गए, जो स्वतंत्रता संग्राम में आगे की दिशा में मार्गदर्शन करते थे। इसके कुछ प्रमुख संकल्प इस प्रकार थेः

**स्वराज्य का संकल्पः** इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य (पूर्ण स्वतंत्रता) प्राप्त करने का संकल्प लिया गया। गांधी जी ने स्वराज को मुख्य लक्ष्य के रूप में स्थापित किया, जिसमें भारतीयों का अपने ऊपर शासन का अधिकार था।

**अहिंसा का मार्गः** गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहिंसात्मक आंदोलन का मार्ग अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने हिंसा से दूर रहकर सत्य और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का संदेश दिया।

**अस्पृश्यता का उन्मूलनः** गांधी जी ने समाज में फैली अस्पृश्यता की कुप्रथा के खिलाफ एक मजबूत संकल्प लिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

**खादी और स्वदेशी वस्त्रों का प्रचारः** इस अधिवेशन में स्वदेशी वस्त्रों और खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया, ताकि विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सके।

**हिंदू-मुस्लिम एकताः** गांधी जी ने भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूती देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता का समर्थन किया और विभाजनकारी तत्वों से सावधान रहने की अपील की।

**सामाजिक सुधारः** अधिवेशन में जाति-पांति और अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई। सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज में समानता और न्याय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

इस प्रकार, बेलगांव अधिवेशन में पारित इन संकल्पों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस और जनता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य किया। गांधी जी की अध्यक्षता में किए गए ये संकल्प आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक बेलगांव अधिवेशन इस मन्तव्य के साथ सम्पन्न हुआ कि अगले एक वर्ष तक कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों को जनमानस के मध्य प्रचारित-प्रसारित किया जाए। परिणामस्वरूप, कांग्रेस का स्वतंत्रता का संकल्प मेरठ (उत्तर प्रदेश) में वर्ष 1946 में आयोजित 52वां अधिवेशन तक अहर्निश चलता रहा। तब जाकर अपनी स्थापना के 61 वर्ष 7 माह 17 दिन के अहिंसक संघर्ष उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारतवर्ष को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति मिली थी। विदित हो कि यह वही क्रूर, अमानवीय, अराजक ब्रिटिश सत्ता थी जिसके बारे में इस हद तक भ्रामकता पैदा की गई थी कि इस साम्राज्य के अधीन सूर्यास्त नहीं होता है अर्थात इसके उपनिवेशों का विस्तार उत्तर से दक्षिण गोलार्द्ध तक विस्तृत था। ब्रिटिश कवि रुडयार्ड किपलिंग जैसे ब्रिटिश सत्ता के प्रचारकों ने 'व्हाइटमेंस बर्डेन' कविता की आड़ में औपनिवेशिक सत्ता को वैधता प्रदान करने का प्रयास किया था। भारतवर्ष की आजादी के नायक गांधी के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अधनंगा फकीर जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया ताकि हमारी आजादी के संघर्ष के इकबाल को नैतिक रूप से कुंद किया जा सके। बावजूद इसके 'साबरमती के संत' ने अपने आदर्श, मूल्य, नैतिकता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव को साक्षी मानते हुए पूर्णतया अहिंसक तरीके से विश्व के महानतम स्वतंत्रता संग्राम को आशातीत सफलता प्रदान करते हुए औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध दुनिया भर में एक प्रतिमान स्थापित किया था। आज सम्पूर्ण विश्व में प्रति वर्ष गांधी जयंती '2 अक्टूबर' के पावन अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 'विश्व अहिंसा दिवस' के रूप में मनाई जाती है। इसप्रकार, गांधी ने अपने अध्यक्षीय नेतृत्व कौशल एवं 'मन-वचन-कर्म' की एकरूपता से साकार किया कि हर दौर में ऐसे लोग जन्म लेते रहे हैं जो कर्म पर फिदा होना अपना ईमान समझते हैं।

**संपर्कः**
मो. 7557668970

**विमर्श**

# सत्याग्रह और गांधी

**आरती स्मित**

'सत्याग्रह' शब्द-विच्छेदन से अर्थ प्रकट होता है-सत्य का आग्रह। निहितार्थ - सत्य को धारण करना अर्थात् मन, वचन, कर्म से किसी को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाना; किसी को शत्रु मानकर उसके प्रति हानि के बुरे भाव-विचार को प्रश्रय न देना, साथ ही अन्याय, अनाचार, अत्याचार और असत्य के विरुद्ध असहमति जताते हुए विनयपूर्वक विरोध प्रकट करना। यानी कि सत्य पर चलने, सत्य पर टिके रहने, और धीरे-धीरे क्रमशः सत्यस्वरूप व्यक्तित्व हो जाने की टेक ही 'सत्याग्रह' है। यही टेक मुनिया, मोहन से लेकर बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता संबोधन पाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन में साकार दिखता है, जिनके लिए 'गांधी' शब्द रूढ़ हो गया। सत्य के जितने प्रयोग उन्होंने किए, जिन रूपों में किए, अन्यत्र दुर्लभ है। यही दुर्लभता उन्हें अजेय बनाती है। सत्य के प्रति यह आग्रह तो उस 'मुनिया' में छुटपन से ही आरंभ हो गया, जब अपने पाँचवें जन्मदिन की सुबह, अपनी बीमार और उपवास रखी माँ पुतलीबाई द्वारा व्रत की शर्तों को समझते हुए कि जब तक सूरज नहीं निकलेगा, माँ अन्न-जल ग्रहण नहीं करेगी, बालसुलभ बुद्धि लगाना और बड़ी बहन रलियत के साथ मिलकर माँ को झूठ-मूठ विश्वास दिलाना कि सूरज निकल गया है, मगर माँ द्वारा समझाना कि 'उनके कहे झूठ का उद्देश्य और भाव सच्चा होने पर भी झूठ को सच नहीं माना जा सकता। झूठ झूठ ही होता है।' इस जरा-सी घटना ने मोहन के नन्हे मन को सत्य के प्रति आग्रही और दृढ़ संकल्पी बनाया, जिसका पालन वे आजीवन करते रहे, जबकि अपनी सच्चाई के कारण जाने कितनी ही बार वे अपने स्कूल में मुसीबत में पड़े, निर्दोष होकर भी सजा पाई, मगर सच की टेक न छोड़ी। यह टेक समय के साथ दृढ़ होती गई। उनकी बाल्यावस्था/किशोरावस्था से जुड़े कितने ही तो प्रसंग हैं जहाँ सत्य पर टिके रहने की उनकी दृढ़ता हैरान करती है, फिर चाहे वह विपिन वाला प्रसंग हो या सर जिमी और खुद को अस्पृश्य मानने वाले हट्टे-कट्टे नवयुवक से जुड़ा प्रसंग या कि करसन को मुसीबत से बचाने के लिए माता-पिता को बिना बताए उसके ही कड़े से जरा-सा सोना कटवाकर, उसे बेचकर करसन द्वारा लिए ऋण चुकाने का किस्सा, जिसे पिता से सच-सच बताकर ही वे चैन पा सके थे। यहाँ तक कि बचपन में माधव के साथ मिलकर चाचा के जूठे सिगरेट के टुकड़े

'सत्याग्रह' शब्द-विच्छेदन से अर्थ प्रकट होता है-सत्य का आग्रह। निहितार्थ - सत्य को धारण करना अर्थात् मन, वचन, कर्म से किसी को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाना; किसी को शत्रु मानकर उसके प्रति हानि के बुरे भाव-विचार को प्रश्रय न देना, साथ ही अन्याय, अनाचार, अत्याचार और असत्य के विरुद्ध असहमति जताते हुए विनयपूर्वक विरोध प्रकट करना।

बटोरने, छुपकर पीने, सिगरेट के लिए पैसे चोरी करने और आत्महत्या की बालसुलभ तैयारी करने और अपने कमजोर शरीर को मजबूत बनाकर अंग्रेजों से लड़ने की महताब की बात मानकर, उसके उकसाने पर माँस का टुकड़ा मुँह में डालने, उगलने तक का किस्सा उन्होंने स्वयं जगजाहिर कर दिया मानो अपने मन से चिपके इन काले अंशों को उजागर करके ही उन्होंने सत्य का पूर्ण आलोक पाया हो और सुकून पाया हो। सत्य पर टिका रहने वाला प्राणी आत्मबली होता है। इसका सटीक उदाहरण और प्रमाण गांधी का पूरा जीवन है। चाहे वह जहाज यात्रा के दौरान संवाद का हो, इंग्लैंड के अध्ययनकाल का या कि दक्षिण अफ्रीका एवं स्वदेश में घटित छोटी-बड़ी घटनाओं और आंदोलनों का, गांधी की सत्यनिष्ठ दृढ़ता विश्व भर में मिसाल बन गई। कई बार घटना इतनी छोटी होती है, जिसे नोटिस भी नहीं किया जाता, मगर जब ऐसी छोटी-छोटी कड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं तो नजर आती है मजबूत जंजीर, ऐसी ही एक कड़ी थी इंग्लैंड जाते हुए सहयात्री अंग्रेज की सलाह पर दुबले-पतले साँवले, कमजोर से दिखते गांधी की प्रतिक्रिया -"माफ करें, मैं माँ को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। जिस दिन मुझे लगेगा कि बिना माँस खाए इंग्लैंड में जीना असंभव है तो तुरंत हिंदुस्तान वापसी के लिए जहाज पकड़ लूँगा।" और हैरान अंग्रेज ने इस हिंदुस्तानी के दुबले शरीर को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा, फिर कहा था-"वेरी गुड! भविष्य में तुम जरूर एक महान आदमी बनोगे। गुड लक।"

सत्य की राह इतनी सरल होती तो भीड़ उस राह पर चलती नजर आती, जिसका सपना गांधी ने बाद के दिनों में देखा था और जो कभी पूरा न हो सका; जो बार-बार आंदोलन की असफलता की नींव बना। सत्याग्रही जीवन की पहली शर्त है-स्वार्थसिद्धि या लोभ के लिए कोई जगह न होना। भौतिक संसाधनों का संग्रह अहंकार को जन्म देता है और अहंकार अविवेक को; अविवेक भेदभाव की लकीर को चौड़ी किए चलता है। दूसरों (गरीब या दलित) को तुच्छ और स्वयं को श्रेष्ठ समझना सत्याग्रह की नीति के विरुद्ध है। ऐसे दोषों से घिरे लोग वाचिक-कायिक हिंसा न भी करें तो भी मानसिक रूप से हिंसक होते हैं। सत्य का व्यावहारिक रूप ही अहिंसा है।

गांधी कहते हैं : "'सत्याग्रह' शब्द का उपयोग अक्सर बहुत शिथिलतापूर्वक किया जाता है और छिपी हुई हिंसा को भी यह नाम दे दिया जाता है। लेकिन इस शब्द के रचयिता होने के नाते मुझे यह कहने की अनुमति मिलनी चाहिए कि उसमें छिपी हुई अथवा प्रकट, सभी प्रकार की हिंसा का, फिर वह कर्म की हो या वाणी की, पूरा बहिष्कार है। प्रतिपक्षी का बुरा चाहना या उसे हानि पहुँचाने के इरादे से उससे या उसके बारे में बुरा बोलना सत्याग्रह का उल्लंघन है। सत्याग्रह एक सौम्य वस्तु है जो कभी चोट नहीं पहुँचाता। उसके पीछे क्रोध या द्वेष नहीं होना चाहिए। उनमें शोरगुल, प्रदर्शन या उतावलापन नहीं होता। वह जबरदस्ती से बिलकुल उलटी चीज है। उसकी कल्पना हिंसा से उलटी, परंतु हिंसा का स्थान पूरी तरह भर सकने वाली चीज के रूप में की गई है।"

गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निजी तौर पर जो पीड़ा सही, उसे अवाम की पीड़ा से मुक्ति के लिए ऊर्जा बना दिया। वे ज्यों ज्यों सत्य के प्रयोग करते गए, सत्य को साधते गए, निजता से मुक्त होते गए। सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने स्वयं को जीता, क्रोध को जीता, विवेकी हुए और अपने हर संकल्प, हर निर्णय को सत्य की कसौटी पर परखने के बाद उसे साकार रूप देने के लिए हठी बने। यही हठ सत्याग्रह आंदोलनों में दिखता है। उन्होंने कहा था, "सत्याग्रह सीधी कार्रवाई के अंतर्गत अत्यंत बलशाली उपायों में से एक है, इसलिए सत्याग्रही सत्याग्रह का आश्रय लेने से पहले और सब उपाय आजमाकर देख लेता है।" साथ ही, उन्होंने यह भी कहा, "जब उन्हें (सत्याग्रही को) अंतर्नाद की प्रेरक पुकार सुनाई देती है और वह सत्याग्रह छेड़ देता है, तब वह अपना सब कुछ दाँव पर लगा देता है और पीछे कदम नहीं हटाता।"

उन्होंने यह भी कहा, प्रयोजन उपस्थित होने पर सारा ही देश मानवजाति की प्राणरक्षा के लिए स्वेच्छा-मृत्यु का आलिंगन करे। उसमें जाति-द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है।"

ऐसे ही विचार युवा क्रांतिक्रारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह की वाणी से ध्वनित होते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद देश के नवयुवकों के रक्त में उबाल लाने के लिए ही बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बलिदान का मन बना लिया और जानबूझकर ऐसे बम फेंका, जिससे किसी जान की क्षति न हो और बम फेंककर भागने के बजाय दृढ़तापूर्वक खड़े रहे, यह जानते हुए भी कि ब्रिटिश अदालत उन पर कई झूठे मुकदमे चलाएगी। और वही

हुआ। जब उन पर दशहरा बम कांड का इल्जाम लगाया गया तो उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया दी थी, "हमारे जैसे विचार वाले लोग बेकसूर जनता पर बम नहीं फेंका करते।"

फाँसी की सजा सुनकर भी कोई भय घर नहीं कर पाया। उन्हें अपना जीवन सार्थक लगा। उनके कहे शब्द हैं-"मेरे लिए इस खयाल के अलावा और क्या राहत हो सकती है कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा हूँ।"

गांधी ने जो कहा, उसे जीवन में उतारकर प्रमाणित किया और जो किया, वही समाज को व्यावहारिक उदाहरण से समझाया। उनकी दृष्टि में सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण अंग था-स्त्री शक्ति को वह सम्मान देना, जिसकी वह अधिकारिणी थी। सत्याग्रह के लिए सृष्टि की महत् इकाई के रूप में स्त्री की उपस्थिति को स्वीकारते हुए उन्होंने अपने बराबर नहीं, अपने से आगे रखते हुए चलने की बात कही। स्त्री-पुरुष मिलकर पूर्ण इकाई बनते हैं, यह सत्य उन्होंने परिवार, समाज के स्वस्थ निर्माण के लिए ही नहीं, जीवन के हर पड़ाव पर हर संघर्ष में अजेय होने की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया। ध्यान दें तो पाएँगे कि उनसे पहले या उनके समकालीन समाज सुधारकों ने भी नारी की स्थिति में सुधार की कोशिश की और एक हद तक सफल भी हुए, किंतु गांधी नारी-शक्ति को जगाने, उन्हें अपने आपको पहचानने, सम्मान की हकदार मानने और आंदोलन में स्वयं आगे आने की क्षमता पर विश्वास कराने की कोशिश करते रहे। वे मानते थे, यह लड़ाई स्त्री-शक्ति के सहयोग के बिना जीती नहीं जा सकती। इसलिए, छात्र जीवन में, महताब के साथ अंग्रेजों से खिलाफत के मंसूबे बाँधती संस्था में जब उन्होंने स्त्री की भागीदारी नहीं देखी तो उनकी सफलता पर उन्हें शक रहा। वे मानते थे, स्त्री का वांछित साथ पुरुष को मर्यादित रखता है और उसे कमजोर नहीं पड़ने देता। यही कारण था कि दक्षिण अफ्रीका में हिंदू विवाह की मान्यता को नेटाल सरकार द्वारा खारिज किए जाने वाले कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन को व्यापक और सफल बनाने के लिए उन्होंने हर तबके की भारतीय स्त्रियों का आह्वान बा को प्रेरक माध्यम बनाकर किया और प्रतिनिधित्व का दायित्व भी बा को ही उठाने दिया। वे मानते थे कि स्त्रियाँ अपने सत्याग्रह से नेटाल सरकार और अदालत को हिलाकर रख देंगी। आंदोलन के प्रति स्त्रियों का समर्पण और बलिदान का भाव इतना प्रखर था कि आंदोलन मुखर होता गया और उसकी सफलता ने विश्व को चौंका दिया। बापू का विश्वास जीत गया। भारतीयों के परिवार कानून को स्वीकारा गया। ऐसा कानून बना कि अँगूठे के निशान वाला 'आवास प्रमाण पत्र' ही काफी है। मजदूरों के ऊपर से तीन पाउंड का टैक्स भी हटा दिया गया। इस बड़ी जीत के बाद उन्होंने कहा था-"यह विश्व का पहला अनूठा सत्याग्रह है, जिसमें स्त्री-शक्ति का ऐसा रूप सामने आया। यह सत्याग्रह पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा।"

सत्य के प्रति हठ उनकी वकालत के पेशे में भी झलकती है और जुलू विद्रोह के दौरान घायलों की सेवा के लिए सेवादल के गठन में भी। दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के और बाद के भी एकमात्र ऐसे वकील, जो झूठा मुकदमा लड़ने से मना कर दे, वे गांधी ही थे। इसलिए एक बार जब केस लड़ने के दौरान उन्हें पता चला कि उनके मुवक्किल ने उनसे झूठ कहा है, उन्होंने अदालत में माफीनामे के साथ केस को बीच में ही छोड़ दिया और अपने उस झूठे मुवक्किल (जिसने सचमुच चोरी की थी) को बहुत फटकारा। चोर के कहने पर कि 'आखिर मुझे भी तो जीना है।' बैरिस्टर गांधी ने व्यंग्य से पूछा, "तो तुम्हें भी जीना है! लेकिन क्यों?" गांधी का यह क्यों चोर को बेशक समझ नहीं आया, मगर सत्यपंथी, सत्यान्वेषी बैरिस्टर के इस 'क्यों' ने कई को सोचने पर मजबूर कर दिया। मिसेज ग्राहम ने जब यह घटना सुनी तो वह भी उनके 'क्यों' पर देर तक विचारती रह गई थीं। गांधी की दृष्टि में झूठ बोलकर या अनैतिक तरीके से अर्जित धन से जीवनयापन करने से बेहतर था न जीना। यह था उनका सत्याग्रह जो व्यक्ति के निजी जीवन से होकर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में सकारात्मक बदलाव लाने का एकमात्र निश्चित मार्ग था, जिस पर चलकर ही विश्व बंधुत्व और शांति का उद्देश्य पूरा हो सकता था। उनके कथन पर विचार करने की जरूरत आज भी है-- "सविनय अवज्ञा नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। वह अपने इस अधिकार को अपना मनुष्यत्व खोकर ही छोड़ सकता है। सविनय अवज्ञा का परिणाम कभी अराजकता में नहीं आ सकता।"

इसमें तो दो राय नहीं कि सत्याग्रह प्रतिकारात्मक हिंसा की जगह, समर्पण, आत्म-परीक्षण और चेतना के निरंतर विकास का मार्ग है। गौर करें तो पाएँगे कि गांधी ने

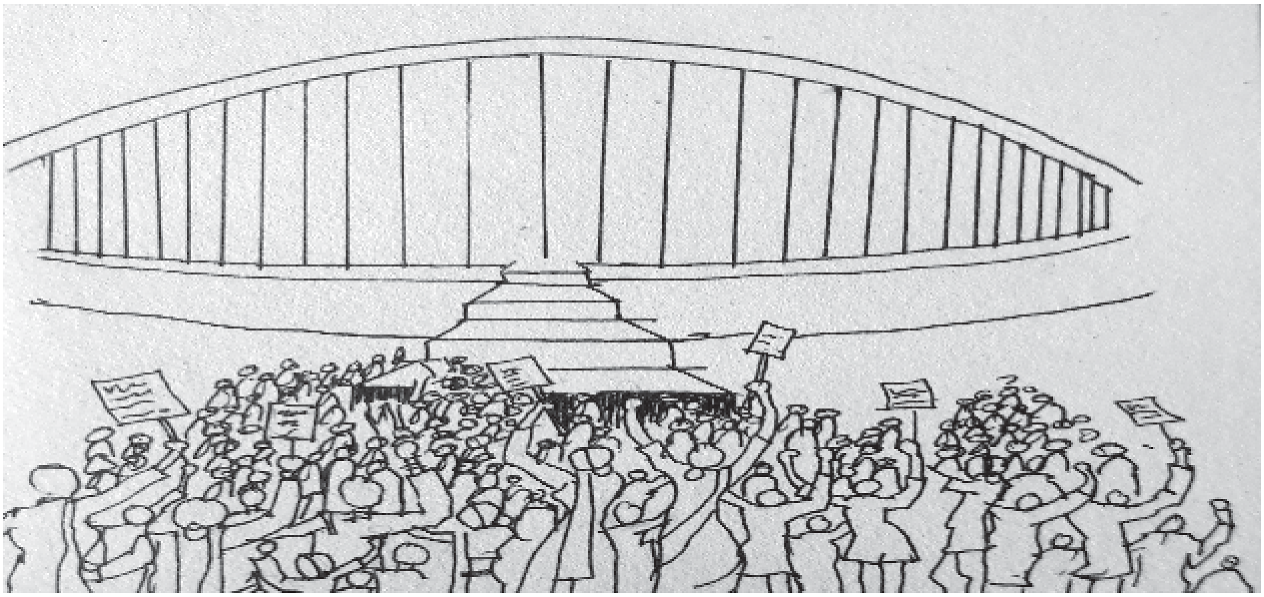

जीवन के प्रत्येक पक्ष को, प्रत्येक क्षण को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसकर देखा और जहाँ चूक हुई, उसे समझा और कोई भी भूल को दुहराया नहीं। कई बार वे परिस्थितिपरक हिंसा के पक्ष में दिखाई दिए, मगर घटना की तह तक जाने पर वहाँ भी जन कल्याण और करुणा की भावना बलवती दिखाई देती है। दक्षिण अफ्रीका में अपनी सारी चल-अचल संपत्ति बेचकर, खुद को तीन पाउंड कमाने वाले औसत मजदूर की तरह जीवनशैली में ढालकर, फीनिक्स और तोलस्तॉय आश्रम की स्थापना और सुव्यवस्थित संचालन के द्वारा एक ओर जहाँ उन्होंने समतामूलक समाज के गठन और नैतिक व शैक्षिक धरातल प्रत्येक व्यक्ति के विकास को रेखांकित कर मानक उदाहरण प्रस्तुत किया, वहीं वहाँ से विदाई में मिले बेशकीमती उपहारों को वहाँ के निवासी भारतीय समुदाय की सेवा के लिए एक ट्रस्ट बना, सब कुछ दान में देकर विषय-वस्तुओं के प्रति मोह और लोभ के मार्ग को हमेशा के लिए बंद करने का भी उदाहरण पेश किया। इतना ही नहीं, निष्काम कर्म का निहितार्थ समझते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी बीच में ही रोककर जमा धन डूब जाने दिया, बल्कि भारत वापसी के बाद, पैतृक घर पर अपने और अपने बच्चों के अधिकार-समाप्ति की घोषणा लिखित रूप में की। जीवन में सत्य के प्रति यही निष्ठा उन्हें आत्मदर्शन और ईश्वरदर्शन और प्राप्ति तक ले जाती है, जहाँ पहुँचकर वे कहते हैं-"सत्य ही ईश्वर है।" ...और इस ईश्वर तत्व को वे हर प्राणी में महसूस करने लगते हैं, यही कारण है कि किसी के कार्य-व्यापार से असहमति के बावजूद वे किसी से नफरत या घृणा नहीं करते थे। हिंसापरक आंदोलन का दूरगामी परिणाम भी हिंसा में ही लिपटा होगा, उनका ऐसा मानना कितना उचित था, यह इस सदी के लोग देख रहे हैं। किंतु तब भी देश के क्रांतिकारियों के समर्पण भाव और उद्देश्य को उन्होंने हमेशा सराहा। बापू ने खुलकर कहा था, "मेरे लिए देशप्रेम और मानवप्रेम में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही हैं। मैं देशप्रेमी हूँ, क्योंकि मैं मानवप्रेमी हूँ। मेरा देशप्रेम वर्जनशील नहीं है। मैं भारत के हित की सेवा के लिए इंग्लैंड या जर्मनी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा।"

गांधी के सत्यपरक जीवन के उज्ज्वल प्रभाव का विकास हमें क्रमशः भारत में, उनके कार्यों में दिखाई पड़ता है। इससे पूर्व भी निजी तौर पर अपने ऊपर हुए अत्याचार का प्रतिकार उन्होंने हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा में लिपटे स्नेह की लाठी से ही किया। यही वह लाठी थी, जिसने स्मट्स जैसे संवेदनशून्य जनरल का हृदय परिवर्तन कर दिया और पश्चाताप के आँसू दिए, जिसने दुःख प्रकट करते हुए कहा था, गांधी महान थे। उन्हें 'पंचमांगी' कहना मूर्खता है। जिस स्मट्स ने उन्हें अपार कष्ट दिए, जोहान्सबर्ग जेल में कैद बापू ने एक जोड़ी सेंडिल बनाई और उसे दक्षिण अफ्रीका से विदा होते समय उन्होंने स्मट्स को भेंट में दी थी। बाद के दिनों में जनरल स्मट्स ने कहा भी-" मैंने अनेक गर्मियों में इन सेंडिलों को पहना है। हालाँकि मैं महसूस करता हूँ कि मैं इतने महान पुरुष के पदचिह्नों पर खड़ा होने के योग्य भी नहीं हूँ। "

अफसोस होता है, पीड़ा भी होती है, जिस सत्याग्रह को आंदोलन का रूप देकर बापू विदेशी धरती पर भारतीय जनता को न्यायपूर्ण अधिकार दिला सके; उनके अपमानजनक जीवन को बेहतर बना सके; एकता और सत्यमार्ग पर चलते हुए वृहत्त समाज के हित के लिए आत्मबलिदान और समर्पण का मूल्य समझा सके, वे अपने ही देश में अपनों के द्वारा समझे न जा सके। वर्णगत ऊँच-नीच के भेदभाव को विदेश में मिटाने में तो सफल हुए, अपने देश में कदम-कदम पर अपेक्षाकृत अधिक संघर्षरत हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम, मगनबाड़ी और सेवाग्राम को अपने सपनों के स्वायत्त समतामूलक भारतीय समाज का मॉडल बनाकर दिखा दिया कि यह व्यावहारिक रूप में संभव है।

उनका सत्याग्रह आंदोलन केवल राजनीतिक संदर्भ लेकर कभी नहीं रहा। अहमदाबाद मिल के मजदूरों की माँग को सही पाकर बापू ने हड़ताली मजदूरों को समझाया था--कोई हड़ताली मजदूर किसी भी तरह की हिंसा में भाग नहीं लेगा। यदि कोई मजदूर काम पर वापस लौटना चाहे तो उनको रोका नहीं जाएगा और कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। जब तक माँगें पूरी न हों, हड़ताल जारी रहनी चाहिए।

किसानों का 'खेड़ा आंदोलन' के पीछे सत्य का यही आग्रह दिखता है जिसके आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। 'सविनय अवज्ञा' आंदोलन में तीस हजार प्रतिनिधि नेता सहित लाखों देशवासी जेल में बंद थे। दक्षिण अफ्रीका की 'जेल भरो नीति' यहाँ भी प्राय: सफल रही। ऋषिकेश के चार सौ सत्याग्रहियों में अधिकांश संन्यासी ही थे। सत्याग्रह आंदोलन का यही बल था कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने सीमांत प्रदेश के हजारों पठानों को इस आंदोलन में शामिल कर दिया। हालाँकि बापू ने बार-बार चेताया था, "कानून की अवज्ञा सच्चे भाव से और आदरपूर्वक की जाय, उसमें किसी प्रकार की उद्धतता न हो और वह किसी ठोस सिद्धांत पर आधारित तथा उसके पीछे द्वेष या तिरस्कार का लेश भी न हो-यह आखिरी कसौटी सबसे ज्यादा महत्त्व की है-तो ही उसे शुद्ध सत्याग्रह कहा जा सकता है।" 1942 का बापू का आह्वान 'करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो' बापू सहित प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह प्रभावी हुआ, किसी से छिपा नहीं। इतिहास के पन्ने गवाह हैं, कुछ की हिंसापरक नीति और अधीर व्यवहार ने सत्याग्रह की नींव कमजोर की। यह अलग बात है, इन आंदोलनों ने विश्व के लिए चिंतन के नए द्वार खोले। गांधी के निर्णय से नाखुश उनके अपनों ने साथ छोड़ा, विरोध किया, मगर गांधी असत्य और अधैर्य की नींव पर खड़े उन फैसलों को स्वीकारने कभी तैयार न हो सके जहाँ पूँजीपतियों, उद्योगपतियों और मशीनों के हाथ में आजाद देश को सौंपा जाना था, जहाँ स्वार्थपरता ने भारत के भूगोल को दो हिस्सों में नहीं बाँटा, दिलों में जहर भर दिया और इस दंश को जितना और जिस-जिस रूप में गांधी ने झेला, वह वे ही झेल सकते थे। शिमला समझौते में कोई टूटा-बिखरा तो वह गांधी ही थे। यह दिन राजनीति में आखिरी दिन था। इसके बाद सत्याग्रह आंदोलन ने अपने होने का अर्थ ही नहीं खोया, दबी हुई हिंसक प्रतिक्रियाओं द्वारा बुरी तरह खारिज सिद्ध कर दिया गया।

गांधी की यह आस्था कि अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजों की फूट डालो नीति, ब्रिटिश सरकार और उनके अधिकारियों, सैनिकों के अन्यायपूर्ण बरताव, अव्यावहारिक शिक्षानीति, हिंदू समाज में पहले से चली आ रही जन्मना वर्ण व्यवस्था की आड़ में फैलती कुरीतियों, धर्म के नाम पर आडंबर और पुरोहितों एवं सवर्णों के वर्चस्व और अंग्रेजों की जी हुजूरी करते जमींदारों की सामंतवादी नीति के सविनय किंतु दृढ़ विरोध के साथ ही हर एक के व्यक्तित्व के चतुर्दिक विकास का लक्ष्य केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ बाबा साहेब अंबेडकर के निर्देशन में चलने वाले कालाराम मंदिर सत्याग्रह आन्दोलन की याद दिलाना जरूरी है। लगभग 15000 स्त्री-पुरुषों ने हिस्सा लिया, यातनाएँ भोगीं, शहादत पाई मगर किसी ने हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। 5 वर्ष, 11 महीने, 7 दिनों तक जारी इस सत्याग्रह आंदोलन के चरम पर संधि प्रस्ताव रखा गया और आंदोलन समाप्ति के पीछे का विचार भाऊ गायकवाड़ को लिखे बाबा साहेब के पत्र में दिख जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि आंदोलन का मूल उद्देश्य हरिजन का मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करना नहीं, बल्कि हिंदू होने के नाते उनके समान सामाजिक अधिकार के प्रति उनकी सोई चेतना जाग्रत करना था और वह उद्देश्य पूरा हुआ। 'सत्याग्रह' शब्द मात्र नहीं, आचरण का एक दर्शन है, जिसे गांधी ने रूपाकार दिया था।

यह कहना भी गलत न होगा कि जिस सत्य को समझने के लिए उन्होंने जीवन खपा दिया, कहाँ संभव था

कि कुछ वर्षों में एक बड़ी अशिक्षित संख्या सत्याग्रह के मूल पाठ को समझ पाती! अशिक्षित क्या, उनके साथ चलने वाले नेता भी गांधी की उस पीड़ा को कहाँ समझ पाए कि क्यों उन्होंने चरम पर पहुँच रहे आन्दोलन को महज एक हिंसा की घटना के कारण असफल मानते हुए आंदोलन वापस ले लिया और जनता का उत्साह शिथिल कर दिया। निश्चित तौर पर इसके तात्कालिक दुष्परिणाम ही सामने आए किंतु यह भी सच ही था कि हिंसा की अग्नि भीतर-भीतर जनता के मन में सुलग रही थी, जिसे गांधी की पारखी आँखों ने देख लिया था और इस बात से दुखी थे कि उन्होंने ही जल्दबाजी की। जनता अभी मानसिक रूप से सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। क्षणिक आवेश अगर मन को हिंसक बनाए तो वहाँ सत्याग्रह का आधार ही नहीं बचेगा। वे इस बात पर जोर देते रहे कि "कानून की अवज्ञा सविनय तभी कही जा सकती है जब वह पूरी तरह अहिंसक हो। सविनय अवज्ञा के पीछे सिद्धांत यह है कि प्रतिपक्षी को खुद कष्ट सहकर यानी प्रेम के द्वारा जीता जाय।"

सत्य का बल और सत्याग्रह के एक अंग के रूप में उपवास का बल उनके अंतर्मन को शांत रखने का माध्यम रहा, यही शांति बाँटते-बाँटते वे विदा हो गए। उनका सत्याग्रह उनके साथ विदा होते-होते भी कहीं ठिठका रह गया तो वह प्रांत है-राँची के आसपास इलाके में बसे ताना भगत का वह समुदाय, जिसके पूर्वज उनको सुनने दूर-दूर तक घंटों पैदल चलकर आते थे और नोआखाली, जहाँ 1946 में गांधी के रास्ते में तमाम तरह की गंदगियाँ उड़ेलकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता था, धमकियाँ दी जाती थीं और उस समय वातावरण में शांति हेतु बात करने आए गांधी से पूर्वी बंगाल के प्रधानमंत्री शहीद सुहरावर्दी ने मिलने से मना कर दिया था; 1947 में वही शहीद साहब गांधी की शर्त मंजूर करते हैं कि नोआखाली में उपद्रव नहीं होगा, गांधी वहीं कलकत्ते में रुकें और लोगों को समझाएँ। आजादी के समय और बाद तक गांधी के साथ रहते हुए शहीद साहब खुद को भीतर से अपने को बदला हुआ पाते हैं। कलकत्ते में हिंसा को रोक पाने में जहाँ पूरी फोर्स नाकाम रही थी, गांधी के भाषण और उपवास ने वह चमत्कार कर दिखाया। दंगा करने-करवाने वाला हर दल हथियार सहित उनके सामने समर्पण कर गया और एक ही विनती करता गया कि वे उपवास छोड़ दें। यह मानस परिवर्तन कोई दैवी चमत्कार नहीं था, यह सत्याग्रह का चमत्कार था। सत्य अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है, गांधी ने जो किया, वह कहा, जो कहा, वह किया। जब मन, वचन, कर्म से व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो जाता है तो वह सत्याग्रही गांधी हो जाता है। सत्याग्रह में उपवास की सार्थकता और महत्ता रेखांकित करते हुए वे कहते हैं, "उपवास सत्याग्रह के शस्त्रागार का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। उसे हर कोई नहीं कर सकता। ...... उसकी प्रेरणा अपनी अंतरात्मा की गहराई से आनी चाहिए। इसलिए वह बहुत विरल होता है।"

सत्याग्रह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपवास के अनिवार्य तत्वों पर उन्होंने विचार रखे, "शुद्ध उपवास में स्वार्थ, क्रोध, अविश्वास या अधीरता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।..... अपार धीरज, दृढ़ता, ध्येय में एकाग्रनिष्ठा और पूर्ण शांति तो उपवास करने वाले में होनी ही चाहिए। ये सब गुण किसी व्यक्ति में एकाएक नहीं आ सकते। इसलिए, जिसने यम-नियम आदि का पालन करके अपना जीवन शुद्ध न कर लिया हो, उसे सत्याग्रह के हेतु से किया जाने वाला उपवास नहीं करना चाहिए।

गांधी का सपना टूटा, बिखरा। क्यों बिखरा? यदि अब भी मूल कारण को न समझा गया तो नफरत और हिंसा की उठती आँधी में सब तहस-नहस हो जाएगा। देश को पुतले की नहीं, उनके विचारों और व्यवहारों को समझने और आतंरिक बदलाव के लिए स्वयं को तैयार करने की जरूरत है क्योंकि वर्तमान में सत्याग्रह यानी सत्य-अहिंसापरक नीति पर अमल करके ही विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का सपना पूरा किया जा सकेगा और इसके लिए विश्व का प्रतिनिधित्व करने हेतु 'भारत' को सत्याग्रही बनने की बुनियादी शर्तों --- सद्चरित्र का निर्माण, आदर्श नागरिक के गुणों में वृद्धि, कागजी नहीं वास्तविक रूप में स्वावलंबन, नफरत, भेदभाव और हिंसा को पूरा करने के लिए, अपने आत्मिक गुणों का विकास करते हुए स्वयं को मानक उदाहरण बनाना होगा। विश्व भारत की ओर आस लगाए हुए है।

**संपर्क :**
गोराचंद कोले
डी 136, गली नं. 5, गणेशनगर पांडवनगर कॉम्प्लेक्स,
दिल्ली : 110092
मो. 8376836119

विमर्श

# लोक जीवन में गांधी

डॉ उषा श्रीवास्तव

गांधी जी को भारत ने राष्ट्रपिता से संबोधित किया, इतना नहीं उन्हें महात्मा गांधी का दर्जा दिया गया। भारत और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। महात्मा गांधी है तो भारत है और भारत है तो गांधी जी अमर है।

भारत की स्वाधीनता और उसके सुनहरे भविष्य के स्वप्नद्रष्टा महापुरूषों की अटूट श्रृंखला महात्मा गांधी के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से पहले ही मौजूद थी और उन्होने भी हिन्द तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही जन जागरण मार्ग अपनाया था, लेकिन अपनी अद्‌भुत कार्य योजना के सहारे गांधी जी ने हिन्दी को स्वाधीनता संग्राम के एक और सफल हथियार के रूप में परिवर्तित कर दिया था। अपने राष्ट्र व्यापी दौरे में गांधीजी हर व्याख्यान में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद और आदान-प्रदान तथा शिक्षा, न्याय, प्रशासन और बौद्धिक विमर्श की भाषा बनाने का आग्रह करते थे। गांधीजी की प्रेरणा, मार्गदर्शन, और हस्तक्षेप का ही परिणाम है कि राष्ट्रभाषा न सही राजभाषा या संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी मौजूद है।

15 अक्टूबर 1917 को भागलपुर के छात्र सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा था मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के समान है जो मातृभाषा का अपमान करता है। वह स्वदेश भक्त कहलाने के लायक नहीं है।

जब स्वाधीनता संग्राम की चर्चा होती है तो चम्पारण के बिना यह अधूरा सा लगता है। हम यहाँ बिहार के लोक जीवन में बापू को देखने का प्रयास करते हैं। हम पाते हैं कि बिहार के लोक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बापू की अविस्मरणीय गाथा आज भी मौजूद है। लोक जीवन में बापू गांधी बाबा के नाम से जन-जन के हृदय में निवास करते हैं। बिहारवासियों के जन जीवन में गांधी बाबा को कहीं कृष्ण तो कहीं पालनहार के रूप में दर्शाया गया है। इसके अनेकों उदाहरण है जिससे प्रमाणिकता साबित होती है।

जैसे- *श्रीधर मिश्र के अनुसार-*

*कृष्ण कन्हैया के जेहल में जनमवा,*

भारत की स्वाधीनता और उसके सुनहरे भविष्य के स्वप्नद्रष्टा महापुरूषों की अटूट श्रृंखला महात्मा गांधी के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से पहले ही मौजूद थी और उन्होने भी हिन्द तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही जन जागरण मार्ग अपनाया था, लेकिन अपनी अद्‌भुत कार्य योजना के सहारे गांधी जी ने हिन्दी को स्वाधीनता संग्राम के एक और सफल हथियार...।

*गांधी के घररवें जेहलबा हो।*

*कृष्ण कन्हैया के मूरली मंजूर भईल, गांधी के चरखा मस्ताना हो।*

*कृष्ण कन्हैया माखन चोर कहात रहले, गांधी नमक चोर मरदाना हो।*

*कृष्ण कन्हैया जी कमरी पहिनत रहले गांधी के खदरबा के बाना हो।*

*कृष्ण कन्हैया जी कंस के विध्वंस कइले गांधी भगवले अंगरेजन के हो।*

इस प्रकार हम देखते हैं कि बापू लोक–जीवन के अत्यंत निकट थे, लोक ह्रदय में समाहित थे। राष्ट्रपिता की कीर्ति–वाणी और संदेश भारत के कण–कण में व्याप्त है, भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। इससे सम्बंधित लोक–गीतों के माध्यम से बापू की कृष्ण भगवान से तुलना की गई है। गीत में कहा गया है कि कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ तो गांधीजी का घर ही जेल में है। कृष्ण भगवान मुरली रखते थे तो गांधीजी का मस्ताना चर्खा था। कृष्ण भगवान माखन चोर थे तो बापू को नमक चोर कहा गया है। कृष्ण भगवान फटा कंबल पहनते थे तो गांधीजी खद्दरधारी थे। कृष्ण जी ने कंस का विध्वंस किया तो गांधी जी ने अंग्रेजों का भारत से सर्वनाश किया।

सात हो समुन्दर पार टापू में फिरंगी रहे, उन्हुका के चलु उनका घरे पहुँचाई जा। गांधी अइसन जोगी भैया जेहल में परल बाटे मिलि–जुलि चलु आजु गांधी के छोड़ाई जा। दुनिया में केकर जोर गांधी के जेहल राखे, तीस कोटी बीच चलु अगिया लगाई जा।

प्रस्तुत लोकगीत में हम पाते हैं कि लोक जीवन में बापू के प्रति प्रेम और फिरंगी के प्रति घृणा इस तरह से समाहित है कि कहा गया है सात समुन्दर पार से फिरंगी टापू में आकर डेरा डाले हुआ है उनको हमलोग मिलकर चलो उनके घर तक खदेड़ कर पहुँचा दें और गांधी बाबा जैसे योगी तपस्वी जिनको जेल में रखा गया है चलो हम सब लोग मिलजुल कर उन्हें जेल से छुड़ा कर ले आये। फिर कहा गया है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे गांधी बाबा को जेल में बंद करके रख ले। सब लोग मिलके चलो उसको आग में जलाकर राख कर दें।

इस प्रकार हम देखते है कि लोक जीवन में बापू इतने समाये हुए है कि उनके लिए जन सैलाब कुछ भी करने को तैयार है किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार है।

गांधी के चरनमा के मनमा में धियान धरी, असहयोग–व्रत चलु आजु सफल बनाई जा।

फिर हम यहाँ पाते हैं कि भगवान स्वरूप गांधी जी के चरण कमलों में ध्यान लगाके, उनके द्वारा चलाए गये असहयोग आन्दोलन को व्रत के रूप में इसे सफल बनाएं ।

***इस प्रकार हम देखते हैं कि बापू लोक-जीवन के अत्यंत निकट थे, लोक ह्रदय में समाहित थे। राष्ट्रपिता की कीर्ति-वाणी और संदेश भारत के कण-कण में व्याप्त है, भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। इससे सम्बंधित लोक-गीतों के माध्यम से बापू को कृष्ण भगवान से तुलना किया गया है। गीत में कहा गया है कि कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ तो गांधीजी का घर ही जेल में है। कृष्ण भगवान मूरली रखते थे तो गांधीजी का मस्ताना चर्खा था। कृष्ण भगवान माखन चोर थे तो बापू को नमक चोर कहा गया है। कृष्ण भगवान फटा कंबल पहनते थे तो गांधीजी खद्दरधारी थे। कृष्ण जी ने कंस का विध्वंस किया तो...***

इतना ही नहीं लोक जीवन में बापू इस तरह समाहित है कि जिनको बच्चा नहीं है वो भी भगवान से मनाते है कि हे भगवान हमको भी एक बालक दे दो कि हम उसे देश की सेवा में समर्पित कर दे।

*होम–गाड में भरती करइती परेड उनका सिखईती, कान्हा पर लेके बनुकिया, चलिते छाती देख जुरइती। गांधी, नेहरू, बल्लभ भाई के कीरति–गीत सुनइती, हाथ में देके तिरंगा झंडा, बिजयी बीर बनइती, जन जीवन की बापू के लिए समर्पित भावना देखने को मिलता है। उनका कहना है कि यदि एक भी बालक भगवान देते तो उसे होमगार्ड में भर्ती करवाते और उसे परेड करना सिखलाते, और जब मेरा बालक कान्धे पर बन्दूक*

*लेकर लड़ाई करने देश रक्षा के लिए जाता तो यह देख मेरे कलेजे को हृदय को सूकून मिलता।*

इतना ही नहीं गांधी–नेहरू और बल्लभ भाई के गुण गान गीत उसे रोज सुनाया करते और फिर हाथ में अपने देश की शान तिरंगा झंडा को पकड़ा कर उसे बिजयी बीर बना देते।

इतना ही नहीं इस प्रकार के अनेकों लोक गीत है जिससे प्रमाणित होता है कि लोक जीवन में गांधी जी का स्थान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। कोई अपने पति को तो कोई अपने पुत्र को गांधी जी की तरह देश भक्ति का पाठ पढ़ाना चाहता है।

*उनइस सौ सैतालिस रहले, शुक्रवार दिनवाँ से जय हिन्द ना भइले चारो ओर सोरबा से, जय हिन्द ना।*

*जुग जुग जियसु बाबा गांधी जवाहर से युग युग जिये। माता कष्ट के हरबले, से बन्धन तोड़ले ना।*

प्रस्तुत गीत में हम पाते हैं कि उन्नीस सौ सैंतालिस को शुक्रवार दिन था। जब चारों ओर जय हिन्द का नारा गूंज रहा था। देश के कोने–कोने से आवाज आ रही थी।

फिर कहा गया है कि गांधी बाबा और जवाहर युगों–युगों तक जीवित रहे जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीर से छुटकारा दिलाया, गुलामी के बन्धन को तोड़कर माता–माता को कष्ट से छुटकारा दिलाया।

आगे हम देखते हैं कि देश में खुशियों की होली दिवाली मनाई जा रही थी। सम्पूर्ण भारत खुशी से झूम रहा था और इसी बीच गांधी बाबा के चले जाने से भारत के जन जीवन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा।

***आगे हम देखते है कि देश में खुशियों की होली दिवाली मनाई जा रही थी। सम्पूर्ण भारत खुशी से झूम रहा था और इसी बीच गांधी बाबा के चले जाने से भारत के जन जीवन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा।***

***जननी के जीवन लाल चलल, दुखियन के दीन दयाल चलल थर-थर-थर धरती काँपि उठलि, भारत-भीतर भूंईचाल चलल। जन-जन पर विष के बान चलल। प्रस्तुत गीत में हार्दिक विलाप परिलक्षित होता है कहा गया है कि जननी जिसने जन्म दिखा है उसीका जो जीवन है वह लाल चला गया और दीन-दुखियों के दुख...।***

*जननी के जीवन लाल चलल, दुखियन के दीन दयाल चलल थर–थर–थर धरती काँपि उठलि, भारत–भीतर भूंईचाल चलल।*

*जन–जन पर विष के बान चलल।*

प्रस्तुत गीत में हार्दिक विलाप परिलक्षित होता है कहा गया है कि जननी जिसने जन्म दिया है उसी का जो जीवन है वह लाल चला गया और दीन–दुखियों के दुख हरता (दीन दयाल) भगवान चले गये।

बापू के जाने से धरती थर–थर–थर ऐसे काँप रही है, जैसे भारत की धरती पर भूकंप हो रहा है, भूचाल चल रहा है, और जन–जन लोक जीवन पर तो जैसे किसी ने जहर से डूबाया हुआ वाण सीने में चुभो दिया है।

*जग-जेकर प्रेम–समाज रहल, बिन ताज सदा सिरताज रहत, मुट्ठी भर हड्डी में जेकर, कोटिन के लिपटल लाज रहल।*

*सब के मन के अरमान चलल ।।*

बापू के जाने की खबर सुनकर जन–जीवन व्याकुल होकर विलाप कर रहा है। कहा गया है कि जिसकी पूरी दुनिया प्रेम से भरा समाज थी, जो बिना ताज के ही सबके सिर का ताज था। सबकी लाज बचाने वाला था। जिस पर सब को नाज था। जिसने एक विश्वास और भरोसा दिया था। सबके मन में जिसने अरमान जगाया था। भारत को स्वतंत्र कराकर वो आज हमलोगों के बीच से जन–जीवन, लोक–जीवन, जन–सैलाब को छोड़कर हमलोगों से बहुत दूर जा रहा है।

**संपर्क:**
सोगरा इस्टेट, पक्की सराय,
मुजफ्फरपुर–842001 बिहार।
मो. 9334904712
ई–मेल–ushakiran010102@gmail.com

# प्रकृति से प्रेरणा पाते थे गांधी

संजय कुमार मिश्र

गांधीजी ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के सन्निकट रहना चाहते थे, उन्होंने कहा, ''मुझे प्रकृति के अतिरिक्त किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। उसने कभी भी मुझे विफल नहीं किया है। वह मुझे चकित करती है, भरमाती है, मुझे आनंद की ओर ले जाती है।'' गांधी का मानना था कि कोई भी प्रकृति का दोहन अल्पकालीन लाभों के लिए न करे बल्कि इससे केवल उतना ही ले जो मानव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। गांधी को स्वीकार करना पड़ा कि न चाहते हुए भी प्रकृति के प्रति कुछ मात्रा में हिंसा करनी पड़ती है। हम बस यह कर सकते हैं कि जहाँ तक हो सके इसे कम-से-कम करें। गांधी ने चेताया था ''ऐसा समय आएगा जब अपनी जरूरतों को कई गुना बढ़ाने की अंधी दौड़ में लगे लोग अपने किए को देखेंगे और कहेंगे, ये हमने क्या किया?'' यदि हम जलवायु परिवर्तन संबंधी वर्तमान बहस को देखें तो जिस व्यग्रता से पश्चिमी देश विकासशील देशों को अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए समझा रहे हैं और विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, उससे गांधी की भविष्यवाणी पूरी तरह से सच होती जा रही है।

भारतीय सनातन सभ्यता-संस्कृति के शाश्वत चिंतन, अनेकों महापुरुषों तथा मनीषियों के दर्शन व ज्ञान तथा अपने जीवन के कठोर जमीनी अनुभवों को मथकर नवनीत निकालने वाले आधुनिक भारत के सबसे बड़े प्रज्ञा पुरुष महात्मा गांधी इस बाजार व्यवस्था के मायाजाल को बहुत पहले ही समझ चुके थे। अपनी जवानी के दिनों में ही 'हिंद स्वराज' लिखकर इससे सावधान रहने एवं बचने का मार्ग बतला दिया था। आजीवन उनका हर छोटा-बड़ा कार्य, चाहे वह गुलामी से मुक्ति का अभियान हो या सामाजिक सुधारों के लिए अनथक प्रयास, हर संघर्ष उनका इस राक्षसी बाजार व्यवस्था से बचाने के लिए ही था। उन्होंने बार-बार इस बात पर बल दिया कि ''यह धरती हरेक की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है, लेकिन किसी एक की भी लोलुपता या वासना की संतुष्टि नहीं

''मुझे प्रकृति के अतिरिक्त किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। उसने कभी भी मुझे विफल नहीं किया है। वह मुझे चकित करती है, भरमाती है, मुझे आनंद की ओर ले जाती है।'' गांधी का मानना था कि कोई भी प्रकृति का दोहन अल्पकालीन लाभों के लिए न करे बल्कि इससे केवल उतना ही ले जो मानव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

कर सकती।'' सबसे दु:खद बात यही रही कि उनके जीवन में ही उनके अपने लोगों ने उनके विचारों को ठुकरा दिया। उनके मरने के बाद तो दिनोंदिन स्थिति बेहद जटिल होती गई और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि हम अपनी जमीन, पानी, हवा, परिवार, घर, गाँव, यहाँ तक मानव का सरल-सहज मूल स्वभाव सबकुछ गँवाकर एक आभासी डिजिटल दुनिया के मायालोक में खोए हुए हैं। लोभ और लाभ का खेल रचता बाजार का नव उत्पाद मायावी बहुरूपिया कोरोना जैसी महामारी हमारे विवेक को अपहृत करके अट्टहास कर रहा है। आधुनिक विकास के पुरोधाओं द्वारा विकसित, विकासशील और अविकसित देशों के बाजारवादी विभाजनों को तार-तार कर मौत के नित नए खेल खेल रहा है।

हमारी आज की सभ्यता का जो संकट है उसे गांधी ने औद्योगिक क्रांति के जन्मदाता यूरोप उसके उपनिवेश अफ्रीका और भारत के आम जीवन के संघर्षो में बड़ी बारीकी से देखा, भोगा और समाधान के लिए जन से जुड़कर संघर्ष करते हुए उन्होंने इच्छाओं की सीमितता को केंद्र में रखकर पारिस्थितिकीय अथवा मूलभूत आवश्यकता आधारित मॉडल की परिकल्पना की। जिसमें समाज व प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों के बीच एक प्रकार का तालमेल बनाने पर ध्यान दिया था। गांधी ने कहा था ''एक सीमा तक भौतिक तालमेल और आराम आवश्यक है, किंतु एक सीमा के बाद यह सहायता के बजाय अवरोध बन जाता है, इसलिए असीमित इच्छाओं का सृजन व उन्हें पूरा करने की मानसिकता भ्रम और जाल प्रतीत होती है।''

महात्मा गांधी ने सतत विकास के लिए लगातार बढ़ती इच्छाओं और जरूरतों के अधीन आधुनिक सभ्यता के खतरे की ओर ध्यान दिलाया था। अपनी पुस्तक 'हिंद स्वराज' में उन्होंने लगातार हो रही खोजों के कारण पैदा हो रहे उत्पादों और सेवाओं को मानवता के लिए खतरा बताया था। उन्होंने वर्तमान सभ्यता को अंतहीन इच्छाओं और शैतानिक सोच से प्रेरित बताया। उनके अनुसार, ''असली सभ्यता अपने कर्तव्यों का पालन करना और नैतिक और संयमित आचरण करना है। उनका दृष्टिकोण था कि लालच और जुनून पर अंकुश होना चाहिए। टिकाऊ विकास का केंद्र बिंदु समाज की मौलिक जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए।'' इस अर्थ में उनकी पुस्तक 'हिंद स्वराज' टिकाऊ विकास का घोषणापत्र है। जिसमें कहा गया है कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के बीज निहित है।

यह पढ़कर आश्चर्य होता है कि गांधी जब 1913 में दक्षिण अफ्रीका में अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की अगुआई कर रहे थे तभी उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि आधुनिक समाज तक स्वच्छ हवा पहुँचाने में भी लागत आएगी। अपने एक लेख 'की टु हेल्थ' में उन्होंने साफ हवा कि जरूरत पर रोशनी डाली। इसमें साफ वायु पर एक अलग से अध्याय है, जिसमें कहा गया है कि शरीर को तीन प्रकार के प्राकृतिक पोषण की आवश्यकता होती है हवा, पानी और भोजन लेकिन साफ हवा सबसे आवश्यक है। वह कहते हैं कि प्रकृति ने हमारी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त हवा फ्री में दी है लेकिन उनकी पीड़ा थी कि आधुनिक सभ्यता ने इसकी भी कीमत तय कर दी है। वह कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कहीं दूर जाना पड़ता है तो उसे साफ हवा के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आज से करीब 100 साल पहले 1 जनवरी 1918 को अहमदाबाद में एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की आजादी को तीन मुख्य तत्त्वों वायु, जल और अनाज की आजादी के रूप में परिभाषित किया था। उन्होंने 1918 में जो कहा और किया था उसे अदालतें आज जीवन के मूल अधिकार कानून की व्याख्या करते हुए साफ हवा, साफ पानी और भोजन के अधिकार के रूप में परिभाषित कर रही हैं।

महात्मा गांधी के अनेक वक्तव्य हैं जिन्हें टिकाऊ विकास के लिए उनके विश्वव्यापी दृष्टिकोण के रूप में उद्धृत किया जाता है। यूरोपीय संघ के संदर्भ में दिए गए उनके एक बयान की प्रासंगिकता आज पूरे मानव समाज को है। उन्होंने 1931 में लिखा था कि भौतिक सुख और आराम के साधनों के निर्माण और उनकी निरंतर खोज में लगे रहना ही अपने आप में एक बुराई है। उन्होंने कहा था

कि, ''मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यूरोपीय लोगों को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना होगा। इससे उनका काफी नुकसान होगा और वह आरामतलबी के दास बन जाएंगे।'' गांधीजी ने आठ दशक पहले ही लिख दिया था कि यदि भारत ने विकास के लिए पश्चिमी मॉडल का पालन किया तो उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक अलग धरती की जरूरत होगी।

आज का शहरी जीवन फोन के एक आर्डर पर बने-बनाये भोजन पर निर्भर होता जा रहा है। गांधीजी ने कई अवसरों पर लिखा है कि मनुष्य जब अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 15 या 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर के संसाधनों को प्रयोग करेगा तो प्रकृति की अर्थव्यवस्था नष्ट होगी। उनका स्वदेशी चिंतन और 1911 में 'प्रकृति की अर्थव्यवस्था' वाक्यांश के निर्माण के जरिए ही प्रकृति के प्रति उनकी गहरी समझ और संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। उन्होंने 1928 में ही चेतावनी दी थी कि विकास और औद्योगिकता में पश्चिमी देशों का पीछा करना मानवता और पृथ्वी के लिए खतरा पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि ''भगवान न करे कि भारत को कभी पश्चिमी देशों की तरह औद्योगिकीकरण अपनाना पड़े। कुछ किलोमीटर के एक छोटे से द्वीप इंग्लैड के आर्थिक साम्राज्यवाद ने आज दुनिया को उलझा रखा है। अगर सभी देश इसी तरह आर्थिक शोषण करेंगे तो यह दुनिया एक टिड्डियों के दल की तरह हो जाएगी।''

हममें से अधिकांश लोग 1930 के गांधी जी के ऐतिहासिक दांडी मार्च से परिचित हैं। इसके जरिए उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर आम लोगों के अधिकारों पर जोर दिया था। नमक एक महत्त्वपूर्ण और बुनियादी प्राकृतिक जरूरत है। नमक कानून तोड़कर और आम लोगों को नमक बनाने का अधिकार देकर उन्होंने उन्हें सशक्त बनाने का काम किया जो कि टिकाऊ विकास का केंद्रीय तत्त्व है। दांडी मार्च खत्म होने के बाद, उन्होंने अपने बड़े लक्ष्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि, ''इस मार्च का उद्देश्य भारत की आजादी से भी आगे जाकर दुनिया को भौतिकवाद के राक्षसी लालच के चंगुल से मुक्त करना है।'' इस बयान में उन्होंने लालच पर आधारित आधुनिक सभ्यता की आलोचना के साथ-साथ टिकाऊ विकास पर जोर दिया था।

आज विकास का पैमाना कारों की बिक्री हो गई है जिस तिमाही में कारों की बिक्री थोड़ी कम हो जाती है तो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ परेशान होकर सरकार को कोसने लगते हैं। जोसेफ स्टिजलिट्ज ने अपनी पुस्तक 'मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क' में लिखा है 80 प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग हाइड्रोकार्बन और 20 प्रतिशत वनों की कटाई की वजह से होती है। सबको पता है कि पर्यावरण के लिए कारों की बढ़ती संख्या कितना बड़ा खतरा है। जब 1938 में गांधी जी को बताया गया कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनके देश के हर नागरिक के पास दो कारें और दो रेडियो सेट हों तो महात्मा गांधी ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि ''अगर हर भारतीय परिवार में एक कार होगी तो सड़कों पर चलने के लिए जगह की कमी पड़ जाएगी।'' साथ ही उन्होंने आगे कहा था कि ''अगर भारतीय एक कार भी रखें तो यह कोई अच्छा काम नहीं होगा।'' आज हम भारत के शहरों से लेकर कस्बों, गाँवों तक देख रहे हैं कि हम किस कदर इन गाड़ियों के कबाड़ से सारी सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। हम किस तरह शुद्ध हवा के लिए तरस रहे हैं। पूरी दुनिया प्रदूषण के मारे परेशान है।

***आज का शहरी जीवन फोन के एक आर्डर पर बने-बनाये भोजन पर निर्भर होता जा रहा है। गांधीजी ने कई अवसरों पर लिखा है कि मनुष्य जब अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 15 या 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर के संसाधनों को प्रयोग करेगा तो प्रकृति की अर्थव्यवस्था नष्ट होगी। उनका स्वदेशी चिंतन और 1911 में 'प्रकृति की अर्थव्यवस्था' वाक्यांश के निर्माण के जरिए ही प्रकृति के प्रति उनकी गहरी समझ और संवेदनशीलता को समझा जा सकता है।***

गांधी के विचार इस समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप है कि मनुष्य का अस्तित्व बने रहने के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वही प्रकृति से लें। पर्यावरण के संबंध में उनके विचार राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित उनके सभी विचारों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। उनके वैराग्य और सादा जीवन, ग्रामीण स्वायत्तता और स्वावलंबन पर आधारित ग्राम केंद्रित सभ्यता, हस्तशिल्प और कला केंद्रित शिक्षा, मानव श्रम पर जोर और शोषक संबंधों को हटाने में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण का तत्त्व शामिल है।

2020 में चीन के वुहान में उसके बाजारवादी लोलुपता से पैदा हुआ सूक्ष्म विषाणु कोरोना से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई। महाकाय अर्थव्यवस्था के विकास का पहिया जहाँ का तहाँ रूक गया था। राक्षसी उपभोग पर टिके ग्लोबल विलेज की सारी गलियां बंद हो गई। गांधी का दिया विकल्प हमारे सामने है, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय उपयोग तथा परस्पर संबद्ध स्थानीय लघु समूह, अधिक स्थायी एवं मानवीय प्रारूप हैं। इसे वे 'ग्राम स्वराज' कहते थे। अगर हम इस राह पर चल रहे होते तो क्या शहरों से गाँवों की ओर इस कदर विनाशकारी पलायन होता? इस कदर चीन की दादागीरी बर्दाश्त करने के लिए विकासशील देशों को मजबूर होना पड़ता? हमें हमेशा याद रखना चाहिए परावलंबन आते ही आजादी खतरे में पड़ जाती है।

पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जे के लिए जानबूझकर पैदाकर फैलाया गया कोराना विषाणु बर्बर आधुनिक बाजारवादी सभ्यता का सबसे घृणास्पद उपउत्पाद है। अगर गौर से देखा जाए तो बाजारवादी दानवी सभ्यता लोभ और लालच के अनंत विषाणुओं को पूरी दुनिया में फैलाकर आधुनिक सभ्यता के सर्वमूल विनाश के खेल में रमी है। बहुत पहले से ही इस खेल में लोगों की भूख, लालसा और लिप्सा को बढ़ाने के लिए हर चीज को अति तक पहुँचाया जा रहा है। पर्यावरण विनाश के कागार पर है। अधिकांश देश आंतरिक और बाह्य रूप से युद्ध की स्थिति से गुजर रहे हैं। किसी को अपनी भूसीमाओं के विस्तार की भूख है, किसी को अपने धर्म और संप्रदाय को बंदूक के बल पर फैलाने की भूख, किसी को दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की भूख।

बाजार अपने बाहुपाश में सबको जकड़ने के लिए नित नए औजार मुहैया करवा रहा है। जिनमें प्रमुख हैं– आतंकवाद, संप्रदायवाद, नस्लवाद, ड्रग्स तथा अनेक तरह के युद्धास्त्र और कोरोना जैसा विषाणु। बाजार लोगों की शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, वह भौतिक चमक–दमक से शारीरिक, मानसिक लालसा, लिप्सा एवं भूख को जाग्रत करता है। नित नए ढंग से दमित भावनाओं को आँच देता है। इसके आगे हर आदमी अपनी मूल प्रकृति से भटककर अपने घर–परिवार, रिश्ते–नाते, देश–समाज सबसे अलग होकर कुछ भौतिक बनावटी सामानों के साथ विलगाव भोग रहा है। यहाँ तक कि रिश्ते–नातों से परे जाकर शारीरिक शोषण, आधुनिकता एवं फैशन के नाम पर सिर्फ भोण्डे प्रदर्शन एवं पाखंड, मामूली बात पर स्वार्थवश किसी की भी हत्या और सबसे थक–हारकर अंत में इस मायावी कोरोना जैसी महामारी के चपेट में आकर अलग–थलग होकर घुट–घुटकर मरने को मजबूर है।

राक्षसी बाजार व्यवस्था का जहर आज हमारी जीवन व्यवस्था के रग–रग में समा चुका है। वह काफी हद तक हमारे मूल सहज स्वभाव, प्रकृति के साथ जीने की आदतों से विलग करने में सफल हो गया है। इतना होने के बावजूद भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दिनोंदिन प्रकृति से विलगाव और विद्रूप होती दुनिया के लिए आज भी प्रकाश स्तंभ की भांति सबको सहज मुक्ति का मार्ग दिखलाता गांधी विचार बांह फैलाए सबके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। फैसला हमें करना है कि हमें आत्मघाती वैश्विक बाजार के पेट में समाते जाना है? या 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया...' के सनातनी गांधी मार्ग पर बढ़ना है?

**संपर्कः**

109ए कामना, सैक्टर–5, वैशाली पिन–201010, गाजियाबाद

मो. 9971189229

ई–मेलः snjmishra90@gmail.com

# प्रज्ञा मिश्रा की कविताएं

## स्त्री

1.
जीवन जिया उसने भी
जिसे बांधा तुम ने
चौखट की इज्जत से
पर,
क्या तुम कभी
यह जान सके
कि
उस जीवन को जीने में
कितनी बार
वह मृत हुई है?

2.
जेसै जेसै रात्रि के पहर ढलते है
वो बुनती है ताना बाना
कि दिन के पहर में
उसे बांटना है कैसे खुद को
घर के कई हिस्सों में
और फिर
सांझ होते-होते समेट लेना है
अपने सभी बिखरे टुकड़ों को
और परोस देना है अपनी देह
कि दिन भर टुकड़ों में बंट कर
घर संभालने बाद
अब वो टुकड़ों में नहीं
पूरी स्वीकारी जाएगी

इससे इतर कि
मन के टुकड़े अब
फिर और टूटते हैं
कभी न जुड़ पाने के लिए!

**3.**

स्त्री समेटती है उफनती लहरों को
और दफनाती है चीखों को

फिर लाती है एक मौन!
जो सहमा नहीं है
बस शांत है!
निकलेगा वो मौन
कभी..
बन कर सैलाब
और करेगा तबाह
पुरुष के दंभ को !!

**संपर्कः**
मो. 9616540741
ई-मेलः pragya1724@gmail.com
संपर्क : C13 B, सैनिक नगर, रायबरेली रोड,
लखनऊ(उ.प्र.)पिनः 226002

# फोटो में गांधी

कुष्ठ रोगी परचुरे शास्त्री की सेवा करते महात्मा गांधी।

# गांधी क्विज-8

**प्रश्न 1. महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था?**

क. शारदा गांधी
ख. अपर्णा गांधी
ग. कौशल्या गांधी
घ. कस्तूरबा गांधी

**प्रश्नः 2. गांधीजी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है?**

क. कष्ट सहने की अनंत क्षमता
ख. अहिंसा
ग. सत्य
घ. तीनों

**प्रश्नः 3. निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना नहीं है?**

क. भारत का प्रकाश
ख. हिंद स्वराज
ग. सत्य के साथ मेरे प्रयोग
घ. दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह

**प्रश्नः 4. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था?**

क. खेड़ा सत्याग्रह
ख. अहमदाबाद मिल हड़ताल
ग. चंपारण सत्याग्रह
घ. उपरोक्त में से कोई नहीं

**प्रश्न 5. किस साल में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे?**

क. 1918
ख. 1910
ग. 1915
घ. 1905

**प्रश्न 6. दांडी यात्रा के दौरान गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया?**

क. 31 मार्च 1930
ख. 6 अप्रैल 1930
ग. 10 अप्रैल 1930
घ. 15 मार्च 1930

**प्रश्नः 7. गांधीजी के प्रेरणास्रोत कौन थे।**

क. लेनिन
ख. लियो टॉल्स्टॉय
ग. कार्ल मार्क्स
घ. बर्नार्ड शॉ

**प्रश्नः 8. गांधीजी ने कहाँ से दांडी मार्च शुरू किया।**

क. दांडी
ख. साबरमती आश्रम
ग. दिल्ली
घ. चंपारण

**प्रश्नः 9. महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था?**

क. फिरोज शाह मेहता
ख. बाल गंगाधर तिलक
ग. गोपाल कृष्ण गोखले
घ. दादाभाई नौरोजी

**प्रश्नः 10 गांधीजी के किस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है?**

क. असहयोग आंदोलन
ख. खिलाफत आंदोलन
ग. चौरी-चौरा
घ. भारत छोड़ो आंदोलन

---

**नोटः** आप गांधी क्विज के उत्तर antimjangsds@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रथम विजेता को उपहार स्वरूप गांधी साहित्य दिया जायेगा।

# श्रीप्रसाद की कविताएं

## हाथी चल्लम-चल्लम

हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम
हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम

लंबी लंबी सूँड़ फटाफट फट्टर फट्टर
लंबे लंबे दाँत खटाखट खट्टर खट्टर

भारी भारी मूँड़ मटकता झम्मम झम्मम
हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम

पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लल थल्लल
हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल

खंभे जैसे पाँव धपाधप पड़ते धम्मम
हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम

हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़
पीलवान पुच्छन बैठा है बाँधे पग्गड़

बैठे बच्चे बीस सभी हम डग्गम डग्गम
हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम

दिनभर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर
हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर

अरे नहीं हम गिर जाएँगे घम्मम घम्मम
हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम

## सौ हाथी नाचें

सौ हाथी यदि नाच दिखाएँ
यह हो कितना अच्छा,
नाच देखने को आएगा
तब तो बच्चा-बच्चा

धम्मक-धम्मक पाँव उठेंगे
सूँडें झम्मक-झम्मक
उछल-उछल हाथी नाचेंगे
छम्मक छम्मक छम्मक ।

जो देखेगा हँसते-हँसते
पेट फूल जाएगा,
देख-देख करके सौ हाथी
बड़ा मजा आएगा।

ऐसा नाच कहीं भी जो हो
उसे देखने जाऊँ,
ढम्म-ढमाढम ढोल बजाऊँ
और गीत भी गाऊँ।

जब भी सौ हाथी आएँगे
होगा नाच तभी ये,
मगर देख पाऊँगा क्या मैं
सुंदर नाच कभी ये?

## अमरूद बन गए

आमों के अमरूद बन गए
अमरूदों के केले
मैंने यह सब कुछ देखा है
आज गया था मेले

बकरी थी बिलकुल छोटी सी
हाथी की थी बोली
मगर जुखाम नहीं सह पाई
खाई उसने गोली

छत पर होती थी खों खों खों
मगर नहीं था बंदर
बिल्ली ही यों बोल रही थी
परसो मेरी छत पर

गाय नहीं करती थी बाँ बाँ
बोली वह अंग्रेजी
कहा बैल से, भूसा खालो
देखो भालो, ए जी

मुझको हुआ बड़ा ही अचरज
मुर्गा म्याऊँ करता
हाथ जोड़कर बैठा था
वह चूहे से था डरता

पर जब उगा रात में
सूरज चंदा दिन में आया
क्या होने को है दुनिया में
मैं काफी घबड़ाया

तुरंत मूँद ली मैंने आँखें
और न फिर कुछ देखा
तभी लगा ज्यों जगा रही है
आकर मुझको रेखा

सपना देखा था अजीब सा
बिलकुल गड़बड़ झाला
सपनों की दुनिया में होता
सब कुछ बड़ा निराला!

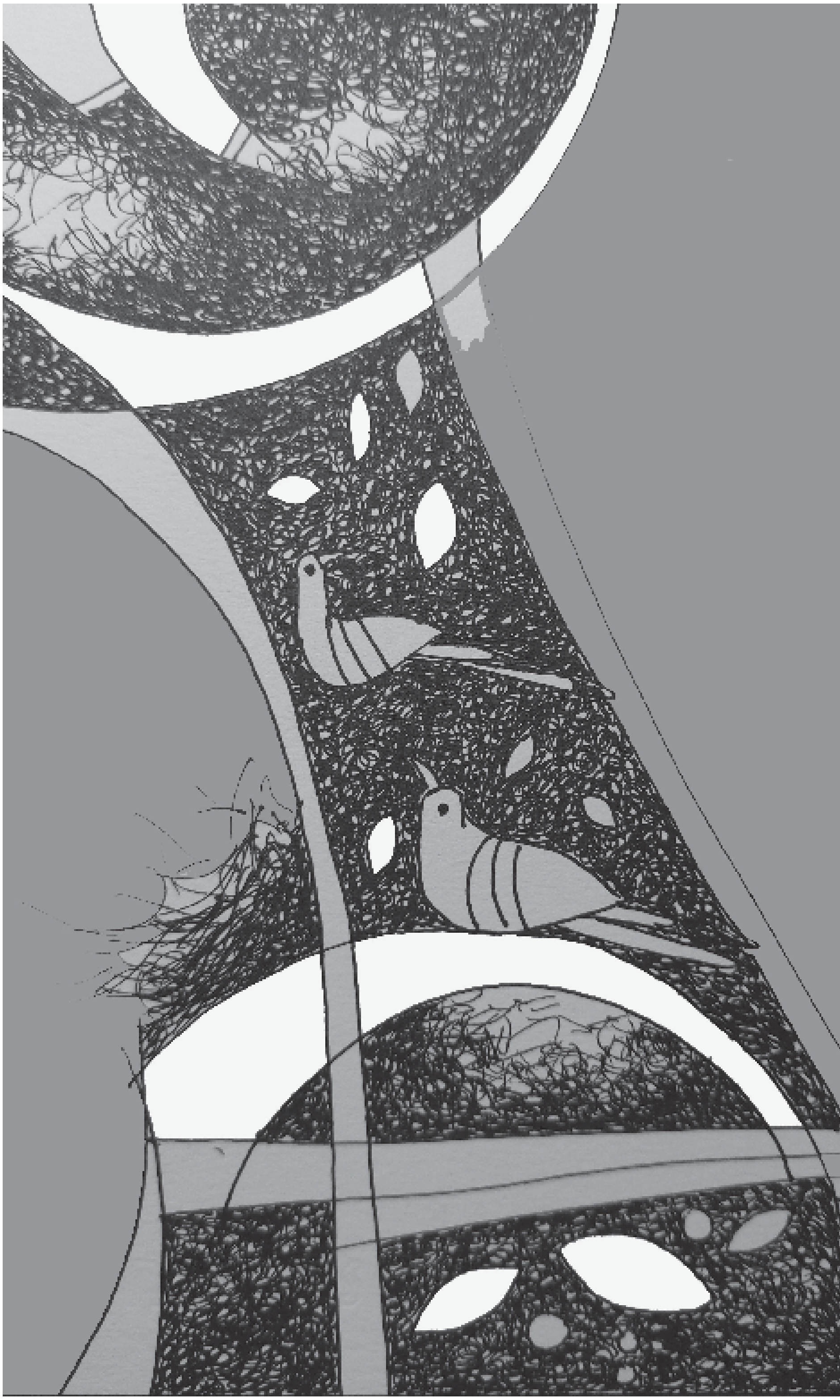

# गतिविधियाँ

## कश्मीरी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा 20 नवंबर, 2024 को गांधी दर्शन, राजघाट में चौथा कश्मीरी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में के समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल सम्मिलित हुए। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति के प्रशासनिक अधिकारी श्री संजीत कुमार और जिला युवा अधिकारी श्री उदयवीर कादयान भी मौजूद रहे।

श्री गोयल ने समारोह के दौरान वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, सद्भाव और विकास का संदेश दिया। अपने संबोधन में, उन्होंने कश्मीर की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को रेखांकित किया। साथ ही, महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए सादगी और परिश्रम के शाश्वत मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं को इन मूल्यों को अपनाने और अपने जीवन को इनसे प्रेरित करने का आह्वान किया।

# ‘फ्रेम बाय फ्रेम’ का आयोजन

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल 20 नवंबर, 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ‘फ्रेम बाय फ्रेम’ के समापन समारोह में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के डीन श्री बलराम पाणि, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के डॉ. अतुल गौतम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

# संविधान सम्मान यात्रा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल ने 76वें संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर 25 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले से भव्य संविधान सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया, जो फतेहपुरी मस्जिद पर समाप्त हुई।

संविधान की 8 फीट लंबी प्रतिकृति, घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर, इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रही। श्री विजय गोयल ने पुष्प अर्पित कर संविधान का सम्मान किया।

बच्चों की मार्चिंग बैंड ने लयबद्ध और ऊर्जावान संगीत से माहौल को देशभक्ति से भर दिया, उनकी ऊर्जा ने सभी का दिल जीत लिया।

# 'महात्मा गांधी और संवैधानिक मूल्य' पर संगोष्ठी

76वें संविधान दिवस के अवसर पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा 26 नवंबर, 2024 को गांधी दर्शन, राजघाट में 'महात्मा गांधी और संवैधानिक मूल्य' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लक्ष्मीकांत गौड़ और गांधी ग्लोबल फैमिली के महासचिव अधिवक्ता राम मोहन राय जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल ने अध्यक्षीय संबोधन दिया।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक डॉ. ज्वाला प्रसाद ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम का परिचय प्रस्तुत किया। गांधी ग्लोबल फाउंडेशन के श्री हरदयाल कुशवाहा ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए।

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के प्रशासनिक अधिकारी श्री संजीत कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और सत्र का संचालन भी किया।

फोटो: राकेश शर्मा, गणेश

# गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली

## ‘अंतिम जन’ मासिक पत्रिका

### ( सदस्यता प्रपत्र )

मैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा प्रकाशित अंतिम जन मासिक पत्रिका, ( हिन्दी ) का/की ग्राहक ......................वर्ष/वर्षों के लिये बनना चाहता/चाहती हूँ।

| | वर्ष | रुपये | | वर्ष | रुपये |
|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | एक प्रति शुल्क | 20/- | [ ] | दो वर्ष का शुल्क | 400/- |
| [ ] | वार्षिक शुल्क | 200/- | [ ] | तीन वर्ष का शुल्क | 500/- |

.............................................................. बैंक चेक संख्या/डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या .........................
दिनांक ........................ राशि .................... Director, Gandhi Smriti & Darshan Samiti, New Delhi में देय, संलग्न है।

ग्राहक का नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ): ..........................................................................................

व्यवसाय : ..........................................................................................................................

संस्थान : ............................................................................................................................

पता : ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

पिन कोड : ..................................... राज्य : ..............................................................

दूरभाष ( कार्यालय ) ................................ निवास .......................... मोबाईल..............................

ई मेल : ...........................................................................................

हस्ताक्षर ......................................

कृपया इस प्रोफॉर्मा को भरकर ( शुल्क ) राशि ( चेक/ड्राफ्ट ) सहित निम्नलिखित पते पर भेजें :

प्रधान संपादक
‘अंतिम जन’ मासिक पत्रिका
गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली - 110002

आप हमसे संपर्क कर सकते हैं :- दूरभाष : 011-23392796
ई मेल : antimjangsds@gmail.com, 2010gsds@gmail.com

अगर आप ‘अंतिम जन’ पत्रिका के नियमित पाठक बनना चाहते हैं तो अकाउंट में पेमेंट कर भुगतान की प्रति या स्क्रीनशॉट और अपना पत्राचार का साफ अक्षरों में पता, पिनकोड, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी सहित भेजें।

**Name –** Gandhi Smriti & Darshan Samiti
**A/c No. -** 90432010114219
**IFSC Code-** CNRB0019043
**Bank –** Canara Bank
**Branch –** Khan Market, New Delhi-110003

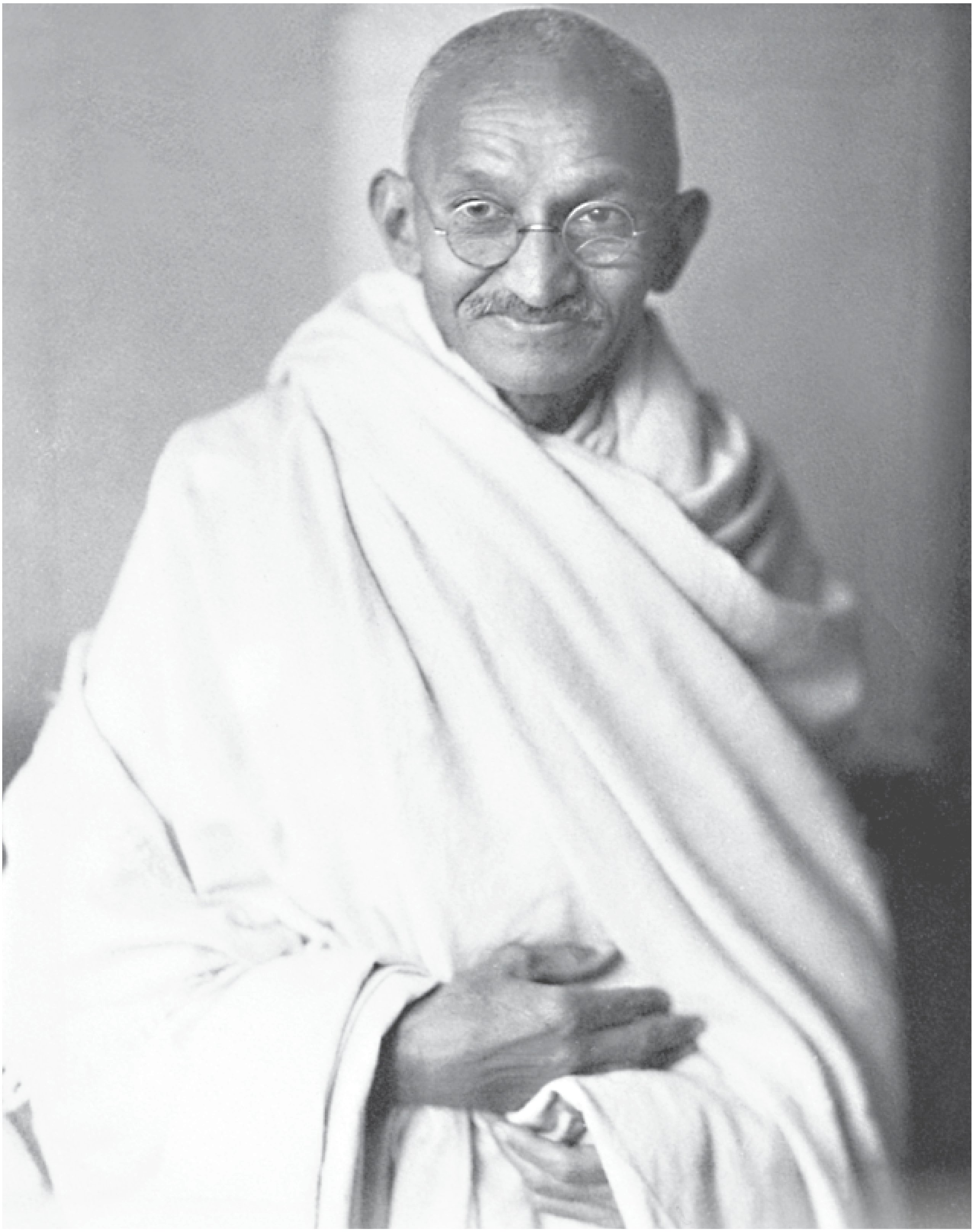

**मैं उस रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे चारों और व्याप्त अंधकार को मिटा दे। जिन्हें अहिंसा की जीवन्तता में आस्था है वे आएं और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो।**

मो.क.गांधी

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति

## हमारे आकर्षण

### गांधी स्मृति म्यूजियम (तीस जनवरी मार्ग)

* गांधी स्मृति म्यूजियम
* डॉल म्यूजियम
* शहीद स्तंभ
* मल्टीमीडिया प्रदर्शनी
* महात्मा गांधी के पदचिन्ह
* महात्मा गांधी का कक्ष
* महात्मा गांधी की प्रतिमा
* वर्ल्ड पीस गोंग

### गांधी दर्शन (राजघाट)

* गांधी दर्शन म्यूजियम
* क्ले मॉडल प्रदर्शनी
* गांधीजी को समर्पित रेल कोच प्रदर्शनी
* गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री (200 लोगों के लिये)
* सेमीनार हॉल (150 लोगों के लिये)
* कॉन्फ्रेंस हॉल (300 लोगों के लिये)
* प्रशिक्षण हॉलः (80 लोगों के लिये)
* ओपन थियेटर
* राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र
* गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री

(डॉ. ज्वाला प्रसाद)
निदेशक

प्रवेश निःशुल्क (प्रातः 10 बजे से सायं 6.30 बजे तक), सोमवार अवकाश
हॉल व कमरों की बुकिंग के लिये संपर्क करें– ईमेलः 2010gsds@gmail.com, 011-23392796

gsdsnewdelhi www.gandhismriti.gov.in

RNI NO. DELHIN/2018/76242

''आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं, उसे कम कराने की भावना से मैं यह बयान नहीं दे रहा हूँ। मुझे तो यही जता देना है कि आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं है, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े कानून से-अर्थात अन्तरात्मा की आवाज को स्वीकार करता है, उसका अनुसरण करना ही मेरा उद्देश्य है।''

( मोहनदास करमचंद गांधी )

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
( एक स्वायत्त निकाय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार )

प्रकाशक - मुद्रक : स्वामी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के लिए पोहोजा प्रिंट सोल्यूशंस प्रा. लि., दिल्ली - 110092 से मुद्रित तथा गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली-110092 से प्रकाशित।